राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 61 वां दिवस संख्या 8

मंगलवार,

दिनांक 30 जनवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

शहीदों को श्रद्धांजली

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण आज शहीद दिवस है। जिन सैनानियों ने स्वतन्त्रता संग्राम में लड़ते लड़ते अपने प्राण दिये उनके लिए हम दो मिनट मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करें और परमपिता से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को चिर शान्ति मिले।

(सदन ने दो मिनट तक मौन खड़े होकर श्रद्धांजली अर्पित की)

प्रश्न ;

लोक सभा के सदस्य श्री चरणजीत राय व हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम के निधन पर शोक प्रस्ताव एवं श्रद्धांजली।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि सदन में स्वर्गीय श्री चरणजीत राय जो लोकसभा के सदस्य थे और जिनका निधन अकस्मात 1 जनवरी को हो गया, राजस्थान के दौसा क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा में गये थे, उनके लिए भी अगर आसन की ओर से दो शब्द शोक प्रस्ताव के रूप में रख देते तो ठीक होता। मेरा यह निवेदन अध्यक्ष महोदय ने कल स्वीकार भी किया था। शायद आपसे उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया होगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नों के बाद में ले लेंगे। श्री रघुनाथ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बाद रखें तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करें, लेकिन मेरे खयाल में परम्परा के अनुसार उससे पहले अगर हो जाता तो ठीक रहता, फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। राजस्थान के एम.पी.के नाते मेरा यह विनम्र निवेदन है। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आसन की ओर से ही दो शब्द हो जायें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : इतनी सी बात तो सदन के नेता महोदय की ओर से भी हो जाय। उनका दृष्टिकोण भी आ जाय और आपकी तरफ से भी आजाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता महोदय ने जो बात कही है उससे मैं पूर्णत: सहमत हूं। उनका जो दुःखद देहावसान हुआ है उसके प्रति सारे सदन को शोक है और सब की तरफ से संवेदना की बात रखकर

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
चला जाय। उसके साथ ही हाफिज मोहम्मद इब्राहीम का देहावसान भी हो गया है उसके बारे में भी हम कहें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चरणजीत राय दौसा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे और उनके जीवन के बारे में मैंने पढ़ा है कि वह एक बहुत ही मामूली व्यक्ति से ऊंचे बढ़े हैं। व्यापारिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया। उनकी अवस्था भी कोई ज्यादा नही थी। उनके इस असामयिक निधन से सत्र को दुःख हुआ है।

इसी तरह से स्वर्गीय श्री हाफिज साहब स्वतन्त्रता संग्राम के एक बड़े सैनानी थे, और वे उन राष्ट्रीय मुसलमानों में थे जिन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया। बड़ी लम्बी बीमारी के बाद में यानी एक संघर्ष के बाद उनकी जीवन लीला समाप्त होगई।

दोनों ही व्यक्ति हमारे देश के बड़े लोगों में से थे और उनके असामयिक निधन से देश को क्षति पहुंची है। मैं सदन के सब सदस्यों की ओर से अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को वह शान्ति प्रदान करें। हम दो मिनट खड़े मौन रहकर उनको चिरशान्ति मिले इसके लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट तक मौन खड़े होकर श्रद्धान्जली अर्पित की)

श्री माधव हरि अणे को श्रद्धांजली

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है वह शायद ध्यान में नहीं रहा। बापू अणे का अभी 88 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होगया है। उनका आजादी के संग्राम में बहुत बड़ा हाथ रहा। 88 वर्ष की उम्र में अभी 27 तारीख को उनका निधन हुआ है। उससे राष्ट्र की बहुत क्षति हुई है। अच्छा होता कि हम आज ही साथ ही साथ उनको भी श्रद्धांजली दे देते।

श्री उपाध्यक्ष: अणे साहब हमारे एक बहुत ही पुराने नेता इस देश के रहे हैं। 88–90 वर्ष की उम्र में भी वे उतने ही सजीव, सजग और सक्रिय थे जितने कि वे अपनी जवान उम्र में रहे थे। वे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने शिक्षा में भी सराहनीय कार्य किया। उनके निधन से देश को बहुत क्षति पहुंची है कि एक पुराने जाने माने हुए राजनीतिज्ञ हमारे बीच में से उठ गये हैं।

मैं सब लोगों की ओर से, और अपनी ओर से उनको श्रद्धान्जली अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को चिरशान्ति दे। हम दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर उनको श्रद्धान्जली अर्पित करें और प्रार्थना करें कि उनको चिरशान्ति मिले।

(सदन ने दो मिनट तक मौन खड़े होकर श्रद्धान्जली अर्पित की)

श्री रघुनाथ।

तारांकित प्रश्नोतर

(समाज कल्याण, सिचाई, भाषा, खाद्य, राजकीय उपक्रम, राजस्व, वन, अकाल, सहायता पुनर्वास व पंचायत विभाग)

Page No.3

तहसील सांचोर में अनसूचित जाति एवं अनसूचित जन जाति के छात्रावास

176. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पूरी सांचोर तहसील में अभी तक अनसूचित एवं अनसूचित जन जाति के लिए कोई सरकारी होस्टल नहीं खोला गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक प्राइवेट तौर पर सांचोर में शास्त्री मदन नामक अनुसूचित जाति का होस्टल चल रहा है जिसकी सरकारी होस्टल की मन्जूरी दिलाने की मांग की गई है ? अगर हां, तो सांचोर में अब तक कोई ऐसा होस्टल न खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) अब सांचोर में अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का होस्टल कब तक खोल दिया जावेगा ? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां

(2) शास्त्री मदन नामक छात्रावास के सन्दर्भ में समाज कल्याण विभाग में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

(3) वित्तीय अभाव के कारण इस वर्ष नया छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: उपाध्यक्षजी, पूरी सांचोर तहसील में जब डेढ़ लाख की जनसंख्या है तो इतने वर्षों तक हरिजन छात्रावास चालू नहीं किया गया तो राज्य सरकार क्या इसको उचित मानती है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा: जिला जालोर में तो राजकीय छात्रावास अनुसूचित जन जाति का है और आदिवासी छात्रावास भीनमाल में भी है इस बात को राज्य सरकार महसूस करती है कि वहां पर छात्रावास होना चाहिए। अगले वर्ष में बजट के प्रावधान के अनुसार उस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: शास्त्री मदन नाम की विभाग को जानकारी क्यों नहीं है जब कि प्रश्न में दिया है कि प्राइवेट संस्था इस होस्टल को चला रही है। सारा खर्चा लड़कों पर चल रहा है। नाथूरामजी मिर्धा ने उसका उद्घाटन किया था और चार सौ रुपये का अनुदान भी दिया था। उसके बाद भी आप जानकारी नहीं कर सके क्या बात है। जानकारी नहीं आई उसके बाद भी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा कोई छात्रावास हो सकता है जो कि विभाग के बिना एप्रूवल के चल रहा हो इसलिए इस प्रकार के छात्रावास की जानकारी विभाग को नहीं होना बिल्कुल स्वाभाविक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: उपाध्यक्ष जी, मैंने सूचना चाही थी कि क्या है ? अगर आप उसकी जानकारी नहीं कर सकते तो क्या जानकारी करने के आपके पास साधन नहीं हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: विभागीय तौर पर जानकारी नहीं है।

श्री मनोहर सिंह महता: मेरा एक प्रश्न अर्ज करना है, आप यह महसूस करते हैं या नहीं कि अलग अलग छात्रावास होने नहीं चाहिए। अलग अलग छात्रावास करके आप हमेशा के लिए हरिजनों को अलग रखते हैं।

Page No.4

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न! श्रीमती शिव कुमारी!

भीमसागर बांध के निर्माण पर व्यय

177. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीमसागर बांध बनने की कार्यवाही कब शुरू हुई और कब पूरी की जावेगी? कृपया यह भी बतावें कि इसके अलग अलग मदों पर अब तक कितनी कितनी रकम खर्च की जा चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि असनावर गांव को दूर बसाने की योजना सरकार के विचाराधीन होने के कारण यहां का डवलपमेंट वर्क रुक गया है? यदि हां, तो असनावर के लोगों को कब तक मुआवजा चुका दिया जायेगा यह भी बतावें कि मुआवजा की दर कौन से साल को आधार मान कर दी जावेगी और बाद में होने वाले रिपेयर्स या इम्प्रूमेंट का लोगों को मुआवजा दिया जावेगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) भीमसागर बांध का निर्माण कार्य सन् 1954 में प्रारम्भ किया गया। योजना आयोग से इसके हेतु आवश्यक फंड्स प्राप्त होने पर इसे पूरा किया जा सकेगा

श्री केसरीसिंह: आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री जुझारसिंह: दुबारा पढ़िये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: (1) भीमसागर बांध का निर्माण कार्य सन् 1954 में प्रारम्भ किया गया। योजना आयोग से इसके हेतु आवश्यक फंड्स प्राप्त होने पर इसे पूरा किया जा सकेगा, निश्चित अवधि अभी नहीं बताई जा सकती। अब तक भूमि के मुआवजे एवं नहरों व माइनरों के निर्माण पर 13,76,355 रु. खर्च हो चुके हैं।

(2) असनावर गांव के प्रस्तावित बांध की डूब में आजाने से इस गांव को यहां से हटाने की सम्भावना है। इसलिये इसमें विकास का रुकना स्वाभाविक है। लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के अवार्ड्स के आधार पर मुआवजा चुकाने के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): इस योजना पर काम आरम्भ करने से पूर्व क्या सरकार ने इसके सारे आस्पेक्ट्स पर विचार करके ही काम चालू किया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह योजना तो कोटा स्टेट के वक्त में ही बन चुकी थी और 52 में इसका काम शुरू हो गया था। इसके बाद 1954 से काम शुरू किया गया और 1958 तक यह काम चलता रहा। उस वक्त इसकी डिटेल्ड और सर्वे की गई और उससे यह मालूम हुआ है कि चूंकि फुल टैंक का लेवल इस तालाब का 1005 के करीब होगा, इसलिए असनावर गांव डूबेगा। इस वजह से इसके बारे में तय किया, एक कमेटी बनाई गई और अन्त में निर्णय लिया गया कि इसमें क्या किया जाय। यह निर्णय लिया गया कि इस गांव को दूसरी जगह पर बसाया जाय और इसकी ऊंचाई कम नहीं की जाय। क्योंकि ऊंचाई कम करने पर भी इस गांव में अक्सर फलड्स आते रहते हैं, 1951 और 1961 में कुछ कम ऊंचाई पर पानी जाने से वहां फलड आ गया था। इन परिस्थितियों को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस गांव को हटाना पड़ेगा और इसके लिए फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट बना कर प्लानिंग कमीशन को भेजा। 18 लाख की स्कीम यह शुरू में बनी थी और अब यह स्कीम 73 लाख के करीब की हो गई है और अब इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस गांव को उस मास्टर प्लान के अनुसार दूसरी जगह पर बसाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह :क्या यह सही है कि इकोनोमिक पाइन्ट आफ व्यू से इस बांध को सरकार ने लाभदायक नहीं समझा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इकोनोमिक पाइन्ट आफ व्यू से अगर लाभदायक नहीं समझते तो न तो प्लानिंग कमीशन से क्लीयरेंस मिलता और न गवर्नमेंट इसको मंजूर करती। इसमें इकोनोमिक पाइन्ट आफ व्यू भी एक चीज है और आम लोगों की आवश्यकता, किसानों को पानी देने की आवश्यकता वह भी महत्वपूर्ण चीज है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को स्वीकार किया गया?

श्री भैरोंसिंह: क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इकोनोमिक पाइन्ट आफ व्यू से इसके रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड थे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इससे 15 हजार एकड़ की सिंचाई होगी। रिटर्न का परसेन्टेज तो मैं अभी तहकीकी तौर पर नहीं कह सकता लेकिन 15 हजार एकड़ की सिंचाई होने की सम्भावना इस प्रोजेक्ट से बताई गई है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में केवल एक परसेन्ट का बेनिफिट बताया गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक परसेन्ट के नीचे के जो प्रोजेक्ट हैं राजस्थान सरकार उन्हें मंजूर करती है इसलिए इकोनोमिक पाइन्ट आफ व्यू का इतना प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक पर्सेन्ट से नीचे की प्रोजेक्ट को इकोनोमिक मानने की स्थिति आज से तीन वर्ष पहले स्वीकार की थी, उसके पहले तीन पर्सेन्ट रिटर्न्स नहीं होते तो कोई योजना स्वीकार नहीं की जाती थी क्या यह सही है?

श्री **रामप्रसाद** लड्ढा: यह नीति है यह समय समय पर बदलती रहती है। रिटर्न्स के मामले में इसलिए यह तय किया गया है कि अमुक रिटर्न तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर सकता है, और अमुक रिटर्न के नीचे प्रोजेक्ट हो तो उस पर केबिनेट की स्वीकृति लेना आवश्यक है।.उस पाइन्ट ऑफ व्यू से रिटर्न का मामला तय किया गया था और इस रिटर्न के मामले में धीरे धीरे तरमीम होती जा रही है और अब तो हम नो प्रोफिट नो लोस के स्तर पर लेना आरम्भ करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि उससे कितने क्षेत्र को लाभ होता है बमुकाबले कि रिटर्न ज्यादा चाहें।

श्री जुझारसिंह :क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षो से यह आश्वासन देते आये हैं कि फाइनेंशियल हेल्प होने के बाद काम शुरू कर दिया जायगा। आज भी आपने फर्माया है कि सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन से इस पर मंजूर होकर हमें यदि हेल्प मिलेगी तो हम इसका काम शुरू करेंगे। क्या आप

(श्री जुझारसिंह)
डेफिनेटली कह सकते हैं, कोई मियाद दे सकते हैं कोई तारीख बता सकते हैं, जब तक यह काम शुरू हो जायगा ? इस तरह के आश्वसान तो आप पहले भी दे चुके हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: 1958 तक काम चालू था। उसके बाद रिवीजन करने का काम आ गया था। अब रिवाइज्ड एस्टीमेट को प्लानिंग कमीशन मंजूर करेगा। वह मंजूरी 1965 में हुई तो 1966-67 के अन्दर उसके लिए पैसा रखा था और खर्चा भी हुआ। केवल इस साल इस पर पैसा नहीं रखा जा सका है क्योंकि 1962 में चाइनीज अग्रेशन के वक्त बहुत सारे काम बन्द कर दिये थे, या स्थगित कर दिये गये थे, या रुपये का प्रावधान कम रखा था इसलिए इस के लिए पैसा नहीं रखा जा सका। लेकिन हम आयन्दा इस काम को, जो भी हमको वित्तीय साधन मिलेंगे, उसके हिसाब से जिन वर्क्स के लिए उसका बटवारा होगा वह इसके लिए भी प्रावधान रखेंगे।

श्री जुझार सिंह: सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन से फाइनल एप्रूवल हो गई है आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने कहा हो गई है

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न! श्री रामकिशन!

राज भाषा संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार की राय

178. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य ने संसद द्वारा हाल ही में पारित राज भाषा संशोधन विधेयक 1967 के बाबत क्या टिप्पणी व राय केन्द्र को भेजी है ? कृपया उसे सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह सही है कि अंग्रेजी को बनाये रखने का सुझाव ही दिया गया है ?

भाषा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री रामकिशन: क्यों नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मांगी नहीं गई थी। कोई टिप्पणी मांगी नहीं गई थी।

श्री रामकिशन: टिप्पणी नहीं मांगी तो क्या आप इस प्रश्न को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सरकार ने अपनी राय भेज दी, वैसे उनसे भी नहीं मांगी थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कोई आवश्यकता नहीं समझी।

श्री रामकिशन: आप किस चीज को आवश्यक समझते हैं ? क्या यह जनता के लिए आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी हटे या नहीं ? इस प्रश्न से बड़ी क्या बात हो सकती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: सरकार की मान्यता है। आप जिसे आवश्यक समझते हैं कोई जरूरी नहीं सरकार भी आवश्यक समझे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राज भाषा (संशोधन) विधेयक का विरोध किया है उसका राजस्थान की सरकार समर्थन करती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कोई विरोध नहीं किया है।

Page No.7

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य समाचार पत्रों में छपा है कि राज भाषा (संशोधन) विधेयक हिन्दी की प्रगति में बाधक होगा? इस प्रकार का जो वक्तव्य आया है क्या राज्य सरकार उसका समर्थन करती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है।

श्री रामकिशन: आपकी जानकारी में बात नहीं आई है, या आपकी राय नहीं है, या आप अपनी राय नहीं देना चाहते हैं? आप यहां नहीं कहने के लिए विराजमान हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके कारण यह स्थिति पैदा हो रही है कि देश को तोड़ने का सवाल पैदा हो रहा है। क्या इसमें राय भेजने का सवाल नहीं है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह बहस का मामला नहीं है। यह इन्फोर्मेशन देने का सवाल है।

श्री रामकिशन: इन्फोर्मेशन देने के लिए आपने नहीं कह दिया। यह सोच कर दुःख होता है कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और इसके बारे में राज्य सरकार चुप बैठी रहे मैं समझता हूं, यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह आप कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह: इनको शर्म आती नहीं है और आप शर्म की बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द बाफणा

राशन की दुकानों का समय

179. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर)–– क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या राशन दिये जाने हेतु स्वीकृत दुकानों के खुलने व खुले रहने का समय सरकार द्वारा निश्चित किया हुआ है? यदि हां, तो कौन कौन सा समय गांवों, कस्बों व शहरों हेतु निश्चित किया हुआ है? यदि नहीं, तो ऐसी दुकानों का समय सरकार द्वारा निश्चित क्यों नहीं किया गया है और क्या अब सरकार का समय निश्चित करने का विचार है?

(2) यदि राशन की दुकानों का समय निश्चित किया हुआ है तो क्या दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर स्पष्ट पढ़ी जाने योग्य लिपि में दुकान खुले रहने का समय लिखने को बाध्य हैं? यदि दुकानदार बाध्य नहीं हैं तो दुकानदारों को इस प्रकार स्वच्छन्द क्यों रखा गया है? क्या अब दुकान खुलने का समय लिखने को प्रत्येक राशन के दुकानदार को बाध्य किये जाने की कार्यवाही सरकार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या राशन की उन दुकानों का समय जहां से विधायक या सरकारी कर्मचारी आदि राशन लेते हैं, का समय इस तरह नहीं रखवाया जा सकता है कि वह समय विधान या सरकारी कर्मचारियों के कार्य समय के अलावा समय हो?

(4) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कब करने जा रही है?

उपमंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (1) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अलग से निर्देश नहीं हैं....

श्री फूलचन्द बाफणा : आवाज ठीक नहीं आ रही है।

श्री जयनारायण व्यास : जोर से बोलिये जरा।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री रामदेव सिंह : (1) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अलग से निर्देश नहीं हैं। प्रत्येक जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने व बन्द करने का समय निश्चित किया जाता है।

(2) जनता की सुविधा हेतु प्रत्येक दुकानदार को दुकान खुलने की समय की सूची लगाने हेतु जिला अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये गये हैं तथा हर दुकान पर समय का नोटिस बोर्ड स्पष्ट हिन्दी में लगाया गया है।

(3) दुकानें खुलने का समय निर्धारित करते समय जिला अधिकारियों द्वारा यह ध्यान रखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों व विद्यार्थियों को कार्यालय समय के अलावा कुछ समय राशन लेने हेतु मिल जाय।

(4) इस विषय में राज्य सरकार के पास कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, यदि कोई सुझाव आया तो राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी लाल!

श्री फूलचन्द बाफणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कीजिये।

श्री फूलचन्द बाफणा : आपने दुकानों पर समय लिख देने का वर्णन किया है। लेकिन हर एक दुकानों पर लिखा जाता है–यह सही है या नहीं?

श्री रामदेव सिंह : इस तरह की शिकायत नहीं आई कि समय लिखा नहीं जाता है।

श्री फूलचन्द बाफणा : शिकायत नहीं आई है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : शिकायत नहीं आई है इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायत का वजूद नहीं है। आप क्या इसके बारे में जांच नहीं करायेंगे? कृपा करके ऐसी व्यवस्था भविष्य में कीजिये कि दुकानों के ऊपर दुकान के खुलने का और बन्द करने का समय स्पष्टतया लिख दिया जाय?

श्री रामदेव सिंह: इस तरह की हिदायतें जिला अधिकारियों ने दुकानदारों को दे रखी हैं पहले ही।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 180 श्री देवीलाल बुरासिया।

श्री विजय सिंह (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

अजगरा बांध से पानी

180. **श्री देवीलाल बुरासिया** [श्री विजय सिंह रावत (**नसीराबाद**) द्वारा पूछा गया]: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री विजयसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1967 में अजगरा बांध से नसीराबाद को पानी दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि अजगरा बांध से नसीराबाद को पानी देने पर अजगरा बांध के नीचे जितनी सिंचाई होने वाली जमीन थी उसको सिर्फ एक दफा पानी मिला ?

(3) अजगरा बांध से समय पर पानी नहीं मिलने से कितनी फसल का नुकसान हुआ और उसकी जिम्मेवारी किसकी है ?

(4) अजगरा बांध से पाइपों द्वारा पानी पहुंचाने पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने वहां से पानी ले जाने के लिये मना किया था और इसके लिये सरकार ने वहां पर चौबीस घण्टे पुलिस का पहरा रखा था ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम प्रसाद लड्ढा): (1) अजमेर जल प्रदाय योजना को टेस्ट करने हेतु कुछ पानी दिया गया था ?

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(5) जी नहीं।

श्री विजयसिंह रावत: क्या यह पानी जब चुनाव हो रहे थे, चतुर्थ आम चुनावों के समय भूतपूर्व वित्त मंत्री को जिताने के लिये और नसीराबाद को गुमराह करने के लिये दिया गया था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा: अजमेर की जल प्रदाय योजना ने डिमाण्ड की थी कि उनकी लाइन को टेस्ट करने के लिये बंध से पानी दिया जाय। हमारा बन्ध पूरा भरा था और 1 हजार एकड़ भूमि को 3 पिलाइयां देनी थीं, वह तीनों दे दीं थीं उसके बाद भी 2 फुट पानी बच रहा था इसलिये उनकी लाइन को टेस्ट करने के लिये, इतना पानी दिया गया जिससे केवल 15 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इतना बड़ा बन्ध है, सारी जमीन की तीन दफा सिंचाई के बाद केवल 15 एकड़ भूमि की जितने पानी से सिंचाई हो, उतना पानी गवर्नमेंट की जल प्रदाय योजना को टेस्ट करने के लिये दे दिया है तो मैं समझता हूं, यह न्यायसंगत ही है, बेजा नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत: क्या यह सही है कि अजगरा बांध से नसीराबाद तक पाइप लाइन लगी हुई थी जिसके टैस्ट के लिये पानी दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पाइप लाइन लगी हुई नहीं होती तो टैस्ट के लिये किसमें पानी जाता ?

श्री विजयसिंह रावत: यह कहां है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा: यह नसीराबाद का तो आप कह रहे हैं मैंने नहीं कहा। अजगरा बांध से डेढ़ माइल की दूरी पर टैस्टिंग साइट है, उसको पानी दिया है, पानी कहां तक गया और कहां तक नहीं गया उसका मुझे पता नहीं है। पर केवल 15 एकड़ जमीन जितने पानी से सिंचित होती है, उतना पानी लाइन को टैस्ट करने के लिये दिया गया।

श्री विजय सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि चुनावों के 15 दिन पहले अजगरा के बांध से पाइप लाइन लगाई गई, किर्लोस्कर इन्जिन लाया गया और कहा कि 26 जनवरी, को पानी देंगे पर कम्पनी ने पाइप नहीं दिये . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप जनवरी का कह रहे हैं, जनवरी में चुनाव कहां हुए चुनाव तो फरवरी में हुए थे।

श्री विजय सिंह रावत : नसीराबाद को 26 जनवरी को पानी देने का कहा था बालकृष्ण कौल और मुख्य मन्त्री ने अनाउन्समेन्ट किया था कि नसीराबाद को 26 जनवरी को पानी दे देंगे पर एंजिन फेल हो गया और भूतपूर्व वित्त मन्त्री भी फेल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री विजय सिंह रावत : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सही है अजगरा बांध से इस पाइप लाइन को टैस्ट करने के लिये पानी दिया गया इसकी वजह से जहां इस बांध से वहां के किसानों को 3 बार पानी देना जरूरी था, वह तीन दफा न दे कर केवल एक बार ही पानी दिया गया और इससे किसानों को बडा भारी नुकसान हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि तीन दफा पूरा पानी देने के बाद भी बांध में दो फुट पानी बाकी रह गया था इसलिये जल प्रदाय योजना की पाइप लाइन को टैस्ट करने के लिये बांध से केवल उतना ही पानी दिया गया जितना कि 15 एकड़ भूमि को सिंचित कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजमल !

विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं

181. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ़) : क्या समाज कल्याण विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग की ओर से कौन कौन सी संस्थाएं चलाई जाती हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की संस्थाएं जिला झुन्झुनूं में नहीं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या जिला झुन्झुनूं में इस प्रकार की संस्थाएं चलाने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(4) क्या वर्ष 1967-68 में सरकार का इरादा औद्योगिक कक्षाएं प्रारम्भ करने का है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ये कक्षाएं जिला झुन्झुनूं में भी खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग की ओर से जो जो संस्थाएं चलाई जाती हैं उनकी सूची (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) आर्थिक कटौती के कारण आयोजना विभिन्न व्यय में अब ऐसी संस्थाएं खोलना सम्भव नहीं है।

Page No.11

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(4) वित्तीय प्रावधान के अभाव के कारण नई प्रवृति खोलना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 182।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण !

सिंचाई कार्यों में अवाप्त की गई भूमि

183. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक नहरों, बन्धों, तालाबों आदि सिंचाई के कार्यों के लिये कितनी कृषि योग्य भूमि अवाप्त की गई या नहरों, बन्धों, तलावों आदि के निर्माण में काम में आई है ?

(2) इस उपरोक्त कृषि योग्य भूमि के कृषि कार्यों के उपयोग में न लाने के कारण कितने कृषि उत्पादन की हानि होने का अनुमान है ?

(3) उपरोक्त **समय** में कितनी कृषि योग्य भूमि बन्धों, तलाबों, के निर्माण से डूब में आ चुकी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने फर्स्ट फाइव इयर प्लान, सेकिन्ड फाइव इयर प्लान और थर्ड फाइव इयर प्लान के जितने इरिगेशन वर्क्स सारे राजस्थान में हुए, उनके नीचे कितनी भूमि अवाप्त की गई, कहां की गई, इसकी सारी सूचना मांगी है, मेरे खयाल से यह . . .

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्ष इसकी सूचना तो राज्य सरकार के पास पहले से ही होनी चाहिये, जो भूमि अवाप्त की गई है प्रोजेक्ट प्लान में, वह इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में पहले से मौजूद है, यह तो प्रश्न बहुत पहले से भेजा हुआ है, इसलिये सूचना नहीं देने का कोई कारण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : कब तक मन्त्री महोदय, इसका उत्तर देंगे। ये तो मोटे मोटे मुद्दे हैं, सरकार के पास यह सब फीगर्स तो होने चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैकडों की तादाद में राजस्थान में तालाब बने हैं, हजारों मील लम्बी नहरें बनी हैं, दूसरे काम काज हुए हैं, हर तालाब के नीचे, हर प्रोजेक्ट के नीचे जितने कार्य हुए हैं उन सबको इकट्ठा करना एक बड़ा मुश्किल काम है। कोई डाइरेक्ट क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछ लें तो मैं इतला दे सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रश्न का महत्व इस दृष्टि से है कि कितनी उत्पादक जमीन बांध के नीचे आई, कितनी सड़कों के नीचे आई . . .

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सड़कों से उत्पादन बढ़ा या नहीं, मैं नहीं कह सकता पर सिंचाई से उत्पादन बढ़ा है· · · ·

श्री दौलतराम सारण : पहले मेरी बात सुन लीजिये।

इस प्रश्न के द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी कृषि योग्य भूमि बस्तियां बसाने के लिये अवाप्त की गई, कितनी कृषि योग्य भूमि नहरें, सड़कें और बांध आदि बनाने के काम में आई, और इससे उत्पादन पर कितना असर पड़ा है। इसका कोई रेकार्ड सरकार के पास नहीं है, अन्धाधुन्ध तरीकों से सब जमीन का उपयोग हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह साधारण लैण्ड रेकार्ड की समस्या है, अगर ऐसा रेकार्ड भी सरकार के पास नहीं है, आप इसके अन्दर भी जानकारी प्राप्त न कर सकें· · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 20 वर्षों का सवाल है।

श्री रमानन्द अग्रवाल : यह सरकार भी तो 20 वर्षों से चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 184।

श्री रामसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारी लाल व्यास !

ग्राम आसीन्द में स्थित शिकार बाड़ी की भूमि

185. श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिकार बाड़ी नामक स्थान, तहसील आसीन्द ग्राम आसीन्द में स्थित है जो जंगलात विभाग के ताल्लुक था तथा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि तथा खुमाण सागर तालाब भी तथा इसके आसपास की भूमि नं. 222 जंगलात विभाग के अधीन थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि तथा तालाब पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये थे विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अब तक नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि बिना किसी गांव वालों व जन प्रतिनिधि की सिफारिश पर जंगलात से निकाल कर राजस्व विभाग को दिये जाने की कार्यवाही चल रही है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों के पक्ष में कार्यवाही कर सारी जमीन उनको सुपुर्द करने की कोशिश की जा रही है जिसमें विभाग के लोग भी शामिल हैं ?

(6) विभाग उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ?

वन मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। किन्तु यह भूमि आराजी नं. 222 है या नहीं इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

Page No.13

(वन मंत्री)

(3) जी नहीं। खुमान सागर में अनधिकृत कब्जे का कुछ लोगों ने प्रयत्न किया था जिन्हें बेदखल कर दिया गया।

(4) जी नहीं। यह जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी है तथा उन्हें बेदखल किया जा चुका है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें कन्ट्राडिक्ट्री जवाब दिया है एक जगह तो कहते हैं कि कब्जा हटा दिया और दूसरी जगह कहते हैं कि कानूनी कार्यवाही जारी है।

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी कार्यवाही अपील की हो तो जारी हो सकती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : केस नं. 144 और 147 दायर किये गये, वे दोनों केस एक ही भूमि के हैं, उक्त भूमि से आसामी को बेदखल कर दिया गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या यह सही है कि उस जमीन पर आज भी काफी बडी बडी फसल खडी है और उस भूमि पर उसी आदमी का कब्जा है जिसने नाजायज तौर पर कब्जा किया है?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि बेदखल कर दिया गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वही आदमी उस पर आज भी काबिज है और उस पर जो फसल खडी हुई है उस फसल पर इर्रीगेशन डिपार्टमेंन्ट से पानी भी दिया गया है और जिसने नाजायज कब्जा किया था उसने उस पर रखवाली करने के लिये अपना आदमी नियुक्त कर रखा है?

श्री नारायण सिंह मसूदा : फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से केवल बेदखल किया गया सिंचाई विभाग से कुछ किया गया है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जिन अधिकारियों ने आपको गलत इन्फोर्मेशन दी है, क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह सही इन्फोर्मेशन है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं कहता हूं कि जो इन्फोर्मेशन दी गई है वह गलत दी गई है, अब भी उसी आदमी का उस भूमि पर कब्जा मौजूद है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रकार की गलत जानकारी देना कहां तक ठीक है?

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कितने बीघा भूमि है जिस पर नाजायज कब्जा किया है, और किसने किया है?

श्री नारायण सिंह मसूदा : नामों से मैं परिचित नहीं हूं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय सदस्य अगर सही सूचना दे रहे हैं तो आपको मानने में क्या आपत्ति है?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको जानकारी नहीं है कि किस आदमी ने कब्जा किया है, कब से कब्जा किया है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : दो आसामियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, बेदखली की कार्यवाही की गई है और की जावेगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या यह सही है कि आपके डी. एफ. ओ. चित्तौडगढ ने इस जमीन को फोरेस्ट विभाग से निकलाकर और राजस्व विभाग को देने की आपने सिफारिश की है और उस सिफारिश के साथ यह भी सिफारिश की है कि जिस आदमी ने नाजायज कब्जा किया है, उसको यह एलाट करदी जाय ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह सब जानकारी मुझे नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या जानकारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : की जायगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जिन अधिकारियों ने गलत सिफारिश की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : जानकारी की जावेगी।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन): इस जमीन पर कब्जा कब से चल रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको यह जानकारी नहीं कि किसका कब्जा है, इसको स्थगित करना चाहिये जब तक पूरी जानकारी न आ जाय।

श्री नारायण सिंह मसूदा : माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि अगर फोरेस्ट की जमीन है तो उचित कार्यवाही की जायगी, किसी की सिफारिश से उनको दबाने की कोशिश नहीं की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर भी वही अलग लगा रहे हैं, आपको यह भी जानकारी नहीं कि विभाग की जमीन है या नहीं, लोगों ने पेड काटकर 3-4 साल से नाजायज कब्जा कर रखा है, हर साल दो तीन फसलें पैदा करते हैं। विभाग को कुछ मालूम नहीं है उसके लिये मूव किया गया है लोग जमीन हडप करना चाहते हैं। मैं आपके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। इस लिये इस प्रश्न को स्थगित रखा जाकर नाजायज कब्जा हटाया जाय और साथ साथ उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत कार्यवाही की है उनका एक्शन लिया जाय।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि उनको बेदखल करने की कार्यवाही की गई है तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जंगलात की भूमि ....

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): कागजी बेदखल कर दिया या मौके पर? सिंचाई विभाग के द्वारा पिलाई की गई है, सदन को गलत सूचना दी है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : उनको बेदखल कानूनी तौरपर किया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फसलें जब्त करेंगे ?

Page No.15

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसमें स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। केवल यह देखना है कि जिन्हें बेदखल किया गया है, आगे की कार्यवाही हुई या नहीं। उनकी फसल खड़ी है उसके बारे में क्या किया जाय, नीलाम की जायगी या नहीं, यह बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह जानकारी भी वह नहीं देते। 150 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा करके हजारों रुपये का तीन चार साल से फायदा उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य का कहना है कि आज भी सिंचाई विभाग द्वारा पिलाई करवाई जा रही है। मन्त्री महोदय का कहना है कि बेदखल कर दिया गया है। मन्त्री महोदय को कई बातों की सूचना नहीं है इसलिये और सूचना आप मंगवायें तब तक प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : सारी सूचना मैं दे दूं इसके बाद भी कोई सूचना रह जाय तो इसक स्थगित किया जा सकता है।

शिकार बाडी वन खंड तहसील आसींद को आरक्षित वन बनाने की अन्तिम दिनांक 27-4-49 को राज-पत्र में की गई उस समय इसका क्षेत्रफल 360 बीघा था जिसमें 14) 2 बीघा मुकबुजा काश्त थी। उक्त वन खंड में खुमान सागर का क्षेत्रफल 72) बीघा था। इसके आस पास 274) 3 बीघा अन्य भूमि थी।

जो फोरेस्ट सेटिलमेन्ट विभाग ने क्रमशः खसरा नं. 3 व 2 बनाया यह भूमि रेवेन्यू आराजी नं. 222 में आती है या नहीं इसकी सूचना वन विभाग को नहीं है ?

सन् 1957 में जिलाधीश महोदय भीलवाडा द्वारा बिना राज्य आज्ञा प्राप्त किये खारी बांध के विस्थापितों को इस वन खंड में आबाद किया और इस कार्यालय को उनके पत्र एस. डी. 3774, दिनांक 7-5-57 व वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त सं.।विविध।5। 16।2492 एस. डी. 3774 दिनांक 7-5-57 व वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त सं.।विविध 5।16।2492 दिनांक 18-3-58 (प्रतिलिपि संलग्न) सूचित किया कि विस्थापितों को बमुजिब राज्य आज्ञा के शिकार बाडी में बसा दिया गया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने क्षेत्र में विस्थापितों को बसाया गया है व इस कार्यालय द्वारा लिखने पर भी अभी तक मौके की कोई निशानदेही नहीं दी है। अतः इस कार्यालय द्वारा बचे हुए क्षेत्र जो वन विभाग के कब्जे में रहा उसका सर्वे करवाया गया तो 136) 4 बीघा भूमि उक्त वन खंड में से वन विभाग के कब्जे में रही। इस 136) 4 बीघा में खुमान सागर भी है। खुमान सागर सन् 1966 व 1967 में अनधिकृत कब्जा करने का प्रयत्न किया गया अनधिकृत कब्जा करने वाले आसामी के विरुद्ध क्रमशः केस नं. 44।41 दिनांक 4-10-66 व 47 दिनांक 3-7-67 दायर किए गए हैं। इस प्रकार सन् 1966 में 7 बीघा भूमि अनधिकृत कब्जा करने का प्रश्न किया गया। इसी सात बीघा में से 6 बीघा पर सन् 1967 में फिर से काश्त करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु आसामी को बेदखल कर दिया गया है। इस समय जिलाधीश द्वारा आवन्टित भूमि के अतिरिक्त

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
खुमान सागर व वन विभाग के अधिकार की अन्य भूमि पर वन विभाग का ही कब्जा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत कि वन विभाग का कब्जा नहीं है, इसमें नाजायज कब्जा हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न को स्थगित किया गया है, यह व्यवस्था सन्तोषजनक है लेकिन अगर अनियमिततायें हुई हैं और स्पेसीफिक इन्सटेन्सेज भी प्रश्न-कर्त्ता ने रखे हैं, यहां पर जो कुछ भी मन्त्री महोदय ने कहा उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की गई तो आश्वासन का प्रश्न है, आश्वासन भी संसदीय परम्परा के अन्दर कोई स्थान रखता है। मन्त्री महोदय को कम से कम यह तो कहना चाहिए—आश्वासन के रूप में कि जल्दी से जल्दी जो अनियमिततायें सामने आवेंगी उनको ठीक करा कर और बेदखली की कार्यवाही की जायगी। यदि वे आश्वासन भी नहीं दे देते तो वे अनुदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया जा रहा है। उस समय मन्त्री महोदय चाहेंगे तो आश्वासन दे सकते हैं।

भरतपुर शहर व तहसील में ईटों के भट्टे

136. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : [श्री रामकिशन (बैर) द्वारा पूछा गया] क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर व तहसील में ईटों के कई भट्टे हैं? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कई भट्टे बिना मंजूरी लिए लगाए हुए हैं? यदि हां, तो ऐसे भट्टों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इनमें से किन्हीं ने ब्रिक्स किलन रूल्स के अंतर्गत कोई पेनल्टी चार्जेज अदा किए हैं? यदि हां, तो कितने और किस किस ने ?

(4) उपरोक्त भट्टों में सुभाष चन्द्र मटोली राम व रामस्वरूप राजेन्द्र प्रसाद के नाम से भी भट्टे थे या नहीं? यदि हां, तो कब से ?

(5) क्या यह सही है कि कलेक्टर भरतपुर ने इन भट्टों को अनधिकृत रूप से चलाने के कारण बंद करने का कोई हुक्म दिया था? और क्या इस बारे में राजस्थान सचिवालय की रेवेन्यू शाखा से रेवेन्यू सचिव अथवा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के जाली हस्ताक्षरों से कोई जाली स्टे-आर्डर कलेक्टर भरतपुर व तहसील भरतपुर के नाम से भेजे गए थे? यदि हां, तो उनकी तामील की गई ?

(6) क्या यह सही है कि उन जाली आदेशों में एक आदेश रामस्वरूप राजेन्द्र प्रसाद के नाम से एक भट्टे को 19 या 20 हजार की जमानत पर चालू रखने संबंधी था और क्या यह सही है कि उक्त जमानत लेकर उक्त भट्टे को चालू रखने की इजाजत दी ?

उप मंत्री, राजस्व : (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पूर्णतः सूचना नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री श्रवणलाल : इनको बैठा क्यों रखा है ?

श्री रामकिशन : कम से कम चार साल से यह मामला भरतपुर शहर का चल रहा है और अभी तक आपको सूचना नहीं मिली ? अगले सत्र में तो इसका जवाब आ जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को सूचना नहीं है ।

श्री रामकिशन : अगर मंत्री महोदय को बांधा नहीं गया तो आगे सत्र में भी जवाब नहीं आयेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इन्फार्मेशन को देने से इन्कार किया जाय । पहले भी सदन में इस प्रकार की सूचना मांगी गई थी । नाजायज तौर से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है । आप कोई भी समय निर्धारित कर दें । आप स्थगित करके प्रश्न को सदन में जब यह दुबारा मिले तो पहले सप्ताह में दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले सप्ताह म इसकी सूचना दे दी जाय ।

श्रीमती रानी लक्ष्मी कुमारी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी राजस्व विभाग के प्रश्न का जवाब नहीं मिला । आज फिर सूचना मांगी गई है, राजस्व विभाग से तो जवाब मिला है कि सूचना नहीं आई आखिर ये प्रश्न क्यों खाते जाते हैं । इनके पास सूचना क्यों नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगित किया गया । आर्डर प्लीज ।

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री केसरीसिंह ।

"आखरी खत" फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्ति

187. श्री केसरीसिंह हाडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सरकार को जयपुर के पोलोविक्ट्री सिनेमा घर से मनोरंजन कर के रूप में उसमें फिल्म 'आखरी खत' लगने की तारीख से 21-7-67 तक कितनी आय हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार ने तारीख 22-7-67 से 'आखरी खत' फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया था ?

(3) क्या अन्य किसी राज्य में इससे पहले इस फिल्म को मनोरजन कर से मुक्त किया गया था ? अगर हां, तो किस जगह ?

(4) क्या यह सही है कि पोलोविक्ट्री में जब से उक्त फिल्म चली और जब से कर मुक्ति प्राप्त की रोजाना पांच शो किये गये थे ? क्या पांच शो करने की स्वीकृति सरकार से ले ली गई थी ?

(5) इस फिल्म में ऐसी क्या खासियत थी जिसके कारण सरकार ने मनोरंजन कर से मुक्त किया ?

(6) क्या सरकार ने इसको कर से मुक्ति देने से पूर्व इस फिल्म के बारे में कर अधिकारियों से राय ली थी ?

उप मंत्री, वित्त (श्री प्रद्युम्नसिंह) : इस प्रश्न के सम्बन्ध में ......

श्री केसरीसिंह हाडा : कुछ भी सुनाई नहीं दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: इस प्रश्न के भाग 3 में अन्य प्रान्तों से सूचना आनी बाकी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्थगित किया जाय।

(शोर गुल)

श्री **उपाध्यक्ष**: आर्डर। आर्डर। प्रश्न कर्ता।

श्री केसरीसिंह हाडा : शर्म की बात है जो प्रश्न पूछा जाता है, उसी का जवाब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि और जगह की सूचना तो नहीं आई लेकिन पोलो विक्ट्री सिनेमा तो जयपुर में है। इसकी सूचना तो बता दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह: प्रश्न के भाग 3 में माननीय सदस्य ने पूछा है इससे पहले इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त कहां कहां किया गया था। इस देश में उपाध्यक्ष महोदय, छोटे बड़े 18 प्रान्त है। वहां से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री केसरीसिंह हाडा: मेरा निवेदन है कि इस भाग को छोड़ दिया जाय। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बाकी का उत्तर दे दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: (उप मन्त्री वित्त श्री प्रद्युम्नसिंह की ओर मुखापेक्ष करके) भाग 3 को छोड़कर उत्तर देने की स्थिति में हैं ?

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: जी नहीं।

श्री केसरीसिंह हाडा: जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जोधपुर का एक ठेकेदार फंसा हुआ है। इसलिये उसको बचाया जा रहा है।

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम की आवाज)

श्री रामानन्द अग्रवाल: सरकार की तरफ·

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): बिल्कुल बन्द हो गया। कोई सुनवाई जैसी वस्तु ही नहीं रही।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री जुझारसिंह (शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): भाग 3 को छोड़ने के लिये कह दिया अब तो जवाब दे दें। फिर भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं ?

श्री जय नारायण सालोदिया: भाग-3 को छोड़ने के बाद तो जवाब देना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अन्तर्गत प्रश्न देने की अवधि नियत की गई है। हम राज्य सरकार के मन्त्रियों के सामने अपेक्षा करते हुए यह प्रश्न करते हैं। नियमानुसार 15 दिन का समय राज्य सरकार और मन्त्रियों को नियमों के अनुकूल दिया जाता है। उस समय में राज्य सरकार उन सारे प्रश्नों को जांच करा कर उत्तर दें। (श्री उपाध्यक्ष के देखने पर) मैं ब्रीफ में और संरक्षण चाहता हूं क्योंकि सदन के प्रत्येक सदस्य की जो कोई मांग होगी उसको राज्य सरकार अवहेलना करने लगेगी माननीय

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

उपाध्यक्ष महोदय तो हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक और सही मायने में निवेदन करता हूं कि मैं सदन से आसन से इस प्रकार का निर्देश चाहता हूं कि राज्य सरकार के मन्त्रियों को जब जयपुर शहर के मामले का एक प्रश्न है और वे उत्तर देने के लिये हजारों रुपये तार और टेलीफोन में बरबाद कर देते हैं। जयपुर शहर से दो मिनट में सूचना आ जानी चाहिये वह भी नहीं आती तो आखिर हम जायें तो कहां। मैं आसन से निर्देश चाहता हूं कि राज्य सरकार के मन्त्रियों को बाध्य किया जाय, इस प्रकार का कोई निर्देश दें।

श्री **उपाध्यक्ष**: उत्तर समय पर दिया जाना चाहिये। नियम यही कहते हैं। परिस्थिति वश सूचना एकत्रित नहीं हो सके तो स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन पिछले दो-तीन दिन में ज्यादा प्रश्न स्थगित हुए हैं।

इसलिये माननीय मन्त्रीगण इस बात की ओर ध्यान दें कि सूचना समय पर एकत्रित की जा सके। श्री जुझारसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: माननीय मन्त्री महोदय को आखिरी खत कब प्राप्त हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इसमें जानकारी के लिये राजधानी के बाहर खतोकिताबत न करके केवल राजस्थान के एक ही डिपार्टमेन्ट से जानकारी करनी थी। एप्लीकेशन निकालनी थी कि आखिरी खत चित्र है इसको मनोरंजन कर से मुक्त किया जाय-इसकी एप्लीकेशन होगी। कुछ आफिसर्स ने इसको रिकमन्ड किया होगा केवल वह जानकारी देनी है और···

श्री उपाध्यक्ष: अन्य किसी राज्य के अन्दर इसको माफी दी गई होगी। यह भी देखना था।

एक माननीय सदस्य: अन्य राज्य वाले भाग को पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : जो एप्लीकेन्ट है, वह अपनी एप्लीकेशन में लिखता है। उसे ही राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार मान लेती है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर से मुक्त करने के लिये राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों को नहीं पूछा है। चित्र की वास्तविकता और प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह भी······

श्री उपाध्यक्ष: किसी न किसी राज्य को पहल करनी ही होती है, उसमें से···

श्री भैरोंसिंह: करें।

श्री उपाध्यक्ष: यहीं से शुरुआत हो।

श्री भैरोंसिंह: वह बतादें किस आधार पर मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह: ऐसे 15-15 दिन का समय दे दें और फिर भी···!

श्री केशरीसिंह हाड़ा: 15 दिन नहीं साहब इसको 7 महीने हो गये उपाध्यक्ष महोदय।

Page No.20

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुझारसिंह ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: 7 महीने हो गये और अभी भी इसका जवाब नहीं है, बड़े खेद की बात है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह: 7 महीने नहीं हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह: आपको तो हो गये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मुझे तो इससे ज्यादा हो गये ।

श्री विजय सिंह (मकराना): 9 महीने तो नहीं हुए हैं न ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुझार सिंह ।

कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में सिंचाई साधनों पर व्यय

188. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मण्डी) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा, बून्दी व झालावाड़ के जिलों में किन किन लागत के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये थे और उन पर कितना कितना रुपया व्यय किया गया ?

(2) कालीसिंध पिकअप वेयर व भीम सागर बान्ध पर नहरों की मरम्मत व सिंचाई के साधन बढ़ाने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और अलग अलग कितनी उपयोग में लाई जा सकी है ?

(3) क्या यह सही है कि बहुत सी रकम अस्वीकृत योजनाओं पर भी खर्च की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थान पर और क्यों ?

(4) बून्दी जिले व खास तौर से वर्ड के इलाके में कितनी रकम किन किन मुद्दों पर खर्च हुई और उनसे कितने सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि शाहबाद क्षेत्र जिला कोटा में तालाबों व नहरों की मरम्मत व सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु कुछ योजनायें चालू की गई थी ? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ? उन योजनाओं पर अलग अलग क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) कोटा जिले में 8,84,000 रु. की लागत का छत्तर पर बान्ध 1966-67 में स्वीकृत किया गया । इस पर अब तक 20, 354 रु. खर्च हो चुका है ।

(2) काली सिंध पिकअप वेयर पर 1966-67 में 1,03,000 रु. की धनराशि स्वीकृत की गई थी । जिसमें से बान्ध पर 26743 रु. व नहरों पर 28,801 रु. खर्च हुआ । इसी काम के लिये 1967-68 में 3,90,000 रु. स्वीकृत हुआ जिसमें से बान्ध पर 64,579 रु. व नहरों पर 1,31,462 खर्च किया जा चुका है । इसी प्रकार भीम-सागर बान्ध 1966-67 में 73,000 रु. स्वीकृत किया गया था व खर्च 74,140 रु. हुआ ।

(3) जी नहीं ।

(4) सूची संलग्न है ।

(5) शाहबाद क्षेत्र में खटका, छत्रपुरा एवं खारोल तलहटी योजनाओं पर काम कराया गया जिसमें खटका, छत्रपुरा एवं खोरोल तलहटी योजनाओं पर 1966-67 में क्रमश: 47001) 620) 226) रु. खर्च हुआ एवं 1967-68 में 34151) 19734)

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

7992) रु. खर्च हुआ, खटका तथा छत्रपुरा योजनाओं का कार्य अधिक प्रगति इसलिये नहीं कर सका कि ठेकेदार टेन्डर देने नहीं आते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जुझारसिंह: क्या आप यह बता सकते हैं कि 66-67 में कालीसिंध पिकअप के लिये 1 लाख 38 हजार रुपया सेंक्शन किया गया था जिसमें से 55 हजार ही खर्च किया गया और, 67-68 में इसके लिये 3.90 हजार की मन्जूरी दी थी जिसमें से दो लाख से कम खर्च हुआ पैसा पूरा खर्च नहीं कर सकने के क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: 67-68 का वर्ष तो अभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी तो 68 का साल खत्म नहीं हुआ है। 3.90 हजार रुपया स्वीकृत हुआ है जिसमें से 64 हजार और 1 लाख 31 हजार 462 रुपया नहरों पर व्यय हुआ है अभी समय बाकी है।

श्री जुझारसिंह: इसका रुपया कहीं दूसरी जगह तो नहीं लगाया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मेरी जहां तक जानकारी है एक तालाब के लिये स्वीकृत रुपया दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता तालाब पर यदि वह खर्च नहीं हुआ है तो रिएप्रोप्रियेशन करवा कर दूसरी जगह काम करने के लिये लगा सकते हैं ?

श्री जुझारसिंह: वर्ड के इलाके के लिये आपने फरमाया 17 जगहों पर खर्च करने की सूची दी है जिसमें से 13 स्थान ऐसे हैं जिनसे 100 एकड़ से कम सिंचाई होती है तो क्या आप 100 एकड़ के नीचे की स्कीम को अपने हाथ में नहीं लेते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वर्ड के कामों की जो लिस्ट दी है उसको एक एक करके अलग अलग देखना आवश्यक नहीं है यह एक सिस्टम है ऐसे कई बान्ध बान्धने पड़ते हैं जिससे पानी एक जगह रुका रहता है जो बड़ी कल्टीवेशन के लिये मददगार होता है और गवर्नमेन्ट की इनकम भी होती है। यह एक सिस्टम है इसको इनडिविज्युअल टैंक्स की तरह नहीं देखा जा सकता। यह सिस्टम पुराना चला आ रहा है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करके 1 लाख से कुछ अधिक रुपया खर्च किया गया है।

श्री जुझारसिंह: 100 एकड़ से नीचे की स्कीम पंचायत समिति द्वारा पूरी की जाती है 100 एकड़ से ऊपर की स्कीम सिंचाई विभाग अपने हाथ में लेता है ?

श्री उपाध्यक्ष: मन्त्री महोदय ने फरमाया कि यह एक सिस्टम है।

श्री जुझारसिंह: बून्दी कोटा और दूसरी जगह तो आपने यह अपने हाथ म नहीं लिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कहीं से मांग नहीं आई थी मांग आयगी तो आवश्यकता होगी तो और जगह भी इस प्रकार के सिस्टम्स के लिये सरकार रुपया खर्च कर सकती है।

श्री जुझार सिंह: दो चार तो मैंने मेरे इलाके के बारे में आपको लिखा है जैसे उजड़ा नदी पर····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने जो योजनायें बतायी थी वह लिफ्ट इरिगेशन की थी लिफ्ट इरिगेशन की बात चम्बल लिफ्ट इरिगेशन के अन्तर्गत आती है। एक योजना जो सरकार के विचाराधीन है दूसरी योजना जो ज्यादा कोस्टली होती है लेना ठीक नहीं होता इसलिये मैंने निवेदन किया।

श्री जुझारसिंह : शाहाबाद में जो तालाबों की स्कीम आपके विचाराधीन थी उसको स्थगित कर दिया है या चालू है?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : शाहाबाद तहसील की दो योजनायें जिनका जिक्र उत्तर में किया गया है खटका और छत्रपुरा ये योजनायें सरकार ने स्थगित नहीं की लेकिन ये योजनायें अधिक प्रगति नहीं कर सकी इसका कारण यह है कि असुरक्षित क्षेत्र होने के कारण कई बार टेन्डर काल करने पर भी ठेकेदार नहीं आते हैं इसकी वजह से धीमी गति रही है।

एक माननीय सदस्य : असुरक्षित क्षेत्र क्या असुरक्षित ही रहेगा? काम होगा ही नहीं।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अन्तिम तारीख निश्चित कर दी है टेन्डर काल करने की अगर कोई टेन्डर नहीं आयगा तो डिपार्टमेन्टल तरीके से इस काम को शुरु करेंगे इस काम को पूरा करने में प्रयत्नशील हैं और रहेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यह सही है खटका और छत्रपुरा तालाब का निर्माण करने का काम विभागीय तौर पर करने के आदेश हो चुके थे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिपार्टमेन्टल वर्किंग के तौर पर करने के आदेश नहीं हुए हैं लेकिन वहां पर मौके पर जो इन्जीनियर्स होते हैं वे परिस्थितियों को देखकर डिपार्टमेन्टल वर्क या वर्क आर्डर बेसिस पर काम प्रारम्भ कर सकते हैं इसके अन्तर्गत 17 हजार रुपये का काम भी किया गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने इरिगेशन विभाग में जाकर देखा है दोनों तालाबों के विभागीय कार्यवाही कराने के आदेश हो चुके थे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया डिपार्टमेन्टल वर्किंग और वर्क आर्डर की बेसिस पर करा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

हिन्दी के माध्यम से शिक्षा

189. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा आयोग तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से प्रावधिक एवं उच्चतम स्तर तक शिक्षा देने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने राजस्थान में पूर्ण रूप से हिन्दी के माध्यम से उच्चतम शिक्षा तथा प्रावधिक शिक्षा देने की स्थिति में आने का कितने वर्ष का कार्यक्रम बनाया है?

(2) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्रीय भाषाओं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के विकास के लिए एक करोड़ रुपये के राज्य सरकार की अनुदान की पेशकश को स्वीकार करके इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया ?

(3) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी एवं कालेज टीचर्स एसोसियेशन द्वारा अपने दसवें सम्मेलन में पारित प्रस्ताव द्वारा स्टेन्डर्ड पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद के सम्बन्ध में दिये सुझाव पर विचार किया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

भाषा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न का ताल्लुक भाषा विभाग से है और शिक्षा विभाग से भी है तो आप उनको ट्रान्सफर कर देते । क्या आपकी उनसे बोलचाल नहीं है या लड़ाई है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है ।

नेक्स्ट, श्री दौलतराम

अनुसूचित जाति सेवा संघ द्वारा संचालित छात्रावास

190. **श्री दौलतराम** (देसूरी): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति सेवा संघ द्वारा संचालित छात्रावास गांव सादड़ी जिला पाली में व ग्राम कांवट जिला सीकर में खोला गया है ?

(2) इन छात्रावासों को राज्य सरकार से अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्रतिवर्ष मिलती है और यह धनराशि कब से मिल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि छात्रावासों में छात्रों को भर्ती करने के पूर्व एक सौ रुपये उनके संरक्षकों से लिये जाते हैं, यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त छात्रावासों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की तरह वैसी ही व उतनी ही सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त अनुसूचित जाति सेवा संघ के कार्यालय में कितना स्टाफ है और उनको क्या क्या वेतन मान दिया जाता है व कब से? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) (1) जी हां ।

(2) इन छात्रावासों के लिये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) छात्रावासों में प्रवश के समय छात्र के अभिभावक से 100 रुपये काशन-मनी के लिये जाते हैं जो कि छात्र द्वारा छात्रावास छोड़ने पर लौटा देने होते हैं ।

(4) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो सुविधायें दी जाती हैं वे इन छात्रावासों में भी उपलब्ध हैं । राजकीय छात्रावासों में और स्वयं सेवी संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं में कुछ अन्तर है ।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(5) संघ के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यालय मन्त्री को सन् 1964-65 से 200 रुपये माहवार तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 80 रुपये माहवार का वेतन संस्था द्वारा दिया जाता है अन्य कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं दिया जाता। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री दौलतराम : प्रश्न संख्या 5 में यह पूछा थे अनुसूचित जाति सेवा संघ के कार्यालय में कितना स्टाफ है और उनको क्या क्या वेतन मान दिया जाता है उसकी सूची चाही थी वह नहीं दी गई है ? इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कार्यालय मन्त्री को 200 रुपये माहवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 80 रुपये दिया जाता है इसमें सूची रखने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): जब 200 रुपया किसी को देते हैं उसका नाम तो बतायें ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: नाम की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : नामों की सूची मांगी गई है जब आप तनखा बता रहे हैं तो नाम बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या वास्तव में कोई आदमी है या नहीं या यों ही वेतन ड्रा कर लिया जाता है ?

श्री पृथ्वीसिंह: क्या यह सही है कि जो मन्त्री है वह किसी भूतपूर्व मन्त्री के रिश्तेदार हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर): क्या नाम है इनका आखिर तनखा तो किसी को देते होंगे? क्या नवाब लोहारू को या व्यासजी को तनखा दी जा रही है ?

(12 मध्यान्ह)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान देने से पहले.....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आर्डर आर्डर....

श्री नारायणसिंह मसूदा : चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट में नाम दर्ज नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सर्टिफिकेट किस साल का है ? यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट हर अनुदान में मांगा जाता है ?

श्री दौलतराम : श्री पूनमचन्द वर्मा डांगीजी के साले हैं। कालेज में पढते हैं उनको यह वेतन दिया गया है। इसलिये आप नाम बताने में हिचकिचा रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : सेक्रेटरी और चपरासी को वेतन अनुदान की राशि में से नहीं देकर चन्दे की राशि में से दिया जाता है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : चन्दा भी करना चाहिये पर अनुदान तो चार्टर्ड अकाउन्टेंट

(श्री नारायण सिंह मसूदा)
की रिपोर्ट के बाद में नियमानुसार दिया जाता है। जिसका अर्थ यह है कि जन सहयोग भी मांगना चाहिये ।

श्री **रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर) : मेरा प्रश्न तो यह है ....

(शोरगुल : कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यह बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय कि दो सौ रुपया जिनको दे रहे हैं वे कालेज के विद्यार्थी हैं और कालेज में पढ़ते हैं और जो सौ रुपया छात्रों से लिया बताया जा रहा है वह क्या अन्यत्र भी लिया जाता है, अन्य जगह तो केवल 10 रुपया लिया जाता है। फिर मेरी जानकारी यह भी है कि यह सौ रुपया उनको वापिस भी नहीं दिया जाता ।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है कि वह 200) पाने वाले की डिटेल के बारे में क्या है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसमें विभाग को सूचना देनी चाहिए थी । सूचना सदन की मेज पर रखी है फिर कहा गया है तो यह सूचना आपको देनी चाहिये ।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : यह पोस्टपोन कर दिया जाये ।

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : ये 200) पाने वाले डांगीजी के साले हैं और कालेज में पढ़ते हैं, उनको घर बैठे तनख्वा मिलती है । यह पूनमचन्दजी परमार डांगीजी के साले हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री विजयसिंह रावत ।

श्री **भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय ,

श्री **जयनारायण सालोदिया** : क्या इसका बराबर हर साल आडिट होता है ?

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : बराबर आडिट हुआ है । 65-66 का आडिटेड स्टेटमेन्ट प्राप्त होने पर उस समय की अर्ज कर सकूंगा। इस संस्था के वित्तीय वर्ष 64-65 और 65-66 में अनुदान दिया गया है । 66-67 में कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

श्री **भैरोंसिंह** : एक प्रश्न है मेरा । इस प्रश्न का जिस प्रकार से उत्तर दिया गया है उसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी और मंत्री में कोई अन्तर रहा है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न । श्री विजयसिंह रावत ।

भूमिहीन किसानों को अनुदान

191. श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को एक एक हजार रुपये के अनुदान मिलने की योजना सन् 1952 से चली आ रही है ? और इस एक एक हजार के अनुदान में एक एक गाय

(श्री विजयसिंह रावत)
रुपया राज्य सरकार का हिस्सा शामिल करना तय किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था ? यदि हां, तो क्या इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें ।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में उक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी भूमिहीन किसान को भूमि व एक हजार रुपये का अनुदान नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसके क्या क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम) : (1) जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन कृषकों को पुनर्संस्थापन करने संबंधी योजना भारत सरकार द्वारा रखी गई थी । इस में जो राशि भूमिहीन कृषकों को दी जाने वाली थी उसकी अधिकतम सीमा 750) प्रत्येक भूमिहीन काश्तकार के लिये रखी गई थी उसमें 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण का प्रावधान था । तथा इसके अतिरिक्त 250 रुपया काश्तकार को स्वयं को भी व्यय करने का प्रावधान रखा गया था ।

(2) जी, यह सही नहीं है ।

(3) इस योजना को भारत सरकार द्वारा राजस्थान नहर विकास योजना के साथ लगा दिया गया है इसलिये यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या इसको कार्यान्वित करने के लिये राज सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब उत्तर में है ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह भारत सरकार की योजना थी और राज सरकार को वहां से अनुदान दिया गया था एक एक भूमिहीन काश्तकार को एक एक हजार के हिसाब से ।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसका भी उत्तर दे दिया गया है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : इस संबंध में भारत सरकार को योजना बनाकर सारे खर्चे का हिसाब जब भेजा गया भूमिहीनों में आवंटन करने के लिये तो वह 22 अक्टूबर 65 को भेजी थी भारत सरकार की स्वीकृति हेतु । इसमें 1,10,193 भूमिहीन परिवारों के लिये कुल 8,26,44,750) रुपये जिसमें 6,19,83,563) रुपये अनुदान तथा 2,06,61,117) रुपये खर्च दिये जाने की स्वीकृति तथा धनराशि अलाट करने के लिये निवेदन किया गया था । इसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार द्वारा दिनांक 4-1-66 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया कि भारत सरकार 8-4-64 के पत्र के अनुसार राशि रिएम्बर्स की जा सकेगी परन्तु भूमिहीनों की संख्या जो असाधारणतया वृद्धि को प्राप्त हो चुकी थी अतः इस योजना पर पुनः विचार किया गया ताकि यह योजना अधिक

Page No.27

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

व्यवहारिक हो सके। वित्त विभाग की राय के अनुसार 1966-67 के वर्ष में 5000 कृषक परिवारों को ही बसाये जाने के लिये 1967-68 से 1970-71 तक प्रति वर्ष 30,000 परिवारों को बसाये जाने की योजना बनाई गई। योजना विभाग, राजस्थान से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् यह योजना भारत सरकार से अनुमोदित करवाये जाने हेतु दिनांक 24-12-66 को भेजी गई। इसके पश्चात् भारत सरकार को 3 मई सन् 1967 व अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 1 जून सन् 1967 को स्मरण करवाया गया। इसी बीच में टेलीफोन द्वारा एवं विशेष सम्वादवाहक को दिल्ली भेज कर अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया किन्तु भारत सरकार के पत्र दिनांक 13-6-67 द्वारा यह बताया गया कि इस योजना को राजस्थान नहर विकास योजना के साथ लगा दिया जाय। इसलिये यह क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसे राजस्थान इरिगेशन योजना में स्वीकार करके दस हजार कृषकों को एक हजार प्रति व्यक्ति अनुदान देने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अलाटमेन्ट हो गया है? और चालू वर्ष की योजना में शामिल है और इसे बजट अलॉट है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो बजट के वक्त मालूम होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कैसे कह सकते हैं? चालू वर्ष में आपने प्रोविजन किया होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह चालू वर्ष में तो स्वीकार ही नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : और भी इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस योजना में जितना रुपया मिलना चाहिये था वह नहीं मिला इस चालू साल भी नहीं मिला। तो क्या अगले साल के लिये आश्वासन नहीं दे सकते मंत्री महोदय।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि भारत सरकार पैसा देना चाहती थी, पर समय पर राज्य सरकार की तरफ से योजना नहीं भेज सकने के कारण पैसा प्राप्त नहीं हो सका?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : योजना तो भेज दी गई थी। पर भारत सरकार ने कहा कि इतना रुपया नहीं दे सकते।

श्री दौलतराम सारण : योजना बाद में भेजी। और अब अर्थाभाव के कारण इस योजना को राजस्थान नहर विकास योजना के साथ लगा दिया गया है। पर यह राज सरकार पहली दूसरी और तीसरी योजना में पैसा नहीं ले सकी। इससे अधिक शर्म की बात क्या है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय को मैं बाध्य तो नहीं कर सकता, पर कृपा करके इस समस्या को आगामी बजट

Page No.28

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
बनाते वक्त ध्यान में रक्खेगी और प्रावधान इसके लिये रखने का विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पत्र वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है और इसका जरूर ध्यान रखा जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

ग्राम रोहट में काश्त की जमीन तथा बिगोडी की वसूली ।

192. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गांव रोहट, तहसील पाली में कुल कितनी जमीन काश्त की है और इसमें से कितनी जमीन की बीगोडी आती है ? शेष कितनी जमीन किन के कब्जे में है जो बिगोडी नहीं देते हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

(2) क्या यह सत्य है कि रोहट ग्राम में बहुत से बडे बडे लोग अतिक्रमणकारी हैं और बडी बडी काश्त की भूमि पर नाजायज कब्जा कर बैठे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको बेदखल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या गांव रोहट में गोचर जमीन है ? यदि है तो कौन कौन से खसरे में ? सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम) : (1) ग्राम रोहट तहसील पाली में कुल जमीन 34803.3।4 बीघा 4 बिस्वा है, इसमें काबिल काश्त भूमि 19563.3।4 बीघा चार बिस्वा है, जिसकी बिगोडी 10568 रुपया 38 पैसा आती है । शेष 15240 बीघा भूमि में से 7350 बीघा 3 बिस्वा नाकाबिल काश्त है, 5437 बीघा 9 बिस्वा भूमि 199 अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है जिसकी नामवार व रकबेवार सूचना संलग्न अनुसूचि (ख) में अंकित है । इसके अतिरिक्त 2452 बीघा 8 बिस्वा इस ग्राम में गोचर भूमि है ।

(2) अतिक्रमण कारियों की सूची संलग्न कर दी गई है । नियमानुसार बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां, ग्राम रोहट में 2452 बीघा 8 बिस्वा भूमि गोचर घोषित शुदा है जिसकी खसरे वार सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : यह 199 अतिक्रमणकारी कौन कौन हैं ?

श्री गंगाराम: इनकी अलग 2 सूची नहीं है । इनको बेदखल करने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कब से है ?

श्री गंगाराम : ये अलग 2 तिथियां मेरे पास नहीं हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि गोचर भूमि में भी अतिक्रमण हुए हैं ।

श्री गंगाराम : गोचर भूमि में अलग अतिक्रमण के सम्बन्ध में सूची में अगर खसरा नम्बर है तो होगा, अलग से सूचना नहीं है ।

Page No.29

श्री पृथ्वी सिंह बाली : उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण कारियों को बेदखल कब तक कर देंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रेगुलेराइज हो जावेगा ।

चूरू तहसील के अभावग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

163. श्री **रावतराम** (छापर) (श्री चुन्नीलालइंदलिया द्वारा पूछा गया): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 66-67 के वर्ष में अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत चुरू तहसील के अभाव ग्रस्त गांवों में पीने के पानी हेतु सरकार ने कुओं को चालू करवाया ? यदि हां, तो किन किन गांवों में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

(2) उक्त कुओं के लिए किन किन ने टेन्डर दिये और किन किन के स्वीकृत किये गये ?

(3) उक्त कुएं कब से कब तक कितनी अवधि तक चले ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कुओं का पेमेन्ट सम्बन्धित व्यक्तियों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को कितना कितना यदि नहीं तो क्यों ? पूरे विवरण सहित सूचि सदन की मेज पर रक्खें ।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गगाराम): (1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) गांव वार टेन्डर देने वाले तथा जिनके नाम टेन्डर स्वीकृत हुए उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) गांव खींवसर में दो कुए दिनांक 12-5-66 से 31-7-66 व एक कुआं दिनांक 21-5-66 से 31-7-66 तक । खेजूसर में दिनांक 8-5-66 से 24-7-66 तक। इन्द्रपुरा में दिनांक 10-5-66 से 21-6-66 तक । आसलखेडी में झारियों में दिनांक 9-5-66 से 24-6-66 तक । सरसला में दिनांक 17-12-65 से 15-8-66 तक । बूटिया में दिनांक 10-5-66 से दिनांक 5-7-66 तक । सोमासी में दिनांक 9-5-66 से 24-7-66 तक चालू रहे ।

(4) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

पंचायत समिति परबतसर द्वारा दिये गये ऋण ।

194. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) परबतसर पंचायत समिति के ग्राम ढांढोता के सरपंच ने पंचायत समिति से कितना ऋण लिया है और कब ?

(2) क्या जिस प्रयोजन के लिये ऋण लिया गया था वह कार्य पूरा हो गया है ?

(3) परबतसर पंचायत समिति ने जनवरी से मार्च 1967 तक किस किस को कितना कितना ऋण किस किस कार्य हेतु दिया है ? क्या जिन कार्यों के लिये ये ऋण दिये गये हैं वे कार्य हो गये हैं ?

(4) परबतसर पंचायत समिति ने भेड़ों के लिये कितना कितना ऋण किस

(श्री परसराम गंगाराम)
किस को दिया है ? क्या इनसे भेड़ों की खरीद कर ली गई है ?

(5) क्या परबतसर पंचायत समिति की ढांडोता पंचायत का ऑडिट करवाया गया है ? यदि कर दिया गया है तो कब और ऑडिट रिपोर्ट क्या है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) नया कुआ बनाने को 1000) दिनांक 26-3-63 को व 1000) दिनांक 30-3-64 को।

गायें खरीदने के लिये 1600) दिनांक 24-4-67 को व 2000) दिनांक 11-5-67 को 400) दिनांक 3-6-67 को।

(2) कुए का निर्माण हो चुका है। गायें पूरी नहीं खरीदी गई हैं।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। ऑडिट दिनांक 26-10-67 को हुआ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री परसराम : क्या इसका यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : दोनों कामों के लिये ऋण मिला उन दोनों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल गये।

निलंबित पटवारियों के मामले

195. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को सस्पेण्ड करने के बाद छ माह तक विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली जाय ? यदि हां, तो जिला नागौर में 31 मई 1960 से दिनांक 31 मई 1967 तक कितने पटवारी सस्पेण्ड किये गये और उनका कब कब फैसला किया गया तथा फैसला करने और सस्पेण्ड करने के बीच कितना समय लगा ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामलों में फैसला करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकार राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करके लम्बे समय तक विभागीय जांच चालू रखने और सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कार्यवाही के दौरान जो समय अवधि से ज्यादा लगा है उनके मुख्य कारण यह हैं कि पटवारियों द्वारा आरोप पत्र उनसे तामील करने के बाद उसका प्रत्युत्तर समय पर नहीं देने के कारण जांच सम्पन्न करने में देरी हुई। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारी को सस्पेण्ड करने के बाद में चार चार साल तक फैसला न हो और उत्तर यह दें कि प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह कहां तक उचित है। एक पटवारी को चालीस महीने तक सस्पेन्ड रक्खा परेशान किया जब कि विभागीय आदेश हैं कि छ महीने में इस प्रकार के मामले को निपटाया जावे।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : मैंने सूची को देखकर अनुभव किया है कि वास्तव में यह जांच के मामले में देर होती है और इसलिये मैं जल्दी ही कोई ऐसा तरीका निकालूंगा जिससे यह जल्दी से जल्दी साल भर में समाप्त हो जावे।

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : यह तरीका कितने समय में निकलेगा।

श्री **उपाध्यक्ष**: हरेक प्रश्न पर सप्लीमेन्ट्री पूछना आवश्यक नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : यह हमीरसिंह चार साल नौ माह से सस्पेन्ड हैं इसका क्या कारण है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**: मैंने स्वयं ने लिस्ट देखी है। अब जल्दी करने का प्रयत्न करेंगे।

जिला बाड़मेर में विस्थापितों की सहायता

196. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् 1965 में भारत पाक संघर्ष के समय विस्थापितों की सहायतार्थ जिलाधीश बाड़मेर को सार्वजनिक संस्थाओं प्रतिष्ठानों व भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो सामान के रूप में सहायता भेजी गई थी उसमें से अब किस किस प्रकार का सामान शेष रहा है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस संबंध में किस किस प्रकार के खाद्य पदार्थ वितरण हेतु जिलाधीश को कब कब प्राप्त हुए और इसमें कितने सामान का कब कब वितरण किया गया ?

(ग) इस सामान का इस अवधि में यदि वास्तविक सत्यापन हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

पुनर्वास मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) संलग्न तालिका ख में दिया गया है।

(ग) सत्यापन रिपोर्ट मय प्रमाण-पत्र के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

ग्राम पुरेरा में माता की बाण रपट का निर्माण कार्य

197. **मेजर श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.32

(मेजर श्री फतेहसिंह)

(1) पंचायत समिति जवाजा (जिला अजमेर) के ग्राम पुनेरा की माता की बाण नामक रपट का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ और इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ ?

(2) क्या यह बात सही है कि इस रपट के निर्माण कार्य के संबंध में धन के दुरुपयोग किये जाने की शिकायत पर नायब तहसीलदार, ब्यावर ने जांच करके सन् 1964 में रिपोर्ट पेश की थी कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच ने 160 रु. का गबन किया है ?

(3) क्या नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पिछले कई वर्षों से जिला परिषद्, अजमेर के कार्यालय में पडी हुई है लेकिन प्रमुख द्वारा जान बूझकर सरपंच के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

पंचायत व सामुदायिक मंत्री : (श्री परसराम मदेरणा) : (1) कार्य 31 मई 1962 को समाप्त हुआ व कुल व्यय 15047.75 पैसे हुआ।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मेजर श्री फतेहसिंह : सही बात यह है कि स्वीकृति हुई थी उसमें से 14 हजार और कुछ रुपया खर्च हुआ। कुछ रुपया गबन हुआ। ऑडिट रिपोर्ट नहीं। नायब तहसीलदार ने जांच की। उसकी रिपोर्ट का पता नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : आप जो कुछ कह रहे हैं सब गलत है। पंचायत समिति ने जो ऋण इस रपट को बनाने के लिये दिया है वह 48285) रुपया है। इसलिये यह कहने कि 15 हजार का ऋण दिया गया है-यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं कहता हूं इस काम पर 15 हजार की स्वीकृति हुई थी और 14 हजार कुछ रुपया खर्च किया था। बाकी रुपया गबन हो गया। नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर जांच की और कहा है कि गबन हुआ है। और वह रिपोर्ट जिला प्रमुख के पास पडी है पर जिला प्रमुख जान बूझकर सरपंच के खिलाफ राजनैतिक कारणों से कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस सरपंच का संबंध कांग्रेस दल से है और आप उन चोर डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी ऐसे आदमी को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस का नाम लेकर कुछ भी कह दें डकैत और चोर कह दें पर मैं निवेदन करूं कि किसी भी सरपंच के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का मुस्तहक प्रमुख किसी भी कानून में नहीं है।

एक बात कहूं कि एक कम्प्लेन्ट बी. डी. ओ. के पास आई थी। नायब तहसीलदार की जांच का सवाल नहीं है न उसने जो कहा उसके बारे में है। मस्टर रॉल के बारे में है वह शिकायत। उसकी रिपोर्ट आने के बाद विकास अधिकारी को नायब तहसीलदार ने कहा। उसने कहा कि उस मस्टर रॉल में गलतियां हैं। फोर्जरी भी मालूम पडती है। यह जब रिपोर्ट विकास अधिकारी के पास भेज दी गई जो आर. ए. एस. अफसर है तो उसने जांच की और पाया कि इसमें कोई

(श्री परसराम मदेरणा)
फोर्जरी नहीं हुई है। रुपयों का सही उपयोग हुआ है और नायब तहसीलदार जांच फ्लोट करने का मुस्तैहक नहीं है।

मेजर श्री फतेहसिंह : क्या नायब तहसीलदार ने कोई रिपोर्ट दी है ? मेरा प्रश्न खास यही था कि गबन हुआ है और नायब तहसीलदार ने जांच की थी क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : डिप्टी बी. डी. ओ. ने शिकायत आने के बाद--मस्टर रॉल के संबंध में शिकायत थी न कि पैसे के गबन के बारे में--उसने वह रेफर की विकास अधिकारी के पास तो उन्होंने कहा कि यह मस्टर रॉल ठीक है और किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं हुई हैं और पैसे का युटिलाइजेशन हुआ है। टेक्निकल आदमी ने सर्टिफिकेट दिया है और सर्टिफिकेट के अन्दर जो 14,285 रु. की शिकायत हुई थी कि काम बताया है वह 15 हजार और कुछ का है तो कुछ श्रमदान से हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं आपके स्टेटमेंट को चैलेन्ज करता हूं कि 14 हजार रुपये खर्च हुए और 15 हजार रुपया नहीं उठाया है। आप जांच करवाने को तैयार हैं क्या ? नहीं तो मैं समझूंगा कि आप संरक्षण दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : संरक्षण का प्रश्न नहीं है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो रुपया पंचायत समिति ने दिया है उसमें से 14,285 रु. उठाया गया है मगर आप कहते हैं कि 15 हजार रुपया उठाया गया है तो जो सूचना मेरे पास आई है उसकी मैं जांच करा लूंगा और अगले सत्र में आपको इत्तिला दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगित प्रश्न को ले लीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय 198 को ले लीजिये इसके नेक्स्ट वाला ही है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे। श्री परसराम ! प्रश्न संख्या 35।

स्थगित प्रश्न

(22-1-1968)

दलित वर्ग संघ

35. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का चुनाव कब हुआ था ? इसकी प्रबन्धकारिणी के कौन कौन सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इसकी कार्यकारिणी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है ? यदि नहीं, तो कब बुलाई गई ?

(3) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ, जयपुर का मुख्य कार्यालय कहां पर है तथा कार्यालय का मासिक किराया क्या है ?

(4) सन् 1962 से 31 मार्च, 1967 तक राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा

(श्री परसराम-गंगाराम)
अन्य स्रोतों से कुल कितना-कितना वार्षिक अनुदान अथवा चन्दा मिला ?

(5) 1 अप्रेल, 1962 से 31 मार्च, 1967 तक कुल कितने प्रचारक रखे गये और किस किस जगह ? उन्हें क्या क्या तनख्वाहें दी गईं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का चुनाव 3 अप्रेल, 1965 को हुआ था। इसकी प्रबन्धकारिणी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। कार्यकारिणी की मीटिंगें हुई हैं।

(3) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का मुख्य कार्यालय जयपुर में है तथा कार्यालय का मासिक किराया 40 रुपया है।

(4) सन् 1962 से 31 मार्च, 1967 तक केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान या चन्दा प्राप्त नहीं हुआ। राज्य सरकार से उक्त अवधि में प्राप्त अनुदान व खर्च का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1962-63 में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान 7,312.50 रु. व अन्य साधनों से प्राप्त चन्दा 2,821.20 रु.।

1963-64 में 14,975 रु. और अन्य साधनों से 29,620.15 रु.।

1964-65 में 15,000 रु. और अन्य साधनों से 6,000 रु.।

1965-66 में 10,836 रु. और अन्य साधनों से 5,702 रु.।

1966-67 में 19,189.28 रु. और अन्य साधनों से 4,415 रु.।

1967-68 में 8,617 रु.। 1967-68 की प्रथम और द्वितीय तिमाही के पेटे अग्रिम अनुदान और 1965-66 का एरियर जो चालू वर्ष में स्वीकृत किया गया 1,924.18 रु. और 1967-68 का 10,541.10 रु.।

(5) 1 अप्रेल, 1962 से 31 मार्च, 1967 तक प्रति वर्ष 5 प्रचारक और 5 सहायक प्रचारक इस प्रकार से कुल 10 प्रचारक रखे गये थे। एक डिविजन में एक प्रचारक रखा जाता है। प्रचारक को 100 रु. तथा सहायक प्रचारक को 80 रु. प्रति मास के हिसाब से वेतन दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न के भाग (3) का जो उत्तर दिया है तो उसमें सवाल यह पूछा गया था कि जयपुर में कार्यालय कहां पर है और आपने उत्तर दिया है कि जयपुर में है। यही तो पूछा गया था कि जयपुर में कहां है ? आप उत्तर को एवायड क्यों करते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसमें····

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप प्रश्न देखिये। "राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ, जयपुर का मुख्य कार्यालय कहां पर है ?" उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा भी जब इसको स्थगित किया गया था तो माननीय मंत्री जी से कहा गया था कि इसमें 62 से इस पीरियड तक जो कि कन्ट्रोवर्शल है इस पीरियड में कितने पीरियड कहां रहा दफ्तर ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: वही बता रहा हूं। 31-12-61 तक गौड़ भवन

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

सी स्कीम में रहा। 1-1-62 से 31-8-64 तक एम. एल. एज. क्वार्टर्स बी-13 में रहा। 1 सितम्बर, 1964 से यादव साहब के मकान पर रहा ?

एक माननीय सदस्य : यादव साहब कौन हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब से जब तक कि यादव साहब के मकान पर आया 1-9-64 तक कहां रहा ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : अभी तक 1-9-64 से।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री कालू राम आर्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-9-64 से अभी तक वहां पर है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 1964 से उनके मकान पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो 40 रुपया माहवार किराया जो अब लिया जा रहा है वह उस मकान का है जो इस समय है उसका 40 रु. माहवार किराया लिया जा रहा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि 40 रुपये किराया और 60 बिजली पानी का चार्ज किया गया था। जब इनके मकान पर आगये तो इस अवधि में संस्था से 12 महीने के कार्यालय का किराया 360 रु. चार्ज करते थे और 1 सितम्बर, 1964 से जब श्री अमृतलाल जी यादव के निजी भवन में कार्यालय आया है तो किराया लिया है 140 रुपये, समाज कल्याण से अनुदान लिया है। इस अवधि में राज्य सरकार के आदेश संख्या सी। एस. डब्लू.। 621 दिनांक 15-2-66 के अनुसार दलित वर्ग संघ के कार्यालय का किराया 600 रु. और बिजली पानी का 120 रु. स्वीकृत किया गया है जिसके पेटे संख्या के कार्यालय का किराया 480 रु. और बिजली पानी के 60 रु. वसूल किये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यानी यादव साहब के मकान में जब से दफतर हैं तो 480 रु. सालाना किराया और 5 रु. महीने के हिसाब से बिजली पानी के 60 रु. बिजली पानी के सालाना वसूल किये जा रहे हैं हर साल, यह सही है आपके स्टेटमेंट के अनुसार ?

श्री नारायण सिंह मसूदा: जी हां, इस अरसे के अन्दर मैंने निवेदन किया है कि उस अरसे के अन्दर 600 रु. किराया स्वीकृत है उसमें से इन्होंने संस्था से कार्यालय के किराये के 480 रु. लिये हैं और बिजली पानी के 60 रु. लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार इनको पूरी इनफॉर्मेशन देने के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर विचार हो चुका है। अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या इसी बंगले के वे सरकार से 250 रु. महावार लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम आर्य !

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे एक जानकारी करनी है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें बेलेन्सशीट का मामला बताया गया है कि इसमें सन् 66 में 19 हजार कैश अमृतलाल जी यादव के नाम कैसे जमा हैं? राजस्थान स्टेट्स डिप्रेस्ड क्लास लीग, जयपुर की बेलेंसशीट है एज ओन 31-3...

श्री नारायण सिंह मसूदा : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि श्री अमृतलाल जी यादव ने 1-9-64 से 1 सितम्बर, 67 तक जो बिजली, पानी का रुपया दलित वर्ग संघ और समाज कल्याण विभाग से लिया है तो क्या यह कानूनी दृष्टि से उचित है?

श्री उपाध्यक्ष: कानूनी दृष्टि से...

श्री भैरोंसिंह: कानूनी नहीं तो क्या बिजली पानी का रुपया लिया है?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं इसमें निवेदन कर देता हूं कि बिजली पानी के एम. एल. एज. क्वार्टर्स में जिस समय आफिस रहता था उस समय बिजली पानी नहीं था एम. एल. एज. को और उस समय इन्होंने बिजली पानी के पेटे 60 रु. लिए हैं।

श्री **भैरोंसिंह**: मैं समझता हूं कि आप कन्फ्यूजन में जा रहे हैं और अपने आपको उलझन में डाल देते हैं। आपने जो **डेट्स** बताई हैं वे बड़ी पर्टीक्यूलर हैं। इन डेट्स के अन्दर बिजली पानी का वसूल किया है। इस समय इनको मन्त्रीमंडल में शामिल कर लिया गया तो मंत्री की हैसियत से बिजली और पानी इनको मुफ्त में मिला है तो उस पीरियड के अन्दर जो बिजली और पानी का खर्चा लिया है वह वाजिब समझते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न है यह।

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी जानकारी के लिए यह क्वेश्चन स्थगित किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न मुख्य हैं एक तो उनके मंत्री रहते हुए इस बंगले का सरकार से किराया मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: बंगले के कई हिस्से हो सकते हैं माननीय सदस्य...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री उसका उत्तर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलग नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से आप भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश करते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : हम लोगों का भ्रम तो दूर होना ही चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय इस प्रश्न के ऊपर इसी बुनियाद पर यह स्थगित किया गया था।

श्री परसराम मदेरणा शोरगुल के बीच अगले प्रश्न का उत्तर पढ़ने लगे)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप इस तरीके से नहीं दबा सकते। भ्रष्टाचार का आप कोई उत्तर भी नहीं देना चाहते हैं। जब इसी प्रश्न को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगित किया गया था तो आप बताने से क्यों कतराते हैं कि वह कितना सरकार से वसूल कर रहे हैं? कौन से पोरशन का? क्या और कितना सरकार किराया दे रही है? बिजली और पानी फ्री दिया जा रहा है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण सिंह मसूदा: मैं स्पष्टीकरण कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। यादव साहब अपने मकान में चले गये तो मकान के कौन से भाग में वह रह रहे हैं, मकान में कई हिस्से हो सकते हैं और मंत्री 4 कमरों में रहे या 5 कमरों में रहे······

श्री रामानन्द अग्रवाल: लेकिन बिजली पानी के हिस्से नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्यों को कोई शंका हो तो अलग प्रश्न पूछ लीजिये कि वह पूरे मकान में रहते हुए किराया वसूल कर रहे हैं? अब उसमें कई हिस्से हैं इस प्रश्न के पूरक प्रश्न में इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1-1-62 से 31-9-64 तक जब तक श्री अमृतलाल जी यादव एम.एल.ए. क्वार्टर बी–13 में रहे और उनके गैराज में दलित वर्ग संघ का कार्यालय रहा और उन्होंने बिजली और पानी के पेटे 5 रुपया माहवार याने 60 रुपये साल के वसूल किये तो क्या सरकार यह कह सकती है कि इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी जिस कन्ज्यूमर को दी जाती है वह री-सेल की जा सकती है और यदि रीसेल नहीं की जा सकती है तो जो वसूली हुई है वह गैर कानूनी है?

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैं इस संबंध में एक स्पष्टीकरण निवेदन कर देता हूं कि अप्रेल, 1962 से मार्च, 63 तक दलित वर्ग संघ के कार्यालय से कोई किराया नहीं लिया गया केवल पानी और बिजली के लिए 60 रुपये का अनुदान दिया गया और इस अर्से में वह मंत्री भी नहीं थे। अब रहा सवाल इस बात का कि वह बिजली का रुपया उठा सकते या नहीं मेरी समझ में इसमें कोई कानूनी आपत्ति नहीं है क्योंकि उस समय एम.एल.ए. को बिजली और पानी फ्री नहीं थे। बाकी दूसरी बातें हैं वह कानूनी तौर पर तहकीकात कर ली जायेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसमें लिखा है यह अनुदान का सवाल नहीं है। ऑडिटेड एकाउन्ट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक और वाटर चार्जेज के पेटे जिस समय श्री अमृतलाल जी बी–13 में रहे उस समय 60 रुपये का खर्चा इसमें दिखाया गया है 60 रुपये का दलित वर्ग संघ ने अपने एकाउन्ट में से पेमेन्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
किया है और श्री अमृतलाल जी ने स्वयं ने इसको स्वीकार भी किया है। यह तो स्थिति स्पष्ट है लेकिन मैं तो सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी री-सेल हो सकती है ? नहीं हो सकती इतना मुझे मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष: यह कानूनी मसला है और विधि विभाग से सलाह लेकर ही जवाब दे सकते हैं।

प्रश्न समाप्त हुए।

(श्री नारायणसिंह उत्तर देने के लिए खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय वह तो उत्तर देना चाहते हैं और आप रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो चल रहा था उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नों का समय समाप्त हुआ और साथ में प्रश्न भी समाप्त हुए।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय। लाखों रुपयों का घोटाला है इसलिए उत्तर दिलाया जाये

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। (श्री कालूराम से) कृपया स्थान ग्रहण करें समय समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कूटर का कारखाना

182. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने स्कूटर बनाने का एक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने हेतु लाइसेन्स के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) इस कारखाने पर कुल कितनी लागत का अनुमान है और यह कारखाना कहां पर स्थापित करने की योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि अन्य व्यक्तियों ने भी इस प्रकार का कारखाना खोलने के लिए आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार निजी क्षेत्र में इस प्रकार का कारखाना खोलने के लिए अपनी सहमति केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार को राजस्थान ने स्कूटर के उत्पादन के लिये लाइसेन्स दिलाने हेतु एफ. 25(5) एनपी। सीएसई।65 दिनांक 15–7–65 द्वारा आवेदन किया था।

यह आवेदन लाइसेन्सिंग कमेटी के विचाराधीन है। इस यूनिट को ज्वाईन्ट्स सेक्टर अर्थात् सार्वजनिक एवं प्राइवेट दोनों के सम्मिलित क्षेत्र में लगाने का विचार है।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(2) इस कारखाने पर करीब 10 करोड़ रुपये की पूंजी लगने की सम्भावना है। यह उद्योग बेल्जियम के सहयोग से लगाया जायेगा। लाईसेन्स मिलने पर स्थान तय किया जावेगा।

(3) यह प्रश्न राजकीय उपक्रम विभाग से सम्बन्धित नहीं है लेकिन उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि अन्य व्यक्तियों ने भी आवेदन-पत्र दिये थे। सब आवेदन-पत्र रद्द कर दिये गये हैं अतः अब सहमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर जिले के भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा

184. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में अब कितने जागीरदारों को मुआवजा दिया जाना बकाया है? कृपया प्रत्येक श्रेणी के जागीरदारों की संख्या बतायें।

(2) क्या छोटे जागीरदारों से मुआवजा मिलने तक लगान वसूली रोकी जाती है? यदि हां, तो नागौर में कितने मामलों में रोकी गई है एवं उससे किस किस तहसील में कितना कितना रुपया किस किस वित्तीय वर्ष का ऐसे लगान का बकाया पड़ा है?

(3) क्या किसी भूतपूर्व जागीरदार ने मुआवजा भी उठा लिया व उसका लगान भी उसने सरकार का जो बकाया था, वह नहीं चुकाया? यदि हां, तो तहसीलवार विवरण बावत नाम जागीरदार व रकम जो बकाया है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(4) ब्याज की राशि को शामिल नहीं करते हुए लगान की रु. 500) से अधिक की राशि नागौर जिले में किस किस व्यक्ति में किस किस साल की बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या भूतपूर्व जागीरदारों को अधिक मुआवजा दे देने के मामलों में वसूली की कार्यवाहियां चालू हैं? नागौर जिले के ऐसे मामलों की सूचियां तहसीलवार मय नाम जागीरदार, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) लगभग 9982 जिनमें 500) रु. से कम आय वाले 9895 तथा 500 से 5000) रु. तक के 87 जागीरदार हैं।

(2) जी हां, पूर्व में यह सुविधा उनको दी गई थी। किन्तु 1966 में भूतपूर्व जागीरदारों से भी अन्य खातेदार काश्तकारों के अनुसार लगान की वसूली किये जाने की आज्ञा दी जा चुकी है बकाया लगान की विभिन्न तहसीलों की सूची प्राप्त की जा रही है।

(3) जी हां, ऐसे मामले भी हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(4) उपरोक्त सूची उल्लिखित है।

(5) जी हां, कार्यवाही जारी है। सूची संलग्न है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील सांचोर में लूनी इनन्डेशन योजना

53. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में "लूनी इनन्डेशन" योजना के अन्तर्गत अब तक जो भी कच्चे बांध बांधे गए थे वे इस वर्ष ज्यादा पानी भरने से टूट गए हैं? अगर हां, तो अब सरकार द्वारा क्या नई योजना बनाई जा रही है जिससे कम पानी आने पर भी इनन्डेशन हो सके व उत्पादन बढ़ सके?

(2) नई योजना कब तक बन जावेगी?

(3) नई योजना के तहत कितने कच्चे बांध कहां कहां बंधाए जावेंगे? यह योजना कब तक पूरी कर दी जावेगी?

(4) नई व पुरानी नदी के रास्ते पर बांध कहां कहां बंधाये जाने की योजनाएं विचाराधीन हैं?

(5) 'गोमीइसरोल' के बांध को नए रूप से कहां पर लम्बा कराए जाने की योजना है?

(6) गलीफा ग्राम में बांध की योजना क्या है व कब तक बंधाए जाने की संभावना है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सन् 1968 के अन्त तक।

(3) तीन कच्चे बांध (1) बमल (2) इटावा (3) तांतड़ा। यह धन राशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(4) नई नदी पर उपरोक्त बांधों के अलावा गलिफा के पास बांध की योजना विचाराधीन है। पुरानी नदी पर और कोई बांध बनाना विचाराधीन है।

(5) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(6) गलिफा बांध, नई नदी (लूनी कोर्स) पर बनाने की योजना विचाराधीन है।

राजस्थान अनुचित जन जाति मंत्रणा परिषद् का गठन

54. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान अनुसूचित जनजाति मंत्रणा परिषद् का गठन कब किया गया? उसके पदाधिकारी और संचालन मंडल के सदस्य कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पदाधिकारियों व सदस्यों को सरकार नामजद करती है? यदि हां, तो किस आधार से?

(3) परिषद् किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाई गई है? क्या इसका विधान व नियम आदि बने हैं? यदि हां, तो विधान व नियम आदि की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) मंत्रणा परिषद् को राज्य सरकार द्वारा व भारत सरकार द्वारा किन कार्यों के लिये कितना अनुदान हर साल दिया जाता है? आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या परिषद् का कोई कार्य विवरण छपा है? यदि हां, तो उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या परिषद् का कोई सम्मेलन भी हुआ है?

उत्तर

(1) अनुसूचित जनजाति मंत्रणा परिषद् का पुनर्गठन दिनांक 13-11-67 को हुआ पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मंत्री समाज कल्याण एवं उप मंत्री समाज कल्याण क्रमश: इसके पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्यों के रूप में 14 अनुसूचित जन जाति के विधायक होते हैं और 4 गैर अनुसूचित जन जाति के ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो अनुसूचित जन जाति के कल्याण कार्य में रुचि लेते हों। संविधान की अनुसूची 5 की भाग 'बी' में जो कर्तव्य अनुसूची जनजाति मंत्रणा परिषद् के बताये गये हैं उनके अलावा परिषद् के निम्न मुख्य कर्तव्य हैं सरकार को आदिम जाति के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिये क्रियात्मक सुझाव देना।

उनमें प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिये सहायता करना, शैक्षणिक प्रचार करना।

(3) स्थानीय अधिकारियों और राज्य प्रशासन का ध्यान आदिम जातियों की रूढ़ियों की तरफ दिलाना। विधान की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, परिषद् के नियमानुसार वर्ष में परिषद् की तीन बैठकें बुलाई जाती हैं।

भरतपुर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

55. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को अप्रेल व मई, 1967 का वेतन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और जिन कर्मचारियों को उक्त महीनों का वेतन नहीं दिया गया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि पहले भी इस विभाग के कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दिया जाता रहा है? यदि हां, तो कब कब और क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल श्री ओमप्रकाश छात्रावास अधीक्षक सवाई माधोपुर को उनके लम्बे अवकाश पर रहने के कारण मई, 1967 का वेतन नहीं दिया जा सका। अवकाश स्वीकृत होने पर अब भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(2) वेतन समय पर ही दिया जाता रहा है यदि किसी कर्मचारी को वेतन समय पर नहीं दिया गया तो उसके विशेष कारण रहे हैं।

पंचायत चंवाई द्वारा प्रशासनिक मामलों में किये गये जुर्माने एवं पेनेल्टी

56. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

Page No.42

(श्री हरजीराम बुरडक)

पंचायत चन्द्राई, पंचायत समिति लाडनू के द्वारा दिनांक 1-1-65 से दिनांक 10-5-67 तक प्रशासनिक मामलों में किये गये जुर्माने और पेनेल्टी की सूची मय व्यक्ति का नाम व पूरे पते के व जुर्माना और पेनेल्टी की राशि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(परिशिष्ट 6 देखिये)

जिला सवाई माधोपुर में कुएं बनाने हेतु अनुदान

57. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कितने कुए बनाने हेतु अनुदान किस किस पंचायत समिति को कितना कितना 1957 से मार्च, 1967 तक दिया गया है?

(2) उपरोक्त अनुदान के द्वारा किस किस पंचायत समिति में कितने कितने कुए बनाये हैं और कितने अधूरे पड़े हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त अनुदान की रकम को बहुत सी पंचायत समितियों ने काम में नहीं लिया है?

(4) यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति ने कितना कितना रुपया काम में नहीं लिया है और क्यों नहीं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सदन की मेज पर रखे गये विवरण में यह सूचना भी दी हुई है।

(3) कुछ एक पंचायत समितियों में कुछ रकम का उपयोग नहीं किया गया है।

(4) सदन की मेज पर रखे गये विवरण में यह सूचना भी दी हुई है।

(परिशिष्ट 7 देखिये)

राजस्थान में बारिश व ओलों से हुई हानि

58. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 24 व 25 मार्च, 1967 को बारिश व ओलों से कितनी हानि हुई?

(2) इस बेवक्त की बारिश से जनता के जान व माल का जिलावार नुकसान का क्या अनुमान सरकार का है?

उत्तर

(1) प्रत्येक जिले में हुई हानि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्रत्येक जिले में हुए जान व माल के नुकसान का विवरण भी उपरोक्त सूची में दे दिया गया है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)

Page No.43

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री दुर्जनसिंह, विभाजन संख्या 51 ने दिनांक 18 जनवरी, 1968 से एक माह के लिए विधानसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है, क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें एक माह के लिए अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(अनुमति प्रदान की गई)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाडा !

श्री केसरी सिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी में तहसील हिन्डोली में गणेश घाटी से बाभाई जी का नया गांव, दबलाना, राणीपुरा, मोवनगढ, बासी और मजनेरी होती हुई देई से मिलने वाली सड़क को पक्का बनवाने सम्बन्धी विषय पर याचिका का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी के नैनवां के तालाब पर नगरपालिका द्वारा कराये गये कार्य की जांच के सम्बन्धी विषय पर याचिका का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील हिन्डोली में ग्राम सथुर से ओवन, बसीली व खीरया की सड़क को पक्का बनवाने सम्बन्धी विषय पर याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

याचिका समिति का प्रतिवेदन

(सभापति याचिका समिति)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह !

राजवी श्री रूपसिंह (सभापति अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के 17 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

जनलेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी !

श्री पुखराज कालानी (सभापति जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं

(1) वर्ष 1965-66 के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन के पैरा 36 से 42, 80 से 83, 85 से 93, 100, 104, 107, 108, 128, 136 तथा 169 से 172 से सम्बन्धित पहला प्रतिवेदन, तथा

(2) विनियोग लेखे 1965-66 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर दूसरा प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (सभापति प्राक्कलन समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी विभाग विषयक प्राक्कलन समिति 1965-66 के 23 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति 1967-68 के पहिले प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर सरकारी वक्तव्य

मैना नामक स्त्री के अपहरण सम्बन्धी गृह मन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर मन्त्रियों के वक्तव्य।

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कायके लिये खड़े हुए हैं ?

श्री खेतसिंह : मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मन्त्रि-मण्डल में कब से आगये ?

श्री खेतसिंह : मैं मन्त्री महोदय के आदेश से बोल रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मन्त्रिमण्डल में ले लिया गया है ?

श्री खेतसिंह : आप मन्त्री महोदय से पूछलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मुझे पता नहीं था।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : आप मुझ से पूछलें।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री विजयसिंह रावत ने अजमेर में मुसम्मात मैना नामक एक स्त्री का गुण्डों द्वारा अपहरण व उसके साथ व्यभिचार, श्री महेन्द्र नामक विद्यार्थी के अपहरण, नसीराबाद में दो वरिष्ठ अध्यापकों के आधे सिर के बाल कटवा कर काला मुंह कर जुलूस निकलवाने के मामले का उल्लेख करते हुए यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस विषय में तथ्य मालूम किये गये हैं व स्थिति इस प्रकार है :

मुसम्मात मैना के अपहरण बाबत

श्री विरदमल सिन्धी, जनसंघ कार्यकर्ता ने सर्वप्रथम मुसम्मात मैना के विषय में पुलिस को दि. 24-8-67 को सूचना दी थी जिस पर एस. एच. ओ. कोतवाली, अजमेर ने शीघ्र उसकी तलाश कराई। मुसम्मात मैना हुसैन नामक व्यक्ति के घर पर मिली। जांच से पाया गया कि मुसम्मात मैना जो बालिग है, अपने पति को छोड कर अपनी मर्जी से हुसैन के साथ में रह रही थी व उसके साथ उसके पुराने ताल्लुक थे। मुसम्मात मैना के रहने से हुसैन की मां व पत्नी भी नाराज थी व परिवार में कलह था। पुलिस की तलाश के बाद मुसम्मात मैना का उसके चाहे अनुसार उसे जोधपुर उसकी मां के पास जाने दिया गया। मुसम्मात मैना के साथ किसी व्यक्ति या पूंजीपति द्वारा बलात्कार करने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं

(श्री खेतसिंह)

हुई। अतः इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मुसम्मात मैना को 96 घण्टे तक पुलिस कस्टडी में रखने का आरोप गलत है। मुसम्मात मैना द्वारा पुलिस की शरण में जाकर बलात्कार की रिपोर्ट करने की बात बिल्कुल निराधार है।

श्री महेन्द्रसिंह के लापता होने बाबत

श्री महेन्द्र के लापता होने के बाबत उसके पिता ने दि. 29-11-67 को थाना क्लाक टावर अजमेर, में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर सभी थानों को महेन्द्र की तलाश के लिये इत्तिला की गई और दि. 8-12-67 को आल इण्डिया रेडियो को भी इस गुमशुदगी के बारे में सूचना प्रसारण करने हेतु लिखा गया। दि. 17-12-67 को श्री मोहनलाल ने एक पत्र एस. एच. ओ. क्लाक टावर को पेश की जिसमें पत्र लिखने वाले ने उसके लडके महेन्द्र का उसके पास होना और 500 रु. की मांग पूरी करने पर लौटाने के लिये आश्वासन अंकित होना बताया। इस पर एक मुकदमा हस्ब दफा 365 ता. हि. दर्ज किया गया। दोनों व्यक्तियों को, जिन पर वह पत्र लिखने का शक था दि. 18-12-67 को गिरफ्तार किया गया था और तफतीश प्रारम्भ की गई। ये दोनों व्यक्ति मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में जमानत पर आजाद कर दिये गये। तफतीश जारी है और पुलिस लडके का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

नसीराबाद में 2 सीनीयर अध्यापकों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़

यह घटना इस प्रकार है कि दि. 8-4-67 को हायर सेकण्ड्री स्कूल के दो अध्यापकों द्वारा लडकियों के साथ छेडछाड के मामले में क्रिमिनल केस ह. द. 376।511 व 342 ता. हि. अदालत में विचाराधीन है। अतः इस विषय में कुछ भी उल्लेख करना उचित नहीं होगा। दोषी अध्यापक निलम्बित भी हैं। घटना के बाद दि. 10-4-67 को जब ये अध्यापक बाजार से निकले तो जनता ने इनके खिलाफ नारे लगाये व मुंह पर कालिक लगा कर पीछा किया बताया जाता है। पुलिस द्वारा काला मूंह कर जुलूस निकालने की बात गलत है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अच्छा किया अगर काला मुंह किया।

श्री विजय सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव का मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है, पहले तो मैंने नम्रता पूर्वक जो युवती का अपहरण हुआ और उसके साथ में जो कुछ ज्यादती हुई पुलिस के द्वारा, जिसके बारे में अजमेर के जो वरिष्ठ आदमी नहीं है जो पुलिस से जानकारी मन्त्री महोदय को मिली है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर से एक पेपर निकलता है डेली, 'न्याय' उसमें लिखा है।

"असहाय युवती के शील भंग की रहस्य-पूर्ण दास्तान पुलिस की राजपोशी से गुण्डों के बच निकलने का खतरा मामले को रफा-दफा करने की कोशिश 96 घंटों में अबला के बयान भी नहीं लिये गये।"

यह 96 घण्टों की बात, उपाध्यक्ष महोदय, एक पेपर में नहीं राजस्थान के सब पेपरों में और स्थानीय पेपरों में सब में निकली है इस बात को मैं चुनौती देता हूं,

(श्री विजय सिंह रावत)

जो जानकारी पुलिस ने आपको दी है कि 96 घण्टों तक मैना नामक युवती पुलिस के कब्जे में नहीं रही, यह बात असत्य है और आधारहीन है। लडकी का केस इस प्रकार से है कि लड़की पुष्करकी रहने वाली है और पुष्कर से अपनी दादी से मिलने के लिये अजमेर में आई। पडाव के पास से गुण्डों ने उसका पीछा किया तो वह लडकी उन गुण्डों से बचने के लिये न्यू मैजस्टिक में जाकर छिप गई, जहां रामनारायण नाम का आदमी है और उस गैंग का वरिष्ठ गुण्डा है और उस आदमी ने लडकी को कहा कि हम तुम्हें जोधपुर भेज देंगे। लडकी उसकी बातों में आकर उसके साथ गई तो उस लडकी को गुण्डों ने गायब कर दिया । यह दस अगस्त की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, उस दस अगस्त से लेकर चौबीस अगस्त की तारीख तक इस लडकी को विभिन्न आदमियों के साथ संभोग करने के लिये बाध्य किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ, इसके ऊपर सारे शहर के अन्दर इतना तनाव बढ गया, जिस तरह से काश्मीर में पंडितों और लडकी का मामला हुआ था उसी तरह से अजमेर में भी यह घटना घटी थी और अजमेर की जनता में तनाव था। लेकिन अजमेर की जनता को इस सम्बन्ध में धन्यवाद का पात्र बनने का मौका मिला कि हमारे जो डाक्टर साहब हैं, अपने विधान सभाई सदस्य–इनके कहने के मुताबिक सारे शहर की जनता ने शान्ति रखी। उस शान्ति का एकमात्र कारण था कि पुलिस के एस. पी. ने आश्वासन दिया था कि मैं इस लडकी के मामले में, जो लडकी सद्गृहस्थ की लडकी है, जो लडकी नेक चलन है, जो अच्छा चरित्र रखती है–मैं पूरी जांच करूंगा और इसके साथ-साथ जिन्होंने भी इसके साथ बलात्कार किया है उनके खिलाफ पुलिस मुकदमे दायर करेगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, क्या होता है कि छब्बीस तारीख को लडकी को धमकी देकर, उसके बाल सारे काट दिये गये, उसके बाल काट कर आधी रात को वहां से रवाना कर दिया गा। उसके बाद में उस लडकी का कोई पता नहीं चला। जब डाक्टर साहब ने फिर पूछा कि लडकी कहां चली गई, तब कहा गया कि लडकी जोधपुर चली गई है और पुलिस भेजी है उसको लाने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उस लडकी के बयान नहीं हुए हैं, उसके साथ बलात्कार करने वालों का पता नहीं है कि कहां घूम रहे हैं, कहां नहीं, क्या कर रहे हैं ?

इसके साथ साथ नसीराबाद की बात है

श्री खेत सिंह : इसका जवाब सुन लीजिये। फिर नसीराबाद के मामले को ले लीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : इस सन्दर्भ में दो प्रश्न पैदा होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में दो प्रश्न पैदा होते हैं . . .

श्री विजय सिंह : डाक्टर साहब की बात सुन लीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कौनसी तारीख को इस लडकी के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस को की गई ?

एक माननीय सदस्य : डाक्टर साहब की सुन लीजिये।

Page No.47

श्री दुर्गालाल बाड़ीदार : पुलिस ने इस लडकी को, किस तारीख को, कब बरामद किया और कौनसी तारीख को बयान कराने के लिये कोर्ट में उपस्थित किया गया? यह तीन तारीखों को बताने का कष्ट करें।

डा. अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लडकी का मामला सदन में रखा गया है, इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह लडकी गायब हुई और यह घटनायें हुई इनके कारण अजमेर में भयंकर उत्तेजना थी और साम्प्रदायिक तनाव बढ गया था। बहुत बडी सभायें हो रही थीं। मुझे भी स्वभावतः, वहां का मनोनीत सदस्य होने के कारण, इसमें भाग लेना पडा और मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी करने का प्रयत्न करना पडा। मैंने यह समझा कि उत्तेजना होने से पूर्व इसकी वास्तविकता का पता लगा लिया जाय और इस केस के जो तथ्य हैं उनको मालूम कर लिया जाय। इस सभा में यह रिजोल्यूशन किया गया कि यह मामला मुझ पर छोड दिया जाय। मैं पुलिस से बातचीत करूंगा और वास्तविक स्थिति अजमेर की जनता के सामने रखूंगा। उसके बाद वहां के एस. पी. से टेलीफोन पर बात की और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वह इस लडकी के बारे में दो चार दिन में सूचना देंगे। दो-चार दिन के बाद फिर फोन किया तो उन्होंने कहा कि लडकी जोधपुर में है। उसके भाई का नाम लिया और कहा कि उसका भाई और माता वहां पर है और शीघ्र ही अजमेर आयेगी तब उससे मिल लीजिये और सारी बातों की जानकारी कर लीजिये। तब उसके बयान ले लिये आयेंगे। आप यह अजमेर की जनता को आश्वासन दे दीजिये। मेरी गलती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके बाद भूल गया। फिर दो-तीन दफा फोन करने का प्रयत्न किया लेकिन वह मिले नहीं।

प्रश्न यह है कि लडकी जोधपुर है। यह आवश्यक है कि उसको अजमेर लाया जाये और जो स्टेटमेन्ट के आधार पर सत्य मालूम होगा वह स्टेटमेन्ट आगामी सदन में रख दिया जाय। मैं भी प्रयत्न करूंगा लेकिन मन्त्री महोदय भी कृपा कर यह आदेश कर दें कि लडकी को जोधपुर से बुलवा दें। जो निष्पक्ष आदमी हों उनके सामने बयान ले लिये जायें। इससे सारी वास्तविकता मालूम हो जाएगी।

लडके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लडके की मां से मिला। लडका गायब हो गया है। मुझे जहां तक पता चला है, अजमेर में इस प्रकार के गैंग हैं। कई लडके गायब हो चुके हैं। इन सारे तथ्यों को रखने के बाद मैं सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि इसमें कोई असत्य बात नहीं है। मैं लडके की मां से मिला। वह रोयी और उसने कहा कि उसको दो आदमियों के पत्र मिले, पोस्ट कार्ड मिले हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो दो व्यक्ति पकडे गये हैं उनको जमानत पर छोड दिया गया है। वैसे मन्त्री महोदय प्रयत्न तो कर रहे हैं। मैं भी नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, पर यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि पुलिस सफल नहीं हुई है। असफल हो रही है। शायद वह सतर्क हो। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि लडका गायब हो जाय। उसके लिए रुपये मांगे जायें और वह भी अजमेर में जो हार्ट

Page No.48

(डा. अम्बालाल)

आफ राजस्थान है। यह हमारे लिए और पुलिस के लिए शर्म की बात है। मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप पुलिस अधिकारियों को आगाह कर दें। यह डर दें कि यह प्रैस्टिज पाइन्ट है इसलिये इतने समय में लडके का पता लगाया जाये। वहां एक प्रकार का गैंग है जिसके द्वारा लडकों को गायब किया जाता है। चोरी होती है। चोरी की सूचना जगह-जगह आदमियों की आ रही है। इसलिये कृपा करके आप आदेश दे दें कि इसका पता लगायें।

लडका गायब तो हुआ ही। यह दुख की बात है। मैं समझता हूं कि हमारा लडका हो सकता है। किसी का लडका हो सकता है। आप का लडका हो सकता है। कितनी भयंकर मानसिक स्थिति हो सकती है। रेडियो पर सुना दिया उससे काम नहीं चलता। मेरा निवेदन है कि इस मामले में पुलिस इन्ट्रेस्ट नहीं ले रही है। इस मामले को इन्टेलीजेन्स के सुपुर्द करना चाहिये और मां के हृदय को टटोलना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : नसीराबाद के बारे में माननीय मन्त्री

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य डाक्टर साहब ने जो कुछ कहा है कि लडकी के साथ रेप हुआ है। दुर्व्यवहार हुआ है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि लडकी के साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ या रेप हुआ या क्या हुआ। हमारी व्यक्तिगत जानकारी में कुछ ऐसी बात हैं नहीं। उनका कहना है कि अजमेर में उन दिनों काफी उत्तेजना इस बारे में रही है। दूसरी तरफ जैसे ही पुलिस को खबर लगी, तत्परता से उसने लडकी को बरामद कर लिया। लडकी का स्टेटमेन्ट रिकार्ड किया। उसकी मां के पास जोधपुर रवाना कर दिया। इस खयाल से कि आपसी तनाव न बढे। लडकी के बयानों से पाया गया कि वह रजामन्दी से गयी थी। उसके साथ रेप नहीं किया गया। डाक्टर साहब यह चाहते हैं कि अपने सन्तोष के लिये लडकी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हों, और किसी सीनियर पुलिस आफिसर के द्वारा जांच कराई जाकर जिस तरह से तसल्ली होगी, उस तरह से करेंगे। इसमें अगर किसी अफसर की गफलत पायी गई तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा प्रश्न यह रहता है, लडके के किडनैपिंग का। इसमें कोई शक नहीं कि मां का हृदय नहीं मानता। अगर कत्ल किया हुआ होता तो आदमी सब्र करके बैठ सकता है। लेकिन लडका किडनैप हो और उसका पता नहीं चले। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है। जिन लोगों को अदालत से छोड दिया गया है, बहरहाल इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं हो सकती है। पुलिस तफतीश कर रही है उसमें कमी नहीं रहेगी। और उसमें जो कुछ कमी रहेगी तो इसमें आप से भी सहयोग चाहते हैं। आपकी एक चिट्ठी भी मिली उस पर तुरन्त कार्यवाही की गई, और मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। चाहे वे बेकसूर समझ कर अदालत से

(श्री दामोदरलाल व्यास) छोड दिया गया है, यह जिम्मेदारी पुलिस की नहीं हो सकती। हम किडनेप को अत्यन्त गम्भीर मानते हैं। जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, किडनेप के लिए, एक मरे हुए के लिए मां सब्र कर सकती है। क्योंकि इस बात का हमें पता नहीं रहता है। इसलिये इसकी गंभीरता को हम जानते हैं।

तीसरा सवाल रहा नसीराबाद के इन्सीडेन्ट का, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा की कुछ सीमाएं रखनी पडेंगी। जो केस सब-जूडिस है, अदालत में दो टीचरों का चालान हुआ, उसके बारे में कोई उम्मीद नहीं करेगा कि कोई स्टेटमेन्ट दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केस सब-जूडिस है। और माननीय सदस्य कोई कमेन्ट न दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री विजय सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा है कि केस अदालत में चल रहा है। मैं उस केस को नहीं रखूंगा। स्थगन प्रस्ताव में मैंने साफ मेंन्शन किया है कि दो आदमियों को पुलिस ने पकडा और जुलूस निकाला। इस तरह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके जगह जगह से बाल काट कर उनकी बन्दर जैसी शक्ल बनाकर जुलूस निकाला। नसीराबाद के प्रश्न की मैं सही स्थिति और जानकारी आप को देना चाहता हूं, कोई कमेन्ट नहीं देना चाहता हूं। जिससे अदालत में केस पर कोई असर आये। मैं सीमा के अन्दर ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों ही साइन्स टीचर थे। जिस स्कूल के अध्यापक थे, उस स्कूल के अन्दर वह छात्राएं पढती थीं। फिजिक्स के टीचर होने के नाते

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात थोडे में कहें।

श्री विजय सिंह रावत : थोडे में ही कह रहा हूं। फिजिक्स में प्रेक्टिकल का एग्जामिनेशन हो रहा था मार्क्स ओब्टेन करने के लिये ये लडकियां टीचर के घर पर गईं और जैसा लड़कियों ने कहा वह टीचर ने नहीं माना

श्री खेत सिंह (उप गृह मन्त्री) : आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिये कि क्या उन अध्यापकों ने अच्छा कार्य किया था?

श्री विजय सिंह रावत : मैं इस पर आ रहा हूं-आप उत्तेजित मत होइये खेतसिंह जी, मेरी जानकारी ले लीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यदि आप इस पेंडिग केस के लिये कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो मुझे दे दें। यह केस सब-जूडिस है। इसलिये इसे यहां डिस्कस करना बिल्कुल कानून के खिलाफ बात होगी। मैं नम्रता पूर्वक अर्ज करूंगा कि इस केस को सदन में नहीं लाना चाहिये।

श्री विजय सिंह रावत : मेरा तीसरा केस-मेरा तीसरा केस भी तो है। चौथा अजमेर में दस आदमियों का जुलूस निकाला।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : अध्यापकों ने जो घटनाएं की हैं, वे अच्छी हैं या बुरी-यह बतलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय जो वक्तव्य देंगे उसके बाद पूरक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री विजय सिंह रावत : प्रश्न रूप में ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वक्तव्य आने दें!

श्री विजय सिंह रावत : मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन तीसरी जो चीज यह कही गई है कि पुलिस 28-12-67 को....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज! पुलिस का जो रवैया चल रहे हैं, उसके बारे में यहां विचार नहीं होगा। आपका जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उसके बारे में मन्त्री महोदय पहले वक्तव्य दें। आपको कोई आपत्ति जनक हिस्सा न हो तो थोड़े में बात समाप्त करें।

श्री विजय सिंह रावत : बहुत थोड़े के अन्दर कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वक्तव्य आने दीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : कौन सा ?

श्री विजयसिंह रावत : उन्होंने जवाब दे दिया है। उन चारों का दे दिया है। किडनैपिंग का दे दिया है। रेप का दे दिया है। नसीराबाद का दे दिया है। अजमेर का....

श्री दामोदर लाल व्यास : अजमेर के दस आदमियों का जुलूस निकाला यह कहते हैं.....

श्री विजय सिंह रावत : इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें है क्या ?

श्री विजय सिंह रावत : मैं पढ़ता हूं। अजमेर में लगभग 10 व्यक्तियों के सिर के बाल कटवा कर मुंह काला करके पुलिस ने जुलूस निकाले व आज भी जो रिश्वत नहीं दें और थोड़ा गुनाह करदें तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध चालान अदालत में पेश करने से पहले जुलूस निकालती है। इससे अजमेर जिले के नागरिकों के स्वतन्त्रता के मूल अधिकारों को दिन प्रतिदिन कुचला जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने कहा मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। अदालत में केस चल रहा है, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। 28 दिसम्बर को....

श्री दामोदर लाल व्यास : यह आपका पोइन्ट इसमें कवर्ड है, मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री खेत सिंह : अजमेर नगर में 67 में केवल 6 अभियोग लड़कियों के अपहरण के दर्ज हुए जिनमें से 3 झूठे पाये गये और 3 में चालान प्रस्तुत हो गये।

श्री विजय सिंह रावत : मैंने यह कहां पूछा है ?

श्री खेत सिंह : फिर क्या पूछ रहे हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : मैंने तो जुलूस निकाला गया उसके बारे में पूछा है।

श्री खेत सिंह : उसका जवाब भी आ रहा है।

(श्री केलासिंह)

इन आंकड़ों को देखते हुए स्थिति जैसा कि कहा गया है, गम्भीर नहीं कही जा सकती।

पुलिस द्वारा मुल्जिमों का मुंह काला कर के जलूस निकालने का आरोप कतई निराधार है।

श्री विजयसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं एक ही सेन्टेन्स में पूछना चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय जितने भी इस प्रकार के जुलूस निकाले गये हैं, उनकी जांच के सम्बन्ध में जांच कमेटी बैठाने को तैयार हैं, या जांच कराने के लिये तैयार हैं? अभी 28 दिसम्बर को श्रीनगर में पनघट पर दिन के तीन बजे एक आदमी और एक औरत में पानी निकालने के सम्बन्ध में झगड़ा हो गया। घर पर जाने के बाद पुलिस में केस दर्ज कराया कि उस औरत के साथ जिना बिल-जब्र किया गया है। इस पर पुलिस के सी. आई. जिनका नाम कामेश्वर प्रसाद माथुर है, वे पुलिस के आदमियों को लेकर वहां पहुंच गये और दो नागरिकों के बाल कटवाकर उनका मुंह काला कर के पूरे श्रीनगर में जुलूस निकाला और जब यह एतराज पेश किया गया कि क्या औरत का मैडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया है तो वहां के डाक्टर के पास केस को ले जाया गया, घटना हुई 28 तारीख को और मैडिकल एग्जामिनेशन कराया 29 तारीख को गई बजे और पुलिस इस तरह से जुलूस निकालती है। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि क्या पुलिस को इस तरह से किसी नागरिक के बाल काट कर मुंह काला करके जुलूस निकालने का अधिकार है? नहीं है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? मैं सदन के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाता हूं कि अगर अजमेर पुलिस ने ऐसा नहीं किया हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो आप दें। अगर आप इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जनता का सहारा लेकर मैं पुलिस वालों का मुंह काला करूंगा। जनता इस प्रकार की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जितने इस प्रकार के जुलूस निकाले गये हैं उनके पीछे षडयन्त्र हैं, या तो राजनैतिक षडयन्त्र है या पैसा नहीं देने के कारण षडयन्त्र हैं, जिसके द्वारा एस. पी. और पुलिस की मिली भगत नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रही है।

श्री दुर्गालाल बाकुवार : एक छोटा सा पूरक प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बलात्कार और फरारी के जितने केसेज होते हैं तो इस तरह के केसेज में लड़की के मिलने पर उसका एग्जामिनेशन कराया जाना, उसके स्टेटमेंट कराया जाना निहायत आवश्यक होता है। पुलिस अधिकारियों ने जैसा वक्तव्य आपने दिया है, ये दोनों कार्यवाहियां नहीं की हैं अपने ही आधार पर लड़की को छोड़ दिया गया है, तो क्या यह कार्यवाही उचित की गई है?

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न समाप्त हो गया, दूसरा चल रहा है।

श्री दुर्गालाल बाकुवार: जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्री खेतसिंह: पहले तो मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 10 केसेज की बात कही है, उसके अन्दर सारे 10 केसेज लिख कर दे दीजिये, जांच करवा ली जायेगी। दूसरी बात जो श्रीनगर में 28 तारीख को बकाया हुआ, क्योंकि एड्जर्नमेंट मोशन में यह बात नहीं थी इसलिये इस सम्बन्ध में मेरे पास फिलहाल जानकारी नहीं है। यदि चाहें तो एड्जर्नमेंट मोशन मूव कर दें या में जांच करवा लूंगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : नहीं, आप जांच करवा लें।

श्री खेत सिंह : में जांच करा लूंगा।

दूसरी बात कही कि पुलिस इस प्रकार की कार्यवाही करती है। ऐसा राजस्थान के किसी अन्य जिले में आज तक किस्सा सुना नहीं। आपके जिले में आप शिकायत करते हैं। मेरा खयाल है पुलिस वालों को ऐसे कामों में नहीं पडना चाहिये, पड़े हैं तो अच्छा नहीं किया है। मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो उचित एक्शन लूंगा और देखूंगा कि भविष्य में विभागीय तौर से इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें, जनता करे तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। आप ही कार्यवाही करें।

मेडिकल एग्जामिशन का जो सवाल उठाया गया, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि लडकी बालिग थी और मर्जी से उसके मकान में रहती थी। ऐसा केस पुलिस में दर्ज नहीं कराया गया कि उसके साथ रेप किया गया था। ऐसी हालत में आवश्यक नहीं कि मेडिकल एग्जामिशन होना चाहिये। यदि उसका पति या वह लडकी मुकदमा दर्ज करवाते तो यह सारी कार्यवाही की जाती। वातावरण बड़ा गम्भीर हो गया था इसलिए लडकी को कहा कि जोधपुर चली जाओ तो वह चली गई। इसलिए उस वक्त इन हालात में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना आवश्यक नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर चर्चा समाप्त हुई?

गृह मन्त्री अगला वक्तव्य देंगे।

बजराखो के खान के मजदूरों की पिटाई के सम्बन्ध में

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री गृह): अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री श्रवणलाल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 25-11-67 को बजराखों खान के 450 मजदूरों को निर्दयतापूर्वक पीटने बाबत उल्लेख करते हुए यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

इस विषय पर तथ्य एकत्र किये गये हैं तो पाया जाता है कि संबन्धित तारीख को ख्वाजना डूंगर मौके पर मौजूद नहीं थे। एक कान्स्टेबिल नन्दसिंह, जो थाना ख्वाजना डूंगर पर तैनात था, के द्वारा कुछ मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना प्राप्त हुई थी उस पर नन्दसिंह को थाने से हटा कर पुलिस लाईन भेज दिया गया व उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। प्रोम्प्टनैस देखिये। जहां तक उक्त खान के मजदूरों को बढ़ी हुई दर से वेजेज देने का प्रश्न है इस विषय में श्रम विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जा सकेगी। जहां तक कुछ मजदूरों को फैक्ट्री द्वारा उनकी झोपड़ियों से बाहर निकालने का सवाल है, यह पाया जाता है कि माननीय राजस्व मन्त्री ने उन्हें मैनेजमेंट के साथ बात

Page No.53

(श्री खेतसिंह)
चीत के पश्चात् वापिस उनके झोंपडों में रखवा दिया है ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मेरे स्थगन प्रस्ताव का मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है, उन्होंने बताया कि उस समय थानेदार थाने पर मौजूद नहीं था लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, थानेदार को बचाने के लिये और हैड कान्स्टेबल को वहां से हटा कर उसे पुलिस लाईन में डाल कर, इस तरह उसे शिकार बना कर थानेदार को बचाया गया है । घटना इस प्रकार थी कि वहां पर उस सब-इन्स्पैक्टर के द्वारा और पुलिस के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया । जब 450 मजदूरों ने, उस खान के हरिजन मजदूरों ने, जो उस खान से पत्थर निकालते थे, मांग की कि गवर्नमेंट की रेट से पैसा मिलना चाहिये, बढ़ी हुई दर से उन्हें पैसा मिलना चाहिये

श्री उपाध्यक्ष: कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री श्रवणलाल: संक्षेप में ही रख रहा हूं

इस तरह की मांग रखते हुए मजदूरों ने आग्रह किया कि उनको उचित रेट दी जाय । इस पर थानेदार ने पुलिस के सिपाहियों को साथ में ले कर उन गरीब मजदूरों को इस कदर पीटा कि कुछ कह नहीं सकते । उनको झोंपड़ियों से बाहर निकाल दिया । उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना को राजस्व मन्त्री स्वयं अपनी आंखों से देख कर आये थे । उन्होंने सवाई माधोपुर में आम सभा में कहा था कि मुझे भी इस घटना से बड़ा दुख है, बड़ी शर्म महसूस करता हूं और उनके प्रति जल्दी से जल्दी कदम उठाया जायगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री महोदय ने अभी तक कुछ नहीं किया । डिप्टी मिनिस्टर होम ने कहा कि उन व्यक्तियों को झोंपड़ियों पर बसा दिया गया है । इस प्रकार की कार्यवाही, इस प्रकार की ज्यादती सब-इन्स्पैक्टर करे और छोटे कर्मचारी को मोअत्तिल कर दिया जाय यह कहां तक उचित है ? मैं चाहूंगा कि सब-इन्स्पैक्टर के द्वार मार पीट की गई है तो इस सारी घटना की जांच की जाय और दोषियों को दण्ड दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मन्त्री जी और कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें मेरा भी जिक्र किया गया है इसलिये मैं भी कुछ निवेदन कर दूं । मैं फलोदी क्वेरीज पर गया था । मैनेजमेंट ने कुछ मजदूरों को काम करने से बन्द कर दिया और वहां जो वहां की झोंपड़ियों में रह रहे थे उनको वहां से रात को निकाल कर बाहर पटक दिया । 10 बजे मैं वहां पर पहुंचा और देखा कि सारे मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया था, वे सर्दी में वहां पडे हुए थे । मुझे बताया गया कि पुलिस के अधिकारियों ने उनको निकाला है । मैंने एस. पी. और डी.वाई.एस.पी. से कहा । फिर मैंने उन्हीं मजदूरों को उन्हीं झोंपडियों में वापस रखवा कर उनसे कहा कि कोई भी व्यक्ति तुमको नहीं निकाल सकता, तुमको यहां से नहीं निकलना चाहिए । मैंने यहां आकर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से उनको निकाला गया । जहां तक मारने पीटने का सवाल है, मेरे सामने यह सवाल नहीं आया जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वहां के यूनियन के एक प्रतिनिधि माननीय वकील आपके साथ थे और उन्होंने आपको सारी घटना बताई और मौके पर आपको ले गया था और उन्होंने आपसे मजदूरों को मारने पीटने की और झोंपड़ियों से निकालने की सारी बात कही और आप उस समय द्रवित हो गए थे, आपकी आखें छलछला उठीं, आपने कहा था कि मैं ऐसी हृदय विदारक घटना को बरदाश्त नहीं कर सकता और आकर आपने एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. से भी कहा था कि पूरी जांच की जाय, गलत काम करने वालों को सजा दी जाय? मैनेजमेंट पर बहुत बरसे लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी कि इसके बावजूद भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और मजदूरों के साथ कोई न्याय नहीं बरता गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने उनको उसी समय अपने सामने झोंपड़ियों में शिफ्ट करवा दिया था। हृदय विदारक घटना यह थी कि वे बिल्कुल निस्सहाय सर्दी के दिनों में पड़े थे, इसका मुझे जरूर खेद था और वकील वगैरह किसी ने मुझे से नहीं कहा। इंटक के सारे के सारे वर्कर्स थे वे मुझको ले गए और इन्टक यूनियन द्वारा ही मुझे शिकायत की गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको वहां पर जानकारी मिली कि मजदूरों को वहां पर पीटा गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं मिली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इंटक के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं दी ?

श्री दौलतराम सारण : कार्यकर्ता यदि आपको लिख कर दें कि पिटाई हुई थी तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका कहना है कि उस समय कार्यकर्ता उनकी चापलूसी में लगे हुए थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मजदूरों ने कोई शिकायत नहीं की। मैं 50 मजदूरों से मिल कर आया हूं।

श्री खेतसिंह (उप गृह मंत्री) : पुलिस बिल्कुल न्याय से काम करती है, पीटने का प्रश्न ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में पुलिस कैसे काम करती है, इसके लिए तो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट काफी है। जो स्कैंडल्स हैं, घोटाले हैं वे सब पुलिस में हैं और पुलिस का मोडस ऑपरेन्डी क्या है ?

श्री खेतसिंह : किसी विभाग को आप अच्छा भी बताते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : (गृह मंत्री से) मारपीट करना या मकान से बेदखल करना बराबर जुर्म है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस कानून के तहत उनके साथ ऐसा किया गया ? उस बारे में आप क्या सोचते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको सदन से बाहर निकालें तो उनको मालूम पड़ जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : जैसा जवाब में बताया गया, नंद सिंह कान्स-टेबल ने गलत तरह से फैक्ट्री वालों की मदद की थी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही

Page No.55

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है और उसको सस्पैंड करके यहां पर हाजिर किया गया है। सब-इन्सपैक्टर की वहां पर मौजूदगी नहीं पाई गई तो अगर कोई भी ऐसा आदमी है जिसने गलत कार्यवाही की है तो पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया है और अगर आप पाजिटिव जानकारी देंगे कि नंद सिंह हैड कान्सटेबल के सिवा और भी कोई इसमें शरीक था तो कार्यवाही करने में मैं संकोच नहीं करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि थानेदार थे। मैनेजमेंट ने सर्दी के मौके पर उनको झोंपड़ियों से बाहर निकाला, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए ..

श्री खेतसिंह : नंदसिंह को हटाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री श्रवणलाल : सवाल इस बात का है कि आज तक वे 450 मजदूर बेरोजगार पड़े हैं, इस महगाई के जमाने में ..

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री खेतसिंह : यह श्रम विभाग से पूछा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अगला स्थगन प्रस्ताव।

ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के संबंध में वक्तव्य

श्री खेतसिंह (उप मंत्री गृह) : माननीय श्री विजयसिंह रावत द्वारा जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा व अजमेर में ईसाई मिशनरियों द्वारा सस्ते दामों पर आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करा कर व अकाल राहत के नाम पर काम देकर धर्म-परिवर्तन के समाचार देते हुए एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था।

इस विषय में संबंधित जिलों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है किन्तु अभी तक सभी जिलों से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जिला भीलवाड़ा, सिरोही व बांसवाड़ा से सूचनाएं आई हैं जिनमें बताया गया है कि ऐसी कोई घटनाएं इन जिलों में नहीं हुई हैं बाकी जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मंत्री महोदय यह बात बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा यहीं पर समाप्त हो सकती है, अगर आप तीन चार नाम बता दें कि ये पहले हिंदू थे बाद में ईसाई हो गए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में हजारों लोग हैं जिनकी गरीबी का फायदा उठाकर उनको ईसाई बनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने तो कानून बनाया।

श्री विजयसिंह रावत : जैसे मुख्य मंत्री ने कहा था कि ईसाईयों की गतिविधियां भयंकर रूप धारण कर रही हैं, उसके लिए सभी दलों की एक समिति बनायेंगे और उस पर गृह मंत्री आश्वासन दे दें तो पर्याप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री के आश्वासन देने के बाद आवश्यक नहीं है कि गृह मंत्री भी दे दें।

श्री विजयसिंह रावत : जहां अभी तक यह हो रहा है उसको रोकने के लिए आप जिलाधीशों को लिखें ।

श्री दामोदर लाल व्यास : तीन जिलों से तो निगेटिव रिप्लाई आया है । बाकी की रिपोर्ट्स अभी नहीं आई । आप की मेहरबानी होगी यदि आप कुछ मिसाल आदमियों व गांवों के नामों सहित दें तो मुझे जांच करने में सहूलियत होगी । बाकी मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर अमल होगा ।

श्री विजयसिंह रावत : मैं जानकारी देता हूं कि जो मिशनरीज द्वारा काम होते हैं उनके बारे में । अमरीका से अनाज आता है, उसको न बेचा जायगा, न खरीदा जायगा । लोग कहते हैं कि इनको धर्म-परिवर्तन के लिए पैसा मिलता है । अनाज··

श्री दामोदर लाल व्यास : अगर मुझे सूचना देंगे तो सहूलियत होगी । अजमेर जिले की सूचना नहीं आई है । वह भी आएगी और आप भी जो सूचना देंगे उसको एक दूसरे से टैली करने में सुविधा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा बारां के बारे में स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : श्री देवीदत्त गाड़िया का मांगरोल तहसील के गांवों में ओला वृष्टि का स्थगन प्रस्ताव है इस संबंध में निवेदन है कि सूचना प्राप्त हुई । उसके आधार पर 23-12-67 को 3 बजे तहसील मांगरोल के देहात मजरा सिन्धपुरा की झोंपड़ियों पाटोन्दा, ऊदपुरमा, पीपल्दा, सोनवां, सीसवाली व रायथल के कुछ भाग में व ग्राम बड़गांव की पश्चिमी भाग में तथा नवलपुरा या कलखेड़ा के पूर्वी भाग में ओले पड़े हैं । यह ओले चने व झाड़ी बेर के बराबर के थे । जिससे गेहूं चने में मामूली नुकसान बताया व धना-मिर्च में भी मामूली नुकसान हुआ है ।

इसके बाद दिनांक 9-1-68 को भी ओलावृष्टि हुई जिससे तहसील मांगरोल के महुवा, बोहत, रंगसपुरा, भटवाड़ा, श्यामपुरा, हिंगोन्या, ईसरपुरा, झाड़वा, अदपुरा, तथा तहसील किशनगंज के ग्राम पदमपुरा, मदनपुरा, भवानीपुरा, छत्रपुरा, स्वरूपपुरा, कागला बमोनी, सेवजी रेलखन, बालापुरा सौभागपुरा व कुछ ग्राम हल्का गाड़ा व खन्डेला में ओले पड़े ।

इसी प्रकार तहसील बारां के सीमली, सांकली, मिवाड़ा, चैनपूरा, खेड़ी जागीर, उल्धी, वमूल्प जागीर व कोपला में भी ओले पड़े हैं ।

इस दिनांक 9-1-68 की ओलावृष्टि से सीधी फसल धन्या व अलसी में 50 प्रतिशत नुकसान कहीं कहीं पर है । गेहूं चने में करीब दो आना नुकसान हुआ है । ज्वार की कड़वी ऊपर से काली पड़ गई है । वैसे चारे में कोई नुकसान नहीं है ।

किस किस ग्राम में कितने कितने रकबे में नुकसान है इसके लिये तहसीलों से दर्याफ्त किया जा रहा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री जी ने बारां, अन्ता तहसील क्षेत्र के जिन गांवों में ओला वृष्टि के बारे में अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के द्वारा उन्होंने जो यह बताया कि ओला वृष्टि में ओले चने के बराबर गिरे । उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उन गांवों में ओले पड़े उस समय मैं उन गांवों के दौरे में था। वहां के किसानों की हालत देखी तो मुझे अफसोस और रोना आ रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया आधा-आधा किलो के ओले गिरे हैं। गांव वाले जो बाटी बनाते हैं, उस बाटी के बराबर गिरे हैं और इतने अधिक गिरे हैं कि दो दिन तक उन गांवों में ओले के कारण जमीन सफेद ही सफेद दिखाई दे रही थी। ओला वृष्टि के कारण वहां के किसान अपनी गाड़ियों को नही ले जा सके। मंत्रीजी ने जो यह बताया कि धनिया और अलसी के अन्दर 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है बाकी चने और गेहूं के अन्दर नुकसान नहीं माना है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी को सरपंच का जो पत्र मेरे पास आया है, उसे सबके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। सरपंच ने लिखा है। उपरोक्त विषय के अनुसार निवेदन है कि दिनांक 9-1-68 को सांयकाल 6-7 बजे के करीब अकस्मात ओले गिर जाने से पंचायत क्षेत्र ऊदपुरा में फसल का काफी नुकसान हुआ है। यहां तक कि कई खेतों में जिनका रकबा सैकड़ों बीघा है वह फसल सब नष्ट हो गई है। कुल क्षेत्र की अनुमानित 75 प्रतिशत फसल का नुकसान हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र वहां के सरपंच का है। इस प्रकार वहां गांव में अलसी और धनिया नष्ट हो गया है। चने और गेहूं में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ। इतना ही नहीं जिन किसानों की ज्वार की फसलें थीं वे भी ओला-वृष्टि के कारण पकी पकाई गल गई। अति वृष्टि होने के कारण सारे मवेशियों का जो चरने का चारा था और जो पहले का भूसा रखा था वह गल गया। आज 200-250 गांवों में मवेशियों के चरने की समस्या हो गई है और किसानों की हालत बहुत खराब है। वे लगान नहीं दे सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 200-250 गांवों में ओला वृष्टि के कारण अकाल पड़ा है वे उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करें। लगान की वसूली रोक दी जाय, लगान माफ कर दिया जाय, जिन पर कर्जा है सहकारी समिति का या सरकार का उस कर्जे की वसूली को रोका जाय। इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के मामले में पिछले सत्र में उदयपुर में करोड़ों रुपया खर्च किया गया। नसीराबाद में अकाल नहीं पड़ा लेकिन अकाल के नाम से चुनावों के लिये लाखों रुपया खर्च किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप भी उसी तरह खर्च करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में 3 तहसीलें हैं जिनमें फसल का नुकसान करीब 5 करोड़ रुपये का है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी जो हाड़ौती के रहने वाले हैं अपनी कार उस इलाके में ले जाकर तो देखें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे विश्वास है उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर । आपने यह बात कह दी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसके साथ साथ उस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित करें ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस प्रति के आने के बाद मैं खुद भी उस तरफ गया था बारां के एस. डी. ओ. से बात करके हर एक गांव की अलग-अलग रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजने के लिये कहा है । उसमें टाइम लगेगा और ज्यों ही वह रिपोर्ट आ जायेगी, आपने कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है, अपने नियम बने हुये हैं, उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी । वसूली पर भी विचार कर लिया जायगा । लगान पर भी विचार किया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया: चारे की जो समस्या है वह इतनी भयंकर है कि जो मवेशियों की आजीविका का साधन है ।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर दे रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं स्वयं उस तरफ जाने का सोच रहा हूँ । निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता हूं लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा ।

श्री नन्दलाल (किशनगंज) : मैंने ओला वृष्टि के समय इन तहसीलों का जो मेरे क्षेत्र में आती हैं, दौरा किया है । मैंने स्वयं ने देखा है माननीय उपाध्यक्षजी कि जिस प्रकार खेतों में कोई जानवर चर जाते हैं और बिल्कुल ही खाली खेत हो जाते हैं ऐसा ओला वृष्टि के कारण हुआ है । सब खेत जैसे मिट्टी में मिल चुके हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस क्षेत्र को देखें । जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है वह बिल्कुल गलत है । 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है । दो आना चने और गेहूं में नुकसान है, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि गेहूं और चने की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो चुकी है और अब उनसे वसूली मांगी जा रही है । मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जितनी भी वसूली है उसको प्राय: रोक दी जाय, और मैं मंत्री महोदय एक और आग्रह करूंगा जब कभी वे अपना प्रोग्राम बनायें तो मुझे भी सूचित करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 10 परसेन्ट ज्वार का नुकसान हुआ है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऊपर ऊपर की जो ज्वार थी उसका जरूर नुकसान हुआ है वह काली पड़ गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : 10 परसेन्ट हो जाता होगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसी प्रकार चारे में ऊपर को छोड़कर है वह भी खराब हो गया है ।

भरतपुर में लगान वसूली के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रस्ताव ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस प्रस्ताव में माननीय उपाध्यक्षजी दो बातें निहित हैं जो माननीय रामकिशनजी ने और नत्थीसिंहजी ने प्रस्ताव की सूचना दी है वह यह है कि

(श्री बृजसुंदर शर्मा)

लगान की जो घोषणा की और फिर भी लगान वसूल किया जा रहा है। जिला भरतपुर में बरसात के समय काफी नुक्सान हुआ। उसको राज्य सरकार को 19 सितम्बर, 67 को लिखा गया है। बाढ़ से भरतपुर को काफी नुक्सान हुआ। जहां वसूली जरूरी नहीं है, प्रस्ताव भिजवाये। जब वसूली के बारे में ज्यादा शिकायतें आने लगीं तो मैं खुद भरतपुर गया और लिखित रूप में आदेश देकर आया कि वसूली स्थगित कर दी जाय और यहां आते ही एक जनवरी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से खरीफ की वसूली स्थगित करने के आदेश कर दिये हैं। इसके बाद जितने भी इसके फीगर्स आयेंगे उनको फाइनेन्स डिपार्टमेंट को भेजकर तय किया जायगा।

श्री नरसिंह : इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: रेमीशन का यह नियम है कि वसूली स्थगित कर दी जाय। प्रत्येक गांव की गिरदावरी देख कर सारे एरिया में ज्यादा से ज्यादा अकाल होगा उसका जब तक खसरा तैयार नहीं किया जाता, टोटल रेमीशन का जो अमाउन्ट है कलेक्टर फाइनेन्स डिपार्टमेंट की मन्जूरी लेकर रेमीशन किया जाता है। ज्योंही कागजात आ जाते हैं रेमीशन की कार्यवाही की जायगी फिलहाल लगान स्थगित है।

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय यह मामला बहुत साफ और स्पष्ट है मंत्री मंडल की जब बैठक हुई उस समय सारे पत्रकार सारे मंत्री मंडल के साथी और सदस्य विधान सभा के उस क्षेत्र के थे उनकी उपस्थिति में यह ऐलान किया गया कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी है, वहां का लगान माफ कर दिया गया। ऐसा मंत्री मंडल द्वारा ऐलान किया गया था। जब राजस्व मंत्री भरतपुर में पधारे थे उस समय भी आपने लगान वसूल नहीं किये जाने के आदेश दिये थे, लेकिन आपकी आज्ञा के बावजूद लगान भरतपुर और वैर तहसील के गांवों से वसूल किया जा रहा है। सब से पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार के नकशे बन रहे हैं उनसे किसी प्रकार भी समस्या सुलझाने वाली नहीं है बाढ़ सारे इलाके में आयी है। बाढ़ के दिनों में पटवारी उन गांवों तक में नहीं पहुंच पाये। सार्वजनिक कार्यकर्ता भी नहीं पहुचे उनका पहुंचना बाढ़ के कारण असंभव था। उस जगह के लिये भी लगान लिया जा रहा है। वहां पानी आ जाने से कई झंझट खड़े हो गये जमीन को बोया नहीं जा सका, उसको नुकसान कैसे मानें इस प्रकार की जहां पेचीदगियां हैं वहां के लिये वित्त विभाग से सहमति लेकर नक्शा बनाकर माफ कर देंगे। वहां लगान का माफ करना आवश्यक है, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं। खरीफ की फसल बोई नहीं गई। उस जमीन पर बोना भी बहुत मुसीबत पूर्ण है। जिन गांवों में बाढ आई, फसल बह गई सरकारी अधिकारी जहां पहुंचे ही नहीं दूसरे इरिगेशन विभाग ने यह माना कि सब ऐसे गांवों के लोगों को माफी दे दी जायगी। इस प्रकार के आदेश के बावजूद भी वहां वसूली की जा रही है, तो यह तो राज्य सरकार के देखने की बात है कि उनके आदेशों के बावजूद यह क्यों हो रहा है? मंत्रीजी मेरे सामने आदेश देकर आये थे, लेकिन उनके आदेशों को माना किसी ने नहीं। मंत्रीजी आप अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भले ही न रखें लेकिन मंत्री-पद की

(श्री रामकिशन)

प्रतिष्ठा का तो ख्याल रखें, आपके आदेशों का पालन हो। आपके आदेश का पालन कलेक्टर नहीं करते, तहसीलदार नहीं करते। आप जो भी घोषणायें करते हैं उसके विपरीत असर होता है।

तीसरा सिंचाई मंत्री महोदय जवाब देंगे कि जो बात हमारे सामने तय हो गई लगान माफ कर देंगे। पानी का लगान है वह वसूल नहीं करने वाले हैं। राज्य सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी फिर उसके लिये दुबारा नक्शे बनाना मैं समझता हूं क्या मतलब रखता है? आपने सिंचाई रेट को माफ करने का आश्वासन दिया था उसके बावजूद जिनसे पैसा ले लिया गया वह पैसा उन लोगों को वापिस घर जाकर अधिकारियों द्वारा पहुंचाना चाहिये। भरतपुर में कभी अकाल नहीं पड़ता इसलिये वहां कांग्रेस भी कभी नहीं जीतती, अब की बार पहली बार यह झंझट आया है। इसलिये आप अपने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दें कि जिनका पैसा वसूल कर लिया है उनको घर जाकर वापस करें।

श्री मत्थीसिंह (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने आदेश दिये और हमारी मौजूदगी में आदेश दिये थे। भरतपुर में जो बाढ़ आयी उससे दो जगह ज्यादा नुकशान हुआ है एक तो गोवर्धन ड्रेन से सब से ज्यादा नुकसान सातरूक गांव जो यू. पी. सीमा से लगता है वहां पर हुआ है जो कामां तहसील में है। वहां पर न तो कोई पटवारी गया न कोई अधिकारी गये वैसी स्थिति में भी वहां के लोगों से लगान वसूल करना और उसके लिये जबरदस्ती करना क्या मतलब रखता है? उसके लिये राजस्व मंत्री महोदय के आदेश हैं इस प्रकार वे लोग कहते हैं और सरपंचों को धमकियां देते हैं यदि तुमने लगान वसूल नहीं करवाया तो तुम्हें मोअत्तिल करने की कार्यवाही की जायगी।

गिरिराज केनाल में बाढ़ के समय हमारे सिंचाई मंत्री महोदय वहां पर नाव में बैठ कर पधारे थे उनको पता है कि किस तरह का नुकसान वहां हुआ इस पर भी उस केनाल के नीचे आने वाली जमीन पर लगान लिया जा रहा है और यह आदेश दिये हैं कि 31 जनवरी तक लगान दे दें अन्यथा उनसे पेनेल्टी ली जायगी। वहां के नुकसान का 6 आना और दस आना खराबा है। दसवें हिस्से में खराबा हुआ है वहां पर पटवारी ने 10 आना खराबा नहीं दिया है वे यह कहते हैं कि हम जरूर लगान लेंगे हम को कलेक्टर का हुक्म है, तहसीलदार का हुक्म है। असलियत यह है कि कोई पटवारी गांवों तक गया ही नहीं। बाजरा ज्वार की भी फसल नष्ट हो गई। फिर भी वहां से लगान वसूल हो रहा है। आपके आदेशों की क्या कीमत है यह इससे पता चलता है। आप यह मानते हैं कि लगान माफ होना चाहिये। आपने जब आदेश दिया उस समय आपने कहा था कि सेक्रेटरी साहब सुन लीजिये रेमीशन बर्ड है कलेक्टर के समक्ष में आ जाय लेकिन आज तक वह समझता ही नहीं। लगान वसूल जहां नहीं करना चाहिये वहां पेनेल्टी के साथ आप वसूल करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्व मंत्री!

श्री बृजसुन्दर शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, जो डिसीजन केबीनेट द्वारा लिया गया उस

Page No.61

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पर केबीनेट बदस्तूर कायम है, उसकी पालना की जायगी। अक्टूबर 67 में पटवारियों को लिखा गया कि स्थिति की जानकारी करें। पानी भरा हुआ था इसलिये वहां पर 16 आना फसल होना संभव नहीं था। दो गांवों के नाम आपने दिये हैं उन दो नामों को लेकर इसकी सारी जांच करा ली जायगी। अगर वसूली हो गई है तो बहुत गलत चीज है। यहां के आदेश के बाद भी आदेशों का पालन नहीं किया गया कलेक्टर का जरा दिमाग जरूर खराब है..........

श्री विजय सिंह रावत : तो उसका दिमाग ठीक क्यों नहीं किया जाता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डाक्टर करेंगे ठीक तो। यह जरूरी चीज है कि आदेशों की जिन अधिकारियों ने अवहेलना की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। अभी या कल सुबह मैं कलेक्टर से इस बारे में बात कर लूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, कल मुझे आदेश दिया स्टेटमेन्ट देने के लिये लेकिन कल माननीय सदस्य रामकिशन जी नहीं थे इसलिये मुझे नहीं देने दिया गया।

श्री रामकिशन : 30 तारीख के लिये था। यदि कल था तो आज उसको देने में क्या फर्क पड़ता है। आपका तो रटा रटाया वक्तव्य है। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसका उत्तर लिख कर भेज दूंगा।

श्री रामकिशन : आपको तो वक्तव्य देना है आज या कल में क्या फर्क पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कल वक्तव्य देने के लिये खड़ा हुआ था आप नहीं थे, इसलिये लेप्स हो गया।

श्री रामकिशन : हमें क्षमा कर दीजिये माफ कर दीजिये यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसका जवाब दे दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्योंकि कागजात तो मैं लाया नहीं। जबानी मैं कुछ कहूंगा उस पर आप तरह तरह के सवाल पूछेंगे।

श्री रामकिशन : तरह तरह के नहीं दो तरह के ही पूछूंगा एक पानी के रेट के बारे में, और दूसरा आप क्या कहकर आये थे इस तरह से दो तरह के सवाल पूछूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि पानी के संबंध में बाढ़ के वक्त क्या फैसला हुआ। जहां तक मुझे याद है जो मंत्री मण्डल की सब कमेटी की बैठक भरतपुर में हुई थी उस समय यह निर्णय लिया गया था कि 31-10-67 तक जो जमीनें खाली न हों और पानी भरा हुआ रह जाये तो ऐसी जमीनों से सिंचाई शुल्क नहीं लिया जाय। तो 31-10-67 के बाद में खाली जमीनों से सिंचाई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और हमने आदेश भी दे दिये हैं और मेरी जानकारी के अनुसार 31-10-67 के बाद में खाली होने वाले क्षेत्र से सिंचाई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

दूसरा प्रश्न इस पर यह भी उठाया था कि बढ़ी हुई दरों से सिंचाई वसूल की जा रही है। माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1966 के अन्दर जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने स्पीच दी

Page No.62

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

थी तो अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि नान-सीरियल क्राप्स के ऊपर 5 रु. प्रति एकड सिंचाई शुल्क में बढ़ोत्तरी की जायेगी और उसी के फलस्वरूप राजस्थान सरकार की ओर से 27 जनवरी, 1967 को आदेश प्रसारित किये गये और उसी के फलस्वरूप नान-सीरियल क्राप्स में जगह ब-जगह अगर कहीं बढ़ोत्तरी की हुई रेटों से वसूल कर रहे हैं तो वह उसका कारण है।

मेरे ख्याल से आपके दो ही मुद्दे थे। उन दो मुद्दों के साथ ही साथ बाढ के संबंध में भी कुछ कहा था। हमने ज्यों ही बाढ़ के समय में काम काज हाथ में लिये और उसके अलावा विशेष मन्जूरी 5 लाख की बाढ़ के कामों के लिए रिपेयर्स के लिए दी, उसके बाद में 25 लाख रुपये और मन्जूर हुए जो कि प्लान सीलिंग से बाहर हैं। राज्य सरकार ने कोशिश करके सेन्ट्रल असिस्टेंस के तौर पर प्लान सीलिंग्स के अलावा 25 लाख रुपया और प्राप्त किये कि जिससे हम बांध जो खराब हो गए थे बाढ़ से उनकी रिपेयर्स वगैरह को और उनके रेस्टोरेशन के काम को भी हाथ में ले सकें। हमने काफी काम शुरु कर दिए हैं। बचे हुए कामों को भी और शुरु कर देना चाहते हैं ताकि आइन्दा बरसात के वक्त फ्लड्स आयें तो हम जहां तक सम्भव हो हानि से बच सकें।

इसके साथ ही साथ गोवर्धन ड्रेन के बारे में भी बातचीत की है। परसों ही एक मीटिंग थी जिसमें यू. पी., हरियाना और राजस्थान के प्रतिनिधि डाक्टर के. एल. राव की अध्यक्षता में मिले थे और हमने वहां पर कहा कि जिस तरह से हो गोवर्धन ड्रेन यू. पी. में बढ़ जाये तो जो हमारे यहां का पानी है वह निकल सके और बरबादी बाढ के दिनों में होती है और भरतपुर जिले के दूसरे और क्षेत्रों में पानी भर जाता है उसको एक रास्ता मिल जाय। फाइनेन्सेस की कमी हरियाना में भी है और राजस्थान में भी है लेकिन निर्णय किया गया है कि यू. पी. सरकार अगली साल अप्रेल से अपने खर्चे से उस काम काज को शुरु कर दे। इस तरह से बिना हमारे कन्ट्रीब्यूशन के और बिना हरियाना के कन्ट्रीब्यूशन के यू. पी. सरकार अगली साल याने जो आने वाला वर्ष है 1 अप्रेल तब से काम काज शुरु कर देगी। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि इस अगली योजना पर करीब 4।। करोड़ लागत के लगेंगे और उसमें 46 लाख के करीब अपना भी हिस्सा है और ज्यादा हिस्सा हरियाना का है। अपने को अगली साल हिस्से की बिना रकम दिये ही काम यू. पी. में शुरु हो जायेगा और इसका लाभ मिलेगा और राजस्थान के अन्दर भरतपुर जिले में पहाडी और कामा वाली ड्रेन है उसको कराना और उसको सुधारने की भी योजना है लेकिन जब तक यू. पी. का हिस्सा ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसमें काम करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये उस काम को हम अगली साल हाथ में नहीं लेकर बाद में हाथ में लेंगे ताकि दोनों वर्क्स कोइन्साइड हो जायें और एक दूसरे के पूरक बन सकें और हम उसका लाभ उठा सकें। बाकी के बहुत से काम हैं चाहे वह भरतपुर के आस पास के हों, चाहे कामा के प्रोटेक्शन वर्क्स हों, चाहे दूसरे कामकाज हों हम अपना नैक्स्ट ईयर का बजट भी रख रहे हैं और इस साल जो एक्स्ट्रा ग्रान्ट हुई है उससे भी कर रहे हैं और भी धनराशि प्राप्त करने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की कोशिश करेंगे जिससे यह काम काज सुगमता पूर्वक हो सके और इस इलाके को बाढ़ से बचाया जा सके। यही मुझे इन तथ्यों के संबंध में निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातों की जानकारी लेनी है····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने कहा था कि इसमें और सवाल नहीं करूंगा।

श्री रामकिशन : पर दो तीन बातों की जानकारी लेनी है जिसके लिए मैंने पहले ही कहा था। एक तो आपने कहा कि जो 31-10-67 तक पानी भरा रहेगा उनसे आबयाना नहीं लिया जायेगा और मैं यह समझता हूं कि उनके ऊपर तो लगेगा ही क्या वह क्षेत्र तो पहले ही झील बना हुआ है। मैं आपको निवेदन करूं कि तय यह हुआ था कि जिन्होंने कातिक में और खरीफ की फसल बोई वह उन्होंने इस ख्याल से बोई कि पानी नहीं आयेगा लेकिन बाढ आई और फसल नष्ट हो गयी उनका लगान माफ करने का था·······

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो अलग था।

सिचाई कर की बात कही थी। मंत्री-मंडल ने सिंचाई शुल्क के बारे में जो निर्णय लिया वह केवल एक ही है कि 31-10-67 के बाद में जो एरिया खाली हो उनसे सिंचाई शुल्क नहीं लिया जाय। इसके अलावा और कोई निर्णय केबिनेट में नहीं लिया गया।

श्री रामकिशन : राज्य सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। दूसरे आपने कहा है कि रेट्स बढाना चाहते हैं तो वह नॉन-सीरियल्स पर है तो चने को आपने किस में शामिल किया है और दूसरी बात जो बजट के समय तय हुई थी उसमें तय हो गया था। भरतपुर में सिचाई का दूसरा सिस्टम है। वहां पर आप नहरों से तो पानी देते नहीं हैं और वहां पर फ्लड वाटर को ही कण्ट्रोल किया जाता है तो बांधों के ऊपर जो बढा हुआ आबयाना है वह लागू होगा ? इसी प्रकार के आदेश जब लेवी उगाई गयी थी तो कहा था कि इन क्षेत्रों से नहीं ली जाये क्योंकि यह क्षेत्र सिंचित क्षेत्र नहीं हैं। अगर सरसों और तम्बाखू और दूसरी चीजों पर आप लगाते हैं तो इससे हमें ऐतराज नहीं है लेकिन जब पुरानी रेट्स चने के ऊपर लगा दी गयी हैं। इसमें सिचाई विभाग का और आपका कोई योगदान नहीं है। राज्य सरकार की गल्तियों की वजह से बाढ आई और पानी आया·········

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी तो कुदरत से आता है इसमें शक नहीं। लेकिन फ्लड आता हैं। ज्यादा पानी आया और ज्यादा पानी मिल गया। लेकिन लाखों और करोड़ों रुपये हमें सरकार को खर्च करने पड़ते हैं चाहे क्राप्स रिलीफ के तौर पर 20 लाख की मन्जूरी हो, चाहे 30 लाख रुपये इर्रीगेशन वर्क्स के ऊपर हों, चाहे 25 लाख रुपये सडकों के हों यह तो राज्य सरकार को खर्च करने पडते हैं। कुदरत से पानी आता है तब भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ जाती है और जिम्मेदारियों को देखते हुए यदि कोई चीज वसूल की जाती है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रस्ताव ।

श्री रामकिशन : चने के बारे में तो बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं ? मंत्री महोदय ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है ।

श्री नत्थीसिंह : अब की बार भरतपुर में चना विशेष रूप से बोया गया और सरकार ने बीज भी दिया है और सिंचाई पर ज्यादा कर लगाया गया है । चने को सीरियल्स में नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जायगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फसल कितनी बढ़िया हुई है ?

श्री नत्थीसिंह : बची रह जाये तब की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । अगला प्रश्न !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सहदेव शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह यहां हैं नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है । यह है जयपुर में वर्षा और ओलावृष्टि से फसल की क्षति होने के बारे में .....।

श्री श्रवणलाल : तब तक चने की फसल में कीडा लग गया इस सम्बन्ध में दे दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक प्रस्ताव श्री रामचन्द्रजी का है वह भी नहीं हैं इसलिए इसका भी मैं समझता हूं कि उत्तर न दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : बूंदी जिले में लगान की बढी हुई दरें—श्री केशरीसिंह !

बूंदी जिले में लगान की बढी हुई दरें

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिला बूंदी के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है जहां तक इसके जवाब का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ।

"बूंदी जिले में कुल चार तहसीलें हैं जिनमें कुल गांवों की संख्या अवधि बन्दोबस्त, औसत लगान दर, गत बन्दोबस्त एवं हाल बन्दोबस्त आदि आदि का विवरण इस प्रकार है कि बूंदी जिले में केशोरायपाटन, बूंदी, नैनवा और हिण्डोली यह 4 तहसीलें हैं और इनमें से केशोराय पाटन में 171 गांव हैं जिनमें अवधि बन्दोबस्त संवत् 2022 से 2041 है और औसत लगान गत बन्दोबस्त चाही कम 1.90 प्रति बीघा, बारानी का .96 प्रति बीघा, बारानी का .95 और माल नहरी का 1.44 प्रति बीघा है । गत बन्दोबस्त से मौजूदा लगान दरों में कमी अथवा बेशी का प्रतिशत है वह चाही का बेशी 2.25 प्रतिशत, बारानी का माइनस 12 प्रतिशत, माल का माइनस 2 प्रतिशत और नहरी का 7 प्रतिशत बेशी है बूंदी में 259 गांव हैं, लगान की अवधि बन्दोबस्त ए. 23 से 42 और इसका औसत लगान 1 रु. 76 पै. चाही का और बारानी 78 पैसा, माल 1.31 रु., मौजूदा बन्दोबस्त में चाही 1.65 रु., बारानी 67 पैसा, नहरी 1.40 रु., और चाही 2.23 रुपये इस तरह से 6 पर्सेंट की बढोतरी हुई है ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नैनवा में 165 गांव जिनमें 2001 से 2020 तक का था, लेकिन इसमें अभी रिवाइज्ड सेटलमेंट नहीं हुआ है उसकी वजह से पुरानी दरें अभी तक प्रचलित हैं।

हिन्डोली में भी पहले की ही दरें अभी तक प्रचलित हैं।

उसके अनुसार नई बन्दोवस्त लगान दरें केवल तहसील केशोराय पाटन में लागू हुई हैं। जिसका पुनः बन्दोवस्त सं. 2022 से लागू हुआ है। बन्दोबस्त दिनांक 1-9-66 से चालू होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सन् 1956 की धारा 106, 107 और 142 के अन्तर्गत दिनांक 7-12-67 को बन्द किया जा चुका है।

अतः अब नियम के अनुसार बन्दोवस्ती लगान दरों की कमी करने का प्रावधान नहीं रहता है। जहां तक नई दरों की बढ़ोतरी का सवाल है, वह निराधार है। क्योंकि नई लगान दरें गत बन्दोवस्त से अलावा माल के सभी किस्मों में कमी हुई है। गत बन्दोवस्त में नहरी किस्म नहीं थी। तहसील केशोराय पाटन में नई बन्दोवस्त दरें सम्वत् 2022 से लागू हुई हैं। यह दरें जो रेन्ट रेट रिपोर्ट में निकाली गई हैं, वे राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट सन् 1956 की धारा 152 के अन्तर्गत निकाली गई हैं। इस धारा में जिस वर्ष भू-प्रबन्ध शुरू किया जावे उससे पिछले 20 वर्षों में रहे अनाज के भावों का औसत लेने का प्रावधान है। जिसके अनुसार सम्वत् 1999 से 2018 तक के भाव एकत्रित कर उनमें से सं. 2003 से 2012 तक के बाजार भाव जिनको राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या 12 (22) 56, दिनांक 1-9-56 द्वारा असामान्य घोषित कर रखा है, वे शामिल नहीं किये गये हैं। लगान दरें निकालने में जो अनाज के बाजार भावों का औसत लिया है, वह मौजूदा बाजार भावों का केवल 20-25 प्रतिशत ही है। इसके अलावा तहसील के कृषकों को और छूट देने के लिए उपरोक्त भावों से जो लगान दर आई, उनमें भी 50 प्रतिशत की और छूट दी गई है जिससे कृषकों पर अनावश्यक लगान का भार न पड़े।

इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि केशोराय पाटन में पहले सारी जमीन जो थी वह बारानी थी। उसके बाद में चम्बल की सिंचाई आई और चम्बल की सिंचाई के आने से बारानी की जो किस्म थी वह नहरी हुई और नहरी किस्म के होने से लगान में बढ़ोतरी हुई। पहले जो सरचार्ज लिया जाता था वह बारानी पर लिया जाता था। उसके नहरी किस्म होने से लगान में वृद्धि हुई तो 75 रुपये से ज्यादा लगान के हुए तो सरचार्ज की रेट दुगनी हो गई। इसलिये वहां पर लोगों में आम तौर पर शिकायत है कि लगान की दरों में भी बढ़ोतरी हुई है और सरचार्ज की दरें भी बढ़ी हैं और बेटरमेंट लेवी भी उनसे ली जाती है। यह प्रश्न मेरे सामने भी तहसील के दौरे पर कई दफा आया है। मैं इस प्रश्न को राज्य सरकार के सामने रखूंगा और उस पर जो कुछ फैसला होगा वह आपको सूचित कर दूंगा।

श्री केशरीसिंह हाडा: उपाध्यक्ष महोदय, लगान जो बढ़ा है उस विषय में मैं एक प्रश्न राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं। वह यह है कि समुचित भूमि जो बारानी थी अब वह

Page No.66

(श्री केसरीसिंह हाडा)
आप यह समझते हैं कि समुचित भूमि तहसील केशोराय पाटन में सिंचित हो गई और अगर नहीं हुई तो लगान की वृद्धि जो सब पर समान हुई है वह क्यों हुई है ? यह नहीं है कि सिंचित भूमि पर ही वृद्धि हुई हो और असिंचित भूमि पर नहीं हुई हो।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि चुनावों के पूर्व पाटन की आम सभा में आपने आश्वासन दिया था कि लगान पर जो वृद्धि की गई है उसको हम चुनावों के बाद में देख लेंगे और जहां तक हो सकेगा उसमें कमी कर देंगे। इसके ऊपर भी आप कृपया स्पष्टीकरण कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चुनावों के दौरान में इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अभी जब मेरे पास मामला आया तो उस पर कन्सीडर करने का विचार है कि जो बारानी भूमि है और जिसके ऊपर पानी नहीं फिरा और यदि उस पर दुगना लगान कर दिया गया है और उसको नहरी मान लिया गया है तो नहर विभाग से जांच कराके जहां जहां इस प्रकार की बात हुई है उसके बारे में जरूर विचार करेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 15 जनवरी को किसान सम्मेलन कापरेण में हुआ और वहां पर इस विषय में जो प्रस्ताव पारित हुआ और वे लोग जब आपके पास आये तो आपने उनसे जो उनके प्रस्ताव थे वह झेलने से इन्कार कर दिया और चुपचाप रेस्ट हाउस में भाग गये, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किसी सभा में हुल्लड मचाकर आयें और यह कहें कि हमारा प्रस्ताव लो तो यह जरूरी नहीं है। जहां मैं रुका हुआ था वहां दे सकते थे यह मैंने कहलवाया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर विचार समाप्त किया गया, अगला प्रस्ताव।

श्री केशरीसिंह हाडा : इसमें सिंचाई का है तो उस आधे भाग का तो उत्तर मिल जाय। नहरों से पानी का और जो खुशहाली का है उसका।

श्री उपाध्यक्ष : बूंदी जिले में लगान की बढ़ी हुई दरें यह लिखा है।

श्री केशरीसिंह हाडा : और भी है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार आ जायेगा अगर होगा तो।

श्री केशरीसिंह हाडा : उसमें पिलाई की वृद्धि और सरचार्ज .....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह बढ़ी हुई दरों में आ गया।

श्री केशरीसिंह हाडा : नहीं हुकुम, सिंचाई की दरें बढाई गई हैं.....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : सिंचाई की दरें बढ़ी नहीं हैं सिर्फ सीरियल्स पर बढ़ी हैं वह आपके सम्मुख आ ही चुका है। नॉनसीरियल्स जो कैश क्रॉप्स हैं उन पर 5 रुपये की वृद्धि हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रस्ताव।

श्री केशरीसिंह हाडा : सिंचाई गेहूं पर भी बढ़ाई गई है और चने पर भी बढ़ाई गई है बगीचे पर भी पिलाई बढ़ाई गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका जवाब सिंचाई मंत्री जी देंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा : सिंचाई मंत्रीजी से पूछ रहा हूं आपसे कौन पूछ रहा है ? बीच में क्यों टांग फंसाते हैं।

एक माननीय सदस्य : मैंने भी एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने 18 तारीख को दिया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री केशरीसिंह हाडा : नहर से पिलाई की दरें बढ़ी हैं यह भी इसी का एक भाग है। उसका जवाब हो जाय तो काफी सहूलियत हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी उपस्थित नहीं हैं अभी।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे लिए तो गृह मंत्रीजी भी तैयार हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक दूदू के बारे में था। माननीय सदस्य श्री सुआलालजी नहीं हैं।

श्री केशरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह समझूं कि इस का जवाब बाद में दे दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में दे दिया जायगा।

श्री केशरीसिंह हाडा : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी का और कोई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चार थे जिसमें एक दूदू का था वह भी माननीय सदस्य नहीं हैं और सहदेवजी भी नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा भी आपने जो भूमि-आवंटन की है उस सिलसिले में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री जयनारायण सालोदिया : सबसे पुराना है मेरा 18 तारीख का।

श्री उपाध्यक्ष : आज वह तैयार नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जी नहीं, वे तैयार हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वे कह रहे थे मैं तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी अपना काम समाप्त करके चले गये।

श्री मथुरादास माथुर : न गृहमंत्रीजी हैं और उपगृह मंत्रीजी हैं। अगर मुझ से चाहें तो मैं दे दूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव है जो मैंने 18 तारीख को दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में प्रथम जानकारी दी जा सकेगी। अभी तो जो वक्तव्य दिये जा रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाय।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी इस बात के लिए कहा गया था तो कहा गया था कि इसका जवाब दे दिया जायगा। आपके जरिये मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि उसका जवाब जल्दी ही दे दिया जाय और आज ही दे दिया जाय।

(2 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : किस विभाग से संबंधित है ?

श्री श्रवणलाल : तहसील हिन्डोन में चने की फसल में कीडा लगने के कारण वहां की पैदावार को बहुत नुकसान हो रहा है-उस संबंध में था। यह 18 तारीख का दिया हुआ है।

हिन्डौन में चने की फसल में कीडा लगने के सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आया हुआ नहीं है।

श्री श्रवणलाल : परसों भी चर्चा हो चुकी थी, कल भी हो चुकी थी और अध्यक्ष महोदय ने इस बात के लिये आग्रह किया था कि कल जरूर दे दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी !

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में छः सात दिन पहले तारीख 29 को मैं समझता हूं ....

श्री श्रवणलाल : सुनाई नहीं देता है।

श्री शोभाराम : एक प्रश्न माननीय सदस्य की तरफ से पूछा गया था। उसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय के पास भेज दी गई थी। जहां तक हिन्डौन इलाके के चने का जो सवाल है उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को यह हिदायत दे दी है कि जहां जहां रोग लगा है वहां के लोगों को दवाइयों की सुविधा दी जाय। लेकिन हमें इस बात का इन्तजार है कि अगर दस हजार एकड से ज्यादा के इलाकों में रोगग्रस्त होता है तो हम उसको एपेडेमिक करार दे देते हैं और उसमें रुपये में बारह आने भर सब्सिडी के तौर पर किसानों को लाभ मिल जाता है। अगर माननीय सदस्य के पास पूरे आंकडे हों और मुझे उन गांवों की सूची बताई जाय जहां जहां पर ज्यादा प्रकोप हुआ है तो मैं यह प्रबन्ध जरूर कर सकता हूं कि उस इलाके में दस हजार एकड से ज्यादा इलाका रोगग्रस्त मिले तो वहां एपेडेमिक डिक्लेअर करने के बाद हम पूरी पूरी सुविधायें दें, जो रुपये में बारह आने प्रत्येक किसान को दवाइयां छिडकने के लिये मिलता है वह उनको उपलब्ध हो सके। मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि अभी थोडी देर के बाद जब माननीय सदस्य को अवकाश हो, तो वह मुझसे बात कर लें और विस्तार में जानकारी करने के पश्चात् अगर जरूरत होगी तो हम उसकी पूरी जानकारी करने के लिये यहां से भी किसी बडे अधिकारी को वहां के लिए रवाना कर सकते हैं और जो जानकारी मिले उसके आधार पर कार्यवाही कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट के तरीके

(2.1 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-नेत्री, पदासीन)

से हमने माननीय अध्यक्ष जी को चार रोज पहले वह पूरा वृतान्त पेश कर दिया था जिसके ऊपर भी माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी देना चाहें तो उनको बडी कृपा होगी।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आज प्राइवेट मेम्बर्स डे है

(श्री मूलचन्द डागा)
और यह एक दिन होता है मुश्किल से और उसके लिए समय निश्चित किया जाता है और नियम 23 यह कहता है कि उसके लिए पूरा समय दूसरे कार्यों को छोड कर दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमें पूरा समय, जो आज के रिजोल्यूशन हैं, उन पर हमें ज्यादा समय देना चाहिए।

श्री सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं कि वह जल्दी से जल्दी इनको समाप्त करने की कोशिश करें। आज नॉन ऑफिसियल डे है और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर विचार करना है इसलिये आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री श्रवण लाल : सभानेत्री महोदया, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने स्थगन प्रस्ताव का जवाब दिया, उन्होंने इस बात पर, जो सूचना उनके यहां आई, उस पर इमीजियेटली जो उन्होंने कार्यवाही की उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदया, मैं तहसील हिन्डौन में तारीख 18 से पहले और 21 तारीख को भी जाकर आया था और अधिकतर गांवों में किसानों ने मुझे बताया था इस बात को जहां पर सिंचित एरिया है, वहां चने की फसल अधिक है, उस फसल के अन्दर इस प्रकार से एक कीडा लगा हुआ है जो कि ऊपर से चने को नष्ट कर देता है ......

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या नाम है कीड़े का ?

श्री श्रवणलाल : और कीडा इस प्रकार लगा हुआ था जो कि पूरे पेड़ को नष्ट कर रहा था ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है कीडे का ?

श्री श्रवण लाल : जिस बात के लिए इन्होंने मुझसे जानकारी चाही है, मैं इनसे जाकर मिलूंगा। सभापति महोदय, नहीं सभानेत्री,

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभानेत्री महोदया !

श्री श्रवण लाल : इन गांवों में अधिकतर चने की फसल को कीडा नष्ट कर रहा है और उस संबंध में जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वह कीडा यहां के आश्वासन को मानने वाला नहीं है, यहां के भेजे हुए नियमों को मानने वाला नहीं है, वह कीडा फसल को नष्ट करने के लिए बढ़ेगा....

श्री दौलतराम सारण : कीडे को जलाना चाहते हैं ?

श्री श्रवणलाल : कीड़े को जल्दी से जल्दी नष्ट करने के लिए विभाग द्वारा विचार किया जाना चाहिए जिससे किसानों की आने वाली फसल की कीडे से हिफाजत हो सके।

श्री शोभाराम : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां तक एक्शन लेने की बात थी वह तो एक्शन लिया जा रहा है। मैंने दूसरी बात यह निवेदन की कि अगर ज्यादा बड़े पैमाने पर वह रोगग्रस्त क्षेत्र बन जाता है तो वहां पर रुपये में बारह आने सब्सिडी देने की बात हो सकती है। कार्यवाही तो अब भी हो रही है।

श्री श्रवणलाल : सभानेत्री जी, कोटा जिले में चने की फसल में कीडा लगा हुआ है,

(श्री नन्द लाल)
इसको एपेडेमिक घोषित किया जाय। यह दुर्भाग्य की बात है कि अटरू तहसील में कलेक्टर को इन्फार्म किया था कि अटरू तहसील की फसल में कीडा लगा हुआ है और जो एपेडेमिक घोषित किया है उसकी लिस्ट में इसका नाम नहीं है। मैं स्वयं देख कर आया हूं। उसमें नाम नहीं है।

श्री **सुवालाल** : सभानेत्री जी, राजस्व मंत्री से मेरे प्रश्न का जवाव आना चाहिए।

श्री **शोभाराम** : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जो जिला अधिकारी हैं उनके लिए पहले से आदेश हैं और हमेशा के लिए आदेश हैं कि जहां से इस प्रकार की सूचना उनको मिले वह उस पर आवश्यक कार्यवाही करें। यदि उनके कार्यवाही करने पर भी कोई इलाका ऐसा रह जाता है और वहां रोग उग्र रूप से या भयंकर रूप से पनप रहा है, और उसकी सूचना मुझे मिलती है तो मैं समझता हूं कि इस तरफ विशेष रूप से और कोई कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री **महेन्द्र सिंह** (पीपल्दा) : सभानेत्री जी, पंचायत समिति अटरू ने जिला अधिकारी को सूचना दी है कि यहां चने की फसल में कीडा लगा हुआ है और इसे एपेडेमिक क्षेत्र घोषित किया जाय लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया। जो इस प्रकार की सूचना जिला अधिकारी को दी है वह आपके विभाग के पास नहीं आई क्या ?

श्री **शोभाराम** : नहीं। मुझे इसकी सूचना नहीं है कि वहां के जिला कृषि अधिकारी ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है। आप चाहते हैं तो मैं सूचना मंगा लूंगा कि उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है वह बतायें। मैं दूसरी तरफ निवेदन करूंगा कि उसमें कमी रह गई है तो मुझे बताई जाय, मैं उसका ध्यान रखूंगा।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** (छवडा) : सभानेत्री जी, पूरे छवडा सब डिवीजन के अन्दर चने की फसल में बीमारी लगी हुई है, उसमें अटरू तहसील है, अटरू पिडावा, छीपा बडोद-तीन तहसीलों में चने की फसल नष्ट ही हो गई है। आप कृपा करके जानकारी मंगा लें और वहां पर राहत दें।

श्री **शोभा राम** : ठीक है।

श्री **सुवालाल** : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है, इसका जवाब तैयार है। राजस्व मंत्री हैं वह तैयार हैं जवाव देने को।

श्री **सभानेत्री** : स्टेटमेंट देना है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** (राजस्व मंत्री) : उस वक्त माननीय सदस्य थे नहीं इसलिये नहीं दिया। आप चाहें और आपकी अनुमति हो तो मैं दे दूं।

श्री **सुवालाल** : मैं तो यहीं बैठा हूं।

श्री **सभानेत्री** : आज का है या स्थगित है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : स्थागत नहीं है। आज का है। आप नहीं थे इसलिये स्थगित कर दिया।

श्री **सभानेत्री** : आपको स्टेटमेंट देना है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : देने के वक्त पर आप नहीं थे इसलिये उपाध्यक्ष महोदय ने कहा . . . .

श्री **सुवालाल** : मैं तो शुरू से यहीं हूं। उस वक्त भी यहीं बैठा था।

श्री **सभानेत्री** : जिस वक्त देना था उस वक्त आप उपस्थित नहीं थे इसलिये लेप्स हो गया।

श्री **दौलतराम सारण** : यह तो उपस्थित थे लेकिन दूसरे माननीय सदस्य इनके साथ हैं, श्री सहदेव शर्मा, वह नहीं थे।

श्री **सभानेत्री** :आप संक्षेप में दे दें। लेकिन बहुत थोडा सा हो।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : मैं तो थोडा सा देता हूं।

श्री **हरिदेव जोशी** : अणुव्रत का रिजोल्यूशन आज है। उसके लिए सब इच्छुक हैं। विरोधी दल के नेता भी बैठे हुए हैं। जा नहीं रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे को कोई जल्दी नहीं है।

अटरू तहसील में पटवारियों की मनमानी के संबंध में

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : माननीय श्री सुआलाल जी ने एक स्थगन प्रस्ताव अटरू तहसील में पटवारियों की मनमानी के बारे में रखा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह मामला उस काश्त के लिये है जो कि बिना आज्ञा प्राप्त किये हुए सिवाय चक तथा चारागाह भूमि पर काश्तकारों ने कर ली थी। इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने जाने के लिये इस वर्ष राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किये हैं। इस प्रकार से अतिक्रमण की हुई सिवाय-चक भूमि की काश्त को तुरन्त जब्त सरकार की जाय और चरागाह भूमि पर जहां अतिक्रमण हुआ है वहां की फसल को गांव के जानवरों को खिला दी जावे। तहसील दूदू में सम्वत् 2024 में जहां जहां काश्तकारों ने राज्य की भूमि पर बिना आज्ञा प्राप्त किये काश्त की थी वो काश्त जब्त सरकार की गई और जब्ती के समय वहां के मोतबिर आसामियान तथा वे काश्तकार भी उपस्थित थे उस फसल को उस वक्त नीलाम नहीं होने के कारण कूंता गया। जिसमें घास की कीमत भी शुमार होती है और कूंता हो जाने के बाद वो फसल उन्हीं आसामियों के सुपुर्द कर दी गई थी जिन्होंने कि वो बिना इजाजत काश्त की थी। कुछ मामलों में ऐसी फसल का कूंता मौके पर अधिक किया गया था उन आसामियान की प्रार्थना पत्र पर दुबारा जांच की गई और जहां वास्तव में कूंते से कीमत अधिक पाई गई वहां की कमी की गई। इस प्रकार भ्रष्टाचार आदि का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। क्योंकि कूंता मोतबिर आसामियान तथा काश्तकारों के रूबरू किया गया है। जब दुबारा किसी में अधिक कीमत पाई गई उसकी जांच भी उसी प्रकार की गई।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री ने यह इस बारे में फरमाया कि जनता ने ट्रेस पास किया था तो उनकी फसल जब्त की गई है। इसमें भ्रष्टाचार यह हुआ है कि आपने आदेश पहले ही जारी कर दिया है लेकिन तहसीलदार

(श्री विट्ठल प्रसाद)
ने कई लोगों की फसल को जब्त नहीं किया है और उनसे पैसे और रिश्वत खाई है। यह भी एक तथ्य है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आपने आदेश दे दिया। उसके बावजूद तहसीलदार ने कई जगह तो फसल को जब्त कर लिया पर कई जगह पर फसल को जब्त नहीं किया है। जिन्होंने पैसे दे दिये हैं उनकी फसल को जब्त नहीं किया गया। और जिन्होंने पैसे नहीं दिये हैं उनकी फसल को जब्त करके नीलाम कर दिया।

श्री सुवालाल : सभापति महोदया अभी आपने जवाब दिया इसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको तहसीलदार के द्वारा लिखित में जवाब मिलता है और मैं ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें जो शिकायत है, उसकी जांच करें। सही माने में, मैं कहता हूं कि आज टूटू तहसील के अन्दर इस प्रकार के अनधिकृत मुकदमें बनाये हैं जिनमें 1960-62 में भूमिहीनों को जमीन एलॉट हो गई थी लेकिन तहसीलदार और पटवारी की साजिश से जमीन का अमलदरामद कागजों में नहीं हुआ। और इस वजह से वेदखली के नोटिस दिये गये। वेदखली के नोटिस दिये जायें और वेदखल किया जाय यह कानून में आता है लेकिन उनकी जो फसल खडी हुई थी उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदार ने गश्त खेत पर जाकर मौका नहीं देखा। पटवारी मौके पर नहीं गया न किसी व्यक्ति को साथ लेकर गया और गश्त गिरदावरी जिस ढंग से करते हैं, उस तरह से जिन्स की करली गई। मनमाने ढंग से जहां पर दो मन होता है वहां पर दस मन कर लिया गया। जिस किसान ने कुछ हिस्सा तहसीलदार और पटवारी को दिया उसका दो मन कूंता लगाया गया जिसने नहीं दिया उसका बीस मन कूंता लगाया गया। जिस जिस ने दिया......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य काफी समय ले रहे हैं।

श्री सुवालाल : इसी मौके पर सही जांच हो सकती है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि प्रार्थना पत्र-पर दुवारा जांच की गई। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के काफी किसानों ने दरख्वास्त दी है और उनमें से कुछ किसान ऐसे हैं ....

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !! मैं निवेदन कर रही हूं कि अब समाप्त करें। काफी समय हो चुका है।

श्री सुवालाल : जिन से चार-चार हजार लिये गये और मनमाने ढंग से कूंत करके कार्यवाही की है। मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि इस पर आप जांच करायेंगे कि दरअसल में जो कूंत की गयी वह सही की गयी है या नहीं ? और जहां रिश्वत अगर उनको नहीं मिली, वहां पांच मन का सौ मन कर दिया है और जहां मिली वहां सौ मन का पांच मन कर दिया। यह सही है या नहीं ? इसकी आप मौके पर जांच करायेंगे तो मेरे स्थगन प्रस्ताव रखने का महत्व होगा और मेरे प्रस्ताव का आप ने जवाब दे दिया, इसका महत्व नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं............

श्रीमती सभानेत्री : चूंकि समय बहुत हो चुका है और आज नॉन ऑफिशियल डे है ।

श्री सुखलाल : मेरा सदन में बोलने का आज ही नम्बर आया है ।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! और संकल्पों पर विचार करना है इसलिये ऐसी व्यवस्था देती हूं कि गैर सरकारी प्रस्ताव को ले लिया जाये ।

श्री विजय सिंह रावत : ऑन ए पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर, मेडम· · · · · ·

श्रीमती सभानेत्री : जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वह आगे के लिए रख लिया जाये और गैर सरकारी प्रस्ताव है वह ले लिया जाये ।

श्री विजय सिंह रावत : ऑन ए पॉइण्ट आफ आर्डर ! मैं बडे अदब के साथ आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह कार्यवाही होगी सदन की उसके लिए जो कार्य-क्रम दिया जाता है· · · · · · · ·

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आज गैर सरकारी दिवस है । काफी समय ले लिया गया है । एक एक स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जरूरत से ज्यादा समय ले लिया गया है इसलिये मैंने व्यवस्था दी है कि आज गैर सरकारी प्रस्ताव है, उस पर विचार कर लिया जाये और आप के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को आगे के लिए रख लिया जाये ।

श्री मथुरादास माथुर : और क्या ?

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, सदन के नियमों के अनुसार प्रश्नों और स्थगन प्रस्ताव के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जाना चाहिए ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं व्यवस्था दे चुकी हूं कि आज कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा । सिर्फ संकल्प पर विचार किया जाएगा ।

श्री विजयसिंह रावत : क्यों नहीं लिया जाएगा ? आज की कार्यवाही पर है ।

श्रीमती सभानेत्री : इसको आगे के लिए रख दिया जाय ।

श्री विजयसिंह रावत : कौन सा नियम है ? कार्य संचालन के नियमों को मैंने रट रखा है । नियमों की किताब का एक एक शब्द पढ़ा है ।

श्रीमती सभानेत्री : कार्य संचालन के नियमों के अनुसार मैं कह सकती हूं कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने सब नियमों को रट रखा है वर्ड बाई वर्ड । किस नियम के तहत है, यह आप बता दीजिये ?

श्रीमती सभानेत्री : यह चेअर की मंशा पर निर्भर रहता है कि किसे आगे बढ़ाया जाये, किसे लिया जाये ।

श्री रामकिशन : यह नहीं रखें । क्योंकि माननीय सदस्य ने नियम रट लिये हैं ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बाकी के प्रस्तावों का क्या हुआ ?

श्रीमती सभानेत्री : इस तरह की परम्परा रही है । कल अध्यक्ष महोदय ने जो काम

(श्रीमती सभानेत्री)

हाथ में लिये थे उनको आगे के लिए स्थगित कर दिये थे। उसी परम्परा के अनुसार व्यवस्था देती हूं कि गैर सरकारी प्रस्ताव ले लिया जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री मूलचन्द डागा : मैं नियम 26 के अन्तर्गत ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रस्ताव का अच्छा विषय है। इसमें शराब की बिक्री की बात है। इसको अणुव्रत के पहले सुन लीजिए, तो ठीक होगा।

एक माननीय सदस्य : ठीक है। अणुव्रत से मेल नहीं खा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह दोनों ... आ जायें तो दिलचस्पी भी बढ़ेगी और ... भी यह महत्वपूर्ण है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि व्यवस्था दी जा चुकी है। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है उतना जो विजयसिंह रावत ने रखा है, वह नहीं है और उसमें इधर उधर की बातें होंगी।

श्री विजयसिंह रावत : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया ....

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, यह भी एक मुसीबत है। सभापति महोदया जैसा आपने कहा, आपने जो व्यवस्था दी है ..

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !! संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री विजयसिंह रावत : ऑन ए पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर। मैं अपना पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर थोड़ा रख दूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : व्यवस्था हो गयी है।

श्रीमती सभानेत्री : आप का पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता है। व्यवस्था दे दी गई है।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया नहीं। आपने पहले ही कैसे कह दिया कि नहीं उठता है।

श्रीमती सभानेत्री : बोलिये।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा प्रश्न यह है कि सदन का कार्यक्रम सदन की कार्यवाही के एक दिन पहले हमें दिया जाता है। उसके अन्दर दूसरे रोज के प्रोग्राम को दिया जाता है। यह सीरियलवाइज दिया जाता है। तो उसके क्रम के अनुसार ही लेते हैं। मैं आसन की व्यवस्था को चुनौती नहीं देता। मैं आश्वासन चाहता हूं कि अणुव्रत का प्रस्ताव लाने के बाद आज की तारीख में मेरा काल अटेंशन मोशन आ जायेगा क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : आज की तारीख में इसके ऊपर विचार होने के बाद यदि समय हुआ और यदि दूसरा संकल्प लाने वालों ने जोर नहीं दिया तो आपका प्रस्ताव रखा जाएगा नहीं तो भविष्य में रखा जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है भाई जब तक दारूपानी नहीं मिलेगा .....

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, समय के लिए कहते हैं तो समय तो बढ़ सकता है ?

श्रीमती सभानेत्री : समय पर देखा जाएगा कि समय बढ़ सकता है या नहीं. मैं अभी आश्वासन नहीं दे सकती। (व्यवधान) आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! !

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, एक मिनट सुन तो लें। कालअटेंशन मोशन महत्वपूर्ण है। वह इतना ज्यादा होता है कि पार्लियामेंट्री पद्धति में ....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये, मेरा कालअटेंशन, हमारा खुद का कालअटेंशन मोशन आप के बाद हैं। मैं खुद अपना कालअटेंशन मोशन स्थगित करती हूं।

श्री विजयसिंह रावत : इस का क्या मतलब है ? जो कार्य आप करें वही मैं भी करूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये भी स्थगित करने को तैयार हैं बशर्ते कि इन्हें ऊपर बैठा दिया जाये।

श्री विजयसिंह रावत : आपने किया तो मैं भी स्थगित करूं ? आपने जो किया वह मुझ से भी करवाने को मजबूर करें, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि कालअटेंशन मोशन का ज्यादा महत्व होता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रस्ताव पर विचार होने दें। क्यों वक्त खराब करते हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : अगर वक्त होगा तो मैं समय दे सकूंगी। लेकिन मैं आश्वासन नहीं दे सकती।

श्री प्रेमसिंह ! श्री महेन्द्रसिंह ! !

अणुव्रत आन्दोलन को नैतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया जाय

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदया, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"सदन यह निश्चय करता है कि आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत अभियान को समर्थन दिया जाए और उसे एक राष्ट्रीय नैतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया जाय।"

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : सभापति महोदया, मेरे लिये यह एक सौभाग्य की बात है कि मैं आज एक महत्वपूर्ण संकल्प का समर्थन कर रहा हूं। इसके लिये मैं प्रस्तावक महोदय और आपका आभारी हूं।

(2.30 म. प.)

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पीठासीन)

अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प केवल इस भावना को लेकर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस पर सदन के माननीय सदस्य अपने केवल विचार मात्र प्रकट करें बल्कि इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि इस संकल्प में निहित भावना को इस सदन के माननीय सदस्य अपने जीवन में अपनावें, अपने व्यवहार में अपनावें, अपने प्रत्येक कार्यक्रम में अपनावें, अपने प्रत्येक कार्यक्रम में इसे महत्व दें और राजस्थान में विकास के नाम पर जो आज राज्य सरकार द्वारा काफी घाटा बता कर आये दिन प्रतिवर्ष करों में वृद्धि करनी पड़ रही है, और करों की वृद्धि के कारण आज सामान्य जन को

(श्री महेन्द्रसिंह)

काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण सामान्य जन का ध्यान इस अणुव्रत की ओर आकर्षित हुआ है, केन्द्रित हुआ है। आज प्रत्येक नागरिक का ध्यान इस ओर केन्द्रित हुआ है कि किस प्रकार वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को कायम रखे, किस प्रकार अपना रहन-सहन का स्टेन्डर्ड बनाये रखा जाय, किस प्रकार अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया जाय। आज के जीवन में आध्यात्मिकता का नाम नहीं रहा। भौतिकवाद के साथ-साथ जब तक जनता, जब तक किसी देश का, समाज ध्यान नहीं रखेगा तो उस देश की क्या स्थिति होगी, उस समाज की क्या स्थिति होगी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

यह अणुव्रत रूपी संकल्प जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसका आशय यह कि सम्पूर्ण समाज के कार्यकर्ता, नेता इस प्रकार का संकल्प लें, इस प्रकार का अपना जीवन बनायें जिससे सम्पूर्ण समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अहित न हो, इसका बड़ा महत्व है। जहां तक मैं समझता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री को इस संकल्प का बहुत समर्थन करना चाहिये। इस संकल्प को अपने व्यवहार में डालने की आवश्यकता है। जब तक अपने मानसिक संकल्पों पर, अपनी इन्द्रियों पर इस प्रकार के संकल्प द्वारा नियन्त्रण नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति समाज में महान् व्यक्तित्व के रूप में बड़ा नहीं हो सकता। आज हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के मस्तिष्क पर इस प्रकार कुर्सी का लोभ, मोह छाये बैठा है कि अपनी उस कुर्सी को बनाये रखने के लिये अनैतिक से अनैतिक भी काय करने को वे तैयार हैं......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। एलीगेशन का यह प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य कुछ नियन्त्रित भाषा में बोलें, आर्डर। शुरू करिये।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है, उसको रखने के बारे में, वह रखने दीजिये। उस पर रोक मत लगाइये।

श्री अध्यक्ष : दृष्टिकोण रखने पर कोई रोक नहीं है पर जो पवित्र भावना इसके पीछे है, उसको व्यक्तिगत रूप में नहीं लाया जायगे।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, आपने निर्देश दिया है .....

श्री अध्यक्ष : निर्देश नहीं दिया, सुझाव था।

श्री दौलतराम सारण: अणुव्रत आन्दोलन व्यक्ति के चरित्र-निर्माण का है, आपने प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में कहने का निषेध कर दिया है तो हम किस प्रकार इसका विश्लेषण कर पायें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मैं इस प्रश्न को विवादग्रस्त नहीं बनाना चाहता। देट वाज दी ओनली इन्डीकेशन। मैंने संकेतमात्र दिया है, संकेत भी इस आशय का कि कोई आरोप बिना आधार के न किया जाय, जो यहां की परम्परा रही है। मेरी मान्यता आपको बिलकुल ही उस पर रोक देने की सीमा में लाने की नहीं है, संकेत मात्र है।

श्री दौलतराम सारण : शिरोधार्य है ।

श्री महेन्द्रसिंह : आधार तो हैं अध्यक्ष महोदय, ……

श्री अध्यक्ष : इस बारे में यहां कई बार बहुत कहा जा चुका है ।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, अणुव्रत का बहुत बड़ा महत्व है, इस अणुव्रत को जीवन में ढालने से समाज का निर्माण होगा, इसका पालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये । वह समाज के उत्थान में बहुत अधिक सहायक हो सकता है । अणुव्रत के अनेक सिद्धान्त हैं, उनमें से कुछ सिद्धान्तों को मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । इसमें कोई व्रत ऐसा नहीं है कि उपवास रखना आवश्यक हो या एक समय खाना आवश्यक हो, या अनशन करने जा रहे हों पर इसके सिद्धान्त ऐसे हैं कि जिनके सम्बन्ध में हमें तय करना है कि जीवन भर इन इन बुरी चीजों को नहीं करेंगे, जीवन भर इन अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में ढाले रहेंगे ।

(1) पहला अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत है । जहां तक बन पड़े छोटी से छोटी हिंसा से बचा जाय, बड़ी हिंसा से पूर्ण रूप से बचा जाय ।

(2) दूसरा अणुव्रत सत्य है । झूठ न बोलें ।

(3) तीसरा अणुव्रत अस्तेय यानि अचौर्य । चोरी न करें ।

(4) चौथा अणुव्रत ब्रह्मचर्य अथवा स्वदार संतोष है, और

(5) पांचवां अणुव्रत अपरिग्रह अर्थात् कम से कम परिग्रह रखना है । गृहस्थ अपने परिग्रह का परिमाण करे कि मैं इस मात्रा से अधिक परिग्रह नहीं रखूंगा ।

इस प्रकार कई प्रकार की व्यवस्थाएं इस अणुव्रत में हैं । जो समाज में आज त्रुटियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको इस अणुव्रत से संकल्प कर के अपने ऊपर संयम रख कर दूर किया जा सकता है । खाली भाषण देने की, व्याख्यान देने की बात और होती है पर व्याख्यान देने के साथ-साथ अपनी आत्मा पर यदि कन्ट्रोल नहीं करते तब तक उस संदेश का, उस उपदेश का, उस भाषण का असर नहीं पड़ेगा ।

इसलिये मैं इस अणुव्रत के संकल्प का समर्थन करते हुए आप सब से निवेदन करता हूं कि इस अणुव्रत के आदर्शों को अपने जीवन में, व्यवहार में लायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री आदित्येन्द्रजी !

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह संकल्प क्या है……

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, क्या दीर्घाओं में बैठे हुए लोग जो यहां भाषण हो रहे हैं, उसका नोटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं ? मैं समझता हूं नहीं कर सकते, राज्यपाल दीर्घा में बैठे हुए लोग लिख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, जो भी दीर्घाओं में दर्शक बैठे हुए हैं, उनके लिए कार्यवाही सदन की लिखना नियमों के विरुद्ध है । यहां की प्रोसीडिंग्स सिवाय प्रेस के कोई नहीं लिखे ।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो संकल्प मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसको सदन के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"सदन यह निश्चय करता है कि आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत अभियान का समर्थन दिया जाय और उसे एक राष्ट्रीय नैतिक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जाए।"

अणुव्रत अभियान क्या है ? पहले इसको समझना जरूरी है। अणु का अर्थ है छोटा। अणु के बारे में कहा जाता कि अणु मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा है जो कि अलग रूप से अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। अणुव्रत का अर्थ है छोटा व्रत। साथ में इसका मतलब यह भी है कि अणु एक मौलिक चीज है क्योंकि यह अपना अस्तित्व अलग रख सकता है तो अणुव्रत का अर्थ यह भी कि वृत्ति जरूरी है। किसकी वृत्ति कुछ बनें, वह मौलिक वृत्ति है जिसके सहारे हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि आज का युग हिंसा का युग है, भौतिकवादी प्रवृत्तियां आज बहुत जोर पकड़ रही हैं, विज्ञान भी आजकल पूरे तौर से अपना चमत्कार दिखा रहा है। आज हम देखते हैं कि संसार में अणुयुद्ध का खतरा है सभी जगह पर। इसलिए मालूम पड़ता है कि अगर अणुयुद्ध प्रारंभ हो जाता है तो तमाम संसार ही उसमें नष्ट हो जाता है। ऐसे समय में इस प्रकार का संकल्प हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। यदि हम इसे हृदयंगम कर लें और इस पर अमल करना सीख लें तो वास्तव में हमारे देश का ही नहीं तमाम संसार का बड़ा भारी भला होगा।

वैसे तो पिछले 17-18 साल से इस आंदोलन के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। आचार्य श्री तुलसीजी और दूसरे मुनी जी जैन मुनी हैं, खास तौर से इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, हजारों ही बड़े बड़े साधु तमाम देश में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। चाहे जैन मुनियों द्वारा ही इसका बड़ा प्रचार हुआ है लेकिन यह नहीं है कि इस धर्म विशेष से यह संबंध रखता है। यह तो एक तरह से मानव मात्र का धर्म है और इसने एक तरह से मानवता का रूप धारण कर लिया है। चाहे केन्द्रीय सरकार हो या दूसरी सरकारें, सभी ने इसको स्वीकार किया है और इसलिए आज यह संकल्प इस सदन में भी प्रस्तुत किया गया है। वैसे सब लोग यह कह सकते हैं और आम तौर से कहते भी हैं यह लोक-शिक्षण का काम है। लोक-शिक्षण के लिए जगह जगह जायं, अपना जीवन सीमित रखें। यह तो ठीक है लेकिन जब हम देखते हैं कि आज की सरकारों में भ्रष्टाचार है, चारों ओर गड़बड़ी है चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे राजनैतिक दलों में कहें, जब उनमें इस प्रकार की परम्परायें इस प्रकार के नियम हैं और जहां भ्रष्टाचार रोका नहीं जा सकता है उस समय इस प्रकार के संकल्प की और भी ज्यादा आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए और न केवल हम स्वीकार करें बल्कि जैसे इसमें कहा गया है उसे एक राष्ट्रीय नैतिक आंदोलन के रूप में भी मान्यता दें। वैसे इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि इसमें न जाति का कोई भेद है न वर्ण का न धर्म का न क्षेत्र का भेद है। इसके अनुसार मनुष्य को आत्म संयमी बनाना, मानव को आत्म-संयमी बनाना और इसके अलावा इस प्रकार की प्रवृत्तियां पैदा करना जिससे हमारा जीवन ऊंचा हो। यह बात जरूर है कि खाली लक्ष्य

(श्री आदित्येन्द्र)

निर्धारित करने से काम नहीं चल सकता। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वैसे साधन होने चाहिएं। आज हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि साधन पवित्र हों या न हों। एक बार हम निर्धारित कर लेते हैं साध्य आम जनता की भलाई का है या नहीं लेकिन सबसे पहले 1947 से पूर्व जब स्वतन्त्रता की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वह लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें उन्होंने सबसे पहले हमें यह सिखाया कि पवित्र साध्य की पूर्ति के लिए साधन भी उतने ही पवित्र हों। जब हमारा लक्ष्य पवित्र है तो इसके साधन अपनाने के लिए भी हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी और उन पर चलना भी पड़ेगा। जैसे अभी सदन में कहा गया कि हम सत्य बोलना सीखें, सत्य बोलने में कौन कौनसी बातें हैं, उनके बारे में इस समय मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि यह विषय और लम्बा हो जाता है। इस बारे में आम तरह से सभी जानते हैं कि लोग असत्य का भाषण कोई नहीं करे, चोरी नहीं करे, हिंसा न करे याने अहिंसा का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और उसके अलावा अपरिग्रही बनें। इसका मतलब कि आवश्यकता से अधिक पैसा संचय न करें। आज का युग भौतिकवाद व पूंजीवाद का युग है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई मन्त्री यहां उपस्थित नहीं है। तो क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि इस प्रकार के संकल्प का···

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपके प्रश्न को। आवश्यकता तो नहीं है कि मंत्री रहें फिर भी मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से कोई मंत्री यहां बैठे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रियों की कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं संकेत देना चाहूंगा कि वे यहां रहें।

श्री श्रवणलाल : वे तो सभी चरित्रहीन हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जसराज जिसको दो साल की सजा काट कर आया है उसको पहली लाईन में बिठा दो।

श्री आदित्येन्द्र : आज राज्य की ओर से व्यक्ति की आमदनी और खर्चा······

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल श्री खेतसिंह ही चरित्र निर्माण के लिए सीरियस हैं और कोई नहीं।

श्री रामकिशन : सुधरे हुए चरित्र के लिए या बिगड़े हुए चरित्र का ?

श्री आदित्येन्द्र : आज राज्य की ओर से व्यक्ति की आमदनी और खर्चे पर कोई सीमा नहीं बांधी गई है। यदि कोई आदमी एक लाख रुपया भी रोज कमाता है और उसका खर्चा आवश्यकतानुसार अगर एक हजार रुपये महीने का है तो उसको एक हजार रुपये महीने से ज्यादा की छूट नहीं होनी चाहिये और इसीलिये सरकार के मंत्री है उनको भी इससे सबक होना चाहिये यह संकल्प होना चाहिये कि इस संकल्प के अनुसार काम भी करना चाहिये तो जैसे और माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव उठाया कि माननीय मंत्री जो यहां उपस्थित रहने

(श्री आदित्येन्द्र)

चाहिये तो मैं समझता हूं एक ही हो वह एक ही प्रशासन का चलाने वाला है और दूसरी ओर सदन के सदस्य भी हैं उनके लिये भी यह बहुत जरुरी है कि वे इन बातों की ओर ध्यान दें। मेरा यह कहना है कि अपनी आवश्यकतानुसार हर एक व्यक्ति के पास रुपया होना चाहिये, सम्पत्ति होनी चाहिये। इसी प्रकार के नियम हमारी सरकार की ओर से बनाने चाहिये। अगर इस बात को लोक प्रशिक्षण के उपर छोड़ दिया जाय तो जो समझदार आदमी हैं या जो ऐसे आदमी हैं, जिनके बड़े आचरण हैं, वे इस बात का शिक्षण देते रहे कि आदमी को ऊंचा उठाना चाहिये दूसरी ओर जो ऐसे आदमी है जो बिगाड़ना चाहे या तमाम व्यवस्था को खतम करना चाहिये वे दूसरी तरफ से काम करते रहे तो कोई नहीं सुधर सकता।

इसलिये आज सरकारों की ओर से इस प्रकार के नियम बनने चाहिये। वहां पर यह भी जरुरी है, मैं मानता हूं, कि जनता में अधिक से अधिक शिक्षण भी होना चाहिये। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पुराने समय में आदिकाल से जब से इतिहास लिखे जाते हैं तो उस इतिहास में जो बड़े बड़े ऋषि-मुनि हो गए हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान हो गये हैं, उनका इतिहास में कम जिक्र आता है। इतिहास में कहानी लिखी जाती है, यह इतिहासकार लिखते हैं, उनको जो बड़े बड़े प्रशासक, बड़े बड़े राजा-महाराजा, बड़े बड़े बादशाह और दूसरे जो लोग हैं उनकी लिखते हैं। आज भी इन बीस वर्षों में, आजादी के बाद जब हम देखते हैं तो जो अच्छे अच्छे आदमियों के द्वारा पुस्तक लिखी जायं, चाहें हमें रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ने में मिलता है। समाचार पत्रों में इसी प्रकार की खबरें पढ़ने को मिलती है इसलिये सबसे ज्यादा जरुरी उन लोगों के लिए है जो लोग आज प्रशासन म हैं। अगर वे लोग यह व्रत नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूं मनुष्य का चरित्र किसी भी हालत म ऊंचा नहीं उठ सकता है। अगर आज वास्तव में हम यह चाहते हैं कि दुनियां में शान्ति रहे, दुनियां में सुख और समृद्धि बढ़े। दुनियां में घृणा और द्वेष दूर हो तो आज जरुरत इस बात की है कि हम इन पांचों बातों पर ध्यान दें, और केवल ध्यान ही दें इतना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हम उनको पूरी तरह अमल में लायें। मैं मानता हूं कि यह एक दिन का काम नहीं है। हम तमाम बातें दो दिन में नहीं कर सकते हैं। निरन्तर प्रयास की जरुरत है। निरन्तर इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और अगर हम गलती करते हैं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। दूसरे देशों में चीन और रूस में जहां कम्युनिस्ट सरकारें हैं, उनके बारे में लोगों का ऐसा विश्वास बन गया है कि कम्युनिज्म में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ही इस प्रकार की होती है कि जिसमें अनैतिकता कम से कम होती है। हां, यह हो सकता है कि आवश्यक शुद्धि के लिए कभी कभी अहिंसा के वातावरण में हिंसा का सहारा ले लेते हैं। उस कारण हम कह देते हैं कि कम्युनिज्म बुरा है। ये कम्युनिस्ट सरकारें बुरी हैं। लेकिन मैंने आज से एक डेढ़ महीने पहले ब्लिट्ज अखबार में पढ़ा था और दूसरे अखबारों में भी पढ़ा था, कम्युनिज्म में भी इस प्रकार का काम करते हैं और इस प्रकार का ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से अहिंसा वृत्ति वाले और अहिंसा में विश्वास रखने वाले ध्यान देते हैं।

(श्री आदित्येन्द्र)

सन् 1947 में जिस प्रकार हम को ऊंचा उठाने के लिए आदेश दिये गये, उसी प्रकार कम्युनिज्म में भी इस प्रकार के आदेश निकले थे कि आत्मोन्नति की ओर चलना चाहिये । पहले हम अपने को देखें कि हममें कितनी कमजोरी है । उस कमजोरी को निकालने के बाद ही हम इन पर पालन कर सकते हैं । ज्यादा समय आप का न लेकर केवल थोड़ा सा, एक छोटी सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । हम देखते हैं कि आज हम में बहुत सी ऐसी कमियां आ जाती हैं—खाने की, पीने की ओर आचरण की उनके ऊपर हम समय समय पर ध्यान देते हैं, समय समय पर देखते हैं । इसी तरह से एक सवाल है नशीली चीजों का व्यवहार छोड़ने का कि हम नशीली चीजें बन्द करें । शराब का पीना बन्द हो । लेकिन खेद इस बात का है कि आजादी मिलने के बाद होना तो यह चाहिये था कि ये चीजें उसी समय बन्द हो जातीं । लेकिन इन बीस सालों में किसी भी सरकार ने एक मिनट भी इस ओर ध्यान नहीं दिया । उन्होंने इस मांग को जरूरी समझा ही नहीं । उन्होंने समझा कि शराब अगर कोई पीता है तो केवल एक व्यक्तिगत बात है । इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं उठता जिससे आम जनता पर असर पड़े । मैं मानता हूं कि इस समय इसका समय नहीं है और नहीं मैं इस पर बोलना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह भी एक बड़ी भारी जरूरी चीज है । इस अणुव्रत के सम्बन्ध में कि कौन सी चीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिये और कौन सी चीज का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । कौन सी वस्तु खाद्य पदार्थ में शामिल समझना चाहिए । कौन सी वस्तु ऐसी होनी चाहिये, जिसे हमें त्याज्य समझना चाहिए । नशीली चीजें जो बुद्धि का विनाश करती हैं, उन चीजों को समाप्त करना चाहिये । तो मैं और ज्यादा समय न लेकर केवल इन शब्दों के साथ जो आज का यह प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज 30 जनवरी है और शहीद दिवस है । शहीदों की स्मृति में हमने आज अपनी श्रद्धांजली अर्पित की है । हम चाहते हैं कि जीवन में हम सैनिक बनें लेकिन सैनिक बनने के लिए हमें क्या करना होगा इस पर विचार करना आवश्यक है । हम एक ओर देख रहे हैं कि आज का मानव कितना पशु हो चुका है, कितना अकिंचन हो चुका है, कितना असहाय हो चुका है । मैं समझता हूं कि मानवता मर चुकी है और सभ्यता की जिन्दी लाश सड़क पर नज़र आती है । ऐसी स्थिति में जब जीवन की सारी प्रतिष्ठित चीजों को मनुष्य खण्डित कर रहा है । वह निर्मलता की मूर्ति को खण्डित करके चल रहा है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए ? मैं समझता हूं कि समाज-जीवन में जो शासन है, जो राज्य है उस राज्य के अन्दर हमारा क्या कर्त्तव्य हो जाता है, इस पर हमें विचार करना होगा । अणुव्रत आन्दोलन वह आन्दोलन नहीं है जिसका उद्देश्य दो चार नेताओं को पैदा करना है । यह आन्दोलन वह आन्दोलन है जिसके द्वारा हम ईमानदार वकील बनाना चाहते हैं । हम जिसके द्वारा ईमानदार

(श्री मूलचन्द डागा) व्यापारी बनाना चाहते हैं। हम एक कुशल कारीगर बनाना चाहते हैं। हम चरित्रवान विद्यार्थी बनाना चाहते हैं। हम अच्छे अच्छे और ईमानदार व्यक्ति बनाना चाहते हैं। यह आन्दोलन जन-जन में, व्यक्ति विशेष के अन्दर जो चारित्र्य है उसका संचालन करना चाहता है। हम यह जानते हैं कि इस आन्दोलन का जो स्वरूप है—वह क्या है? यदि हम जनतन्त्र सफलता पूर्वक चलाना चाहते हैं तो जनतन्त्र तभी अच्छी तरह चल सकता है जबकि जनता का शासन हो और शासक दार्शनिक हो या वह दार्शनिक नीति के आधार पर चलने वाला है। वही जनतंत्र अच्छा होता है जिसके कर्णधार दार्शनिक हों। इन भावनाओं को लेकर देश में अपूर्ति होने लगे, आदमी आदमी के प्रति विश्वास नहीं, सारे जीवन में कृत्रिमता आन लगे वैसे समय में इस तरह के आन्दोलन का प्रादुर्भाव होता है। इससे यह लोगों में चेतना होती है कि अपने जीवन को किस प्रकार का बनाया जाय, किस तरह से उसमें चारचान्द लगाये जायें। आज स्थिति यह है कि सारे देश के अन्दर कृत्रिमता है, अशान्ति है, मनुष्य-मनुष्य के अन्दर विश्वास नहीं करता, इन्सान-इन्सान के प्रति आदर नहीं करता, उसको एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं। इस तरह के अन्धेरे में प्रकाश की आवश्यकता है। उस अन्धेरे को मिटाने के लिये संकल्प किया गया है आज तेरापन्थ के आचार्य तुलसी और उनके साधु सन्त जो संख्या में 650 के करीब हैं जाति पांति के भेदों से दूर धार्मिक आचारण द्वारा देश में और दुनियां में इस प्रकार का क्रान्तिकारी कदम उठाने जा रहे हैं दुनियां में नई चीज पैदा करने जा रहे हैं, जिसमें शोषण का नाम नहीं मनुष्य-मनुष्य के साथ सौहार्दता रखे। वे ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें शोषण का नाम न हो आज इस अणुव्रत आन्दोलन ने इस प्रकार की शोषण वृति पर बड़ा प्रहार किया है। जनतंत्र में किस प्रकार अच्छा काम कर सकते हैं इन छोटी-छोटी बातों द्वारा।

उन्होंने चुनाव के क्षेत्र को भी लिया जिसके लिये ए. के. गोपालन जैसे बड़े नेता लोग इस पर सहमत हुए कि चुनाव के विषय में नियम बनायें जांय। चुनाव किस प्रकार जीता जाता है। वह भी इस अणुव्रत में लिया गया है। यह कोई बड़ी नीति नहीं लेकिन कुछ नियमों द्वारा भी जीवन को सयमित बनाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में लेकर चुनाव के बारे में कुछ नियम बनाये। आज जिनमें दल बदल की भावना प्रायी है वह. केवल चारित्रिक कमजोरी के कारण उसकी प्रतिक्रिया जिस प्रकार देश में हुई उसक लिये कुछ नियम बनाये गये। आज हम देखते हैं कि चुनावों में किस प्रकार धन दौलत लुटायी जाती है उसका क्या परिणाम निकलता है। इसमें नियम है उसके अनुसार अनुचित रूप से पार्टी टिकट लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इस प्रकार के कई नियम हैं अगर उनकी पालना ठीक तरह से होती है तो चुनाव एक ऐसा मार्ग है जिससे सच्चे और चरित्रवान व्यक्ति शासन में आ सकते ह। जीवन एक आदर्श रूप हो, अन्तर्रात्मा व्यक्तित्व की अभिव्यंजना करती है। आत्मा के अन्दर जो भावना होती है उसका बाहरी रूप से प्रकटीकरण होता है। आप देखेंगे पशु लोक में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है वे परमात्मा के दिये हुए नाखून पंजे हैं उनसे ही काम लेते हैं। लेकिन मनुष्य आज कितना गिर गया है कि वह मानव

(श्री मूलचन्द डागा)

समाज को ही नष्ट करने के लिये बमों का, अणुबमों का प्रयोग करता है। आज मनुष्य यहां तक गिर गया है कि वह मनुष्य में द्वेष भाव रखता है और भयंकर से भयंकर औजारों से नष्ट करने पर तुला रहता है। ऐसे मनुष्य को सीधा करने के लिये क्या तरीका हो सकता है, वह रामायण में गीता में सब में लिखा हुआ है बाइबल और कुरानशरीफ में भी लिखा हुआ है। आज समाज कितना गिर चुका है, यह सामाजिक कलंक है आज देश में दौलत को सर्वोपरि स्थान है और चरित्र को नीचे गिरा दिया है। इतना होते हुए भी देश के अन्दर साधु सन्त होते हैं। जिनका प्रादुर्भाव समय समय पर हुआ करता है। वे देश को जगात रहते हैं। अगर देश में चरित्र का निर्माण होता है तो देश आगे बढ़ता है। आज के भौतिक युग में हथियार हो जांय हथियारों के कारखाने लग जांय इसी को देश की गरिमा मानते हैं। यह चीजें आवश्यक हैं लेकिन उनसे ज्यादा आवश्यक देश का नैतिक चरित्र उठाना है। आज हम देखते हैं देश का चारित्रिक बल गिर चुका है। गरीब हिन्दुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेजों को यहां से हटा दिया गया, लेकिन यदि हम चरित्र को कायम नहीं रख सके तो आजादी कायम रहने वाली नहीं है। चरित्र को यदि शरीर म से निकाल दिया जाय तो जीवन को सुन्दर और साहसपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। इस ओर तेरापन्थ समाज के आचार्य श्री तुलसी, मुनि नागराज जी, महेन्द्रकुमार जी आदि लगे हुए हैं। वे उपदेशों के जरिये एक प्रकार का आन्दोलन करना चाहते हैं। शिक्षित वर्ग में, युवकों में, राजनीतिज्ञों में इसका प्रसार हो ताकि देश को सुन्दर बनान के लिये जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनकी ओर लोगों की आकृष्ट करना इस आन्दोलन का उद्देश्य है। आज देश मान चुका है कि आडम्बर में आज लोग ज्यादा फंस गये हैं इसी के कारण व्यक्ति का सही व्यक्तित्व गिर चुका है इसीलिये अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तकों ने इस आन्दोलन का श्रीगणेश किया।

राजस्थान की सरकार ने भी इस आन्दोलन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिये नवम्बर 1958 में अपने गजट में एक आज्ञा जारी की थी:—

"देश में इस समय एक अणुव्रत नामक आन्दोलन जारी है, जिसका उद्देश्य चारित्रिक पतन को रोकना तथा समाज के सभी वर्गों में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। इसका लक्ष्य, जाति वर्ण देश और धर्म का भेदभाव न रखते हुए, मनुष्य मात्र को आत्म संयम की ओर प्रेरित करना तथा अहिंसा और विश्व शान्ति की भावना का प्रसार करना है।

अणुव्रत आन्दोलन के उपर्युक्त उद्देश्यों को देखते हुए समस्त विभागीय अध्यक्षों, आयुक्तों तथा जिलाधीशों से अनुरोध है कि वे अणुव्रत आन्दोलन के कायकर्ताओं को समस्त राज्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

ह. गोपालकृष्ण भनोत,
उप सचिव"

राजस्थान राज-पत्र दिसम्बर 25, 1958 भाग 1 (ख) पृष्ठ 1096 इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी अणुव्रत आन्दोलन के सिलसिले में अपनी जो कुछ भावना थी इसमें प्रदर्शित कर दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : गजट के अन्दर निकला हुआ परिपत्र है वह पढ़ रहा हूं।

(3 म. प.)

इसके बाद उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई। वहां भी इस प्रकार का संकल्प लाया गया। तो मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा विधान सभाओं में ही नहीं, बल्कि हमारे नित्य प्रति के कामों में घर-घर में होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि इसका दायरा सीमित हो। यह आन्दोलन आदमी से उठ कर सारे विश्व में शान्ति कायम करना चाहता है।

मैंने इसमें दो संशोधन पेश किए हैं देश की चारित्रिक गिरावट को रोकने के लिए प्रत्येक समाज के सदस्य को, विधान सभा के विधायक को इस आन्दोलन का सदस्य बनना चाहिए। यह मेरा संशोधन है। देश में शान्ति कायम करने के लिये, देश को आगे बढ़ाने के लिये, चरित्र का गठन करने के लिये, आत्मा को आगे ले जाने वाला आन्दोलन है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे सदन सर्व सम्मति से पारित करे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री **रामकिशन (वैर)** : अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही आज हम जिस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस माने में नहीं कि इसके कुछ नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की बात कही गई है, बल्कि इसलिये कि इस तरह के प्रयत्न इस देश में निरन्तर किये जाते रहे हैं और उसी की एक श्रृंखला की यह कड़ी है। हिन्दुस्तान के लिये यह कोई नई चीज नहीं है। बल्कि जब से हिन्दुस्तान का अस्तित्व है तब से और खास तौर से पूर्वी दुनिया में नैतिक दृष्टि से देखें या भौतिक दृष्टि से देखें इस प्रकार के उपदेश तरह तरह के धर्म प्रवर्तकों ने, सन्त महात्माओं और महर्षियों ने दिए हैं और देते रहे हैं निरन्तर।

न इसमें कोई नवीनता है, न नवीनता की बहुत बड़ी कोई झलक ही इसमें मिलती है। नवीनता है तो इस बात की इसके मूल्य समाज में किस प्रकार से स्थापित करें। इन आदर्शों के मूल्य समाज में किस प्रकार से स्थापित हों यह हमें देखना है और इस दिशा में प्रयत्न करना है। इसके लिये भी निरन्तर प्रयत्न होते रहे हैं और होते रहेंगे। जब तक यह मानव समाज है तब तक अच्छाई और बुराई दोनों चलती रही हैं और चलती रहेंगी। मनुष्य की इच्छा है कि अच्छाई की जीत हो, पर आज तक मनुष्य की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। कुछ मनुष्य अच्छे बन गये हैं पर पूरा समाज कभी नहीं बन पाया। असल में अगर हम इस दृष्टि से इसका विवेचन नहीं करेंगे तो केवल मुंह से सराहना करने से नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकेगी।

जब से धीरे धीरे दुनिया का विकास हुआ भौतिकवादी क्रम से विकास के क्रम से हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे समाज में नई नई शक्तियां और सम्भावनाओं का जन्म हुआ। इससे जहां एक ओर सद्गुण और अच्छाइयां आई हैं वहां दूसरी प्रकार की उलझनें भी पैदा हुई हैं। तो आज जो खराबियां आई हैं चाहे हम भारतीय हों, पूर्वी हों चाहे पश्चिम के हों सारे समाज में व्याप्त खराबियों की

(श्री रामकिशन)

जड को देखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के आन्दोलनों से हमारा समाज पूरी तरह से प्रकाश पा पावेगा इसमें मुझे शंका है।

आन्दोलन यह अपने आप में अच्छा है। पर जो हमारे समाज में व्याप्त खामियां हैं उनका कारण क्या है, यह हमें देखना होगा और उनको मिटाने में इस आन्दोलन का कितना उपयोग किया जा सकता है यह देखना होगा और उसी के अनुपात से इसका मूल्यांकन करना होगा। मनुष्य क्यों लोभ करता है, और लोभ के कारण क्यों चोरी करता है, छल-फरेब, धोखाधडी, सट्टे और दूसरे दूसरे अनैतिक कार्य करता है इनके कारणों को सही दृष्टि से देखना पड़ेगा। जब तक समाज में विषमताएं विद्यमान हैं, पूंजी निर्माणकारी संस्थाएं कायम हैं, एक व्यक्ति के पास धन का संग्रह रहेगा तब तक इस प्रकार की नैतिक प्रवृत्तियों का समाज में सामूहिक रूप से हम निर्माण नहीं कर सकते। इसलिये सबसे पहले हमें इस आन्दोलन की दार्शनिक मीमांसा की तरफ ध्यान देना चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिये कि नैतिक मूल्यों से मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है और समाज-व्यापी उत्थान कैसे हो सकता है। इस दिशा में बडे-बडे प्रयत्न इस संसार में हुए हैं। मनुष्य को बदलने की जितनी चेष्टा इस देश में, इस पूर्वी दुनिया में हुई है उतनी किसी और देश में और पश्चिमी दुनिया में आज तक नहीं हुई। हमारे पुराण, धर्मग्रन्थ, स्मृतियां असंख्य कथा कहानियों से भरे पडे हैं, अथक प्रयत्नों की कहानियों से भरे पडे हैं, जहां मनुष्य को बदलने की निरन्तर चेष्टा की गई है। यहां के मानव विलक्षण हुए हैं, तो दानव भी विलक्षण हुए हैं। आश्चर्य-जनक दानी भी हुए हैं। भूखे का पेट भरने के लिये अपने लडके के शरीर को चीर कर देने वाले भी हुए हैं। ये कथाएं हैं। ये सत्य हैं या असत्य हैं मैं इसके विवेचन में नहीं जाना चाहता। हरिश्चन्द्र जैसे राजा भी हुए हैं। कर्ण जैसे राजा भी हुए हैं। इससे ज्यादा मनुष्य बदला नहीं जा सकता। तो भी भारतीय समाज में समाज नहीं बदला। इन खराबियों को दूर करने की बुद्ध, महावीर, कृष्ण और राम ने सबने मिल कर कोशिश की, महात्मा, गांधी ने कोशिश की। दूसरे धर्मों के प्रवर्तकों ने मुहम्मद ने दयानन्द ने सबने निरन्तर समाज को सुधारने की भी कोशिशें कीं। पर समाज की जडों में जो रोग समा गया है उस रोग को जड से तोडने की कोशिश नहीं की गई। मनुष्य को सुधारने का अवश्य प्रबल प्रयत्न किया गया। इसलिये पूर्व की दुनिया में मनुष्य तो बदला पर समाज नहीं बदला।

पश्चिम का दूसरा सिद्धान्त है। मनुष्य ने अपनी भौतिक समृद्धि के लिये जैसे जैसे आविष्कार किए, वैज्ञानिक प्रगति की, कार-खानों का निर्माण किया मनुष्य मनुष्य के बीच समानता का दर्जा पैदा किया। चाहे रूसी समाज हो, चाहे स्केण्डिनेविया का समाज हो। समान स्तर पर उन्होंने समाज को लाने का प्रयत्न किया। पर यह प्रयत्न उनका एकांगी रहा। वे मनुष्य को नहीं बदल पाये। केवल समाज को बदला, इसी तरह पूर्व ने मनुष्य को बदलने का एकांगी प्रयत्न किया, समाज पूर्व भी नहीं बदल पाया। पूर्व में मनुष्य बदला,

(श्री रामकिशन)

पर समाज नहीं बदला, पश्चिम में समाज बदला पर मनुष्य नहीं बदला। स्टालीन और स्वेतलान, का जन्म वहां होता है, हिटलर जैसे लोगों का जन्म वहां हो जाता है।

तो इस आन्दोलन को नये दृष्टिकोण से हमें मीमांसा करनी होगी। नए समीकोण पर मनुष्य और समाज को बदलना होगा। जब तक दोनों प्रयत्न साथ-साथ नहीं चलेंगे तब तक नैतिक मूल्यों की सही स्थापना नहीं हो सकेगी। यह बहुत बडा उद्धारक आन्दोलन नहीं हो सकेगा।

मैंने अणुव्रत आन्दोलन की किताबें और साहित्य देखा है। लिखा है, स्त्रियां जेवर की मांग न करें - विद्यार्थी नकल न करें। महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अमल करना चाहिए इन पर। पर जिस समाज में बड़े होकर पढ़-लिख कर कलेक्टर बनने की छूट है, पैसा इकट्ठा करने की और समृद्ध होने की लालसा खड़ी हो जाती है वहां इन सब बातों का मनुष्य पर असर नहीं पड़ता। पूरा समाज इस तरह का नहीं बनेगा, और समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसको नहीं स्वीकार करेगा तब तक इस आन्दोलन का ध्येय प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इस आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। वे एक श्रेष्ठ पुरुष होंगे, सन्त भी होंगे पर मेरा निवेदन है कि वे पूरे समाज को और दूसरी आज की समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिये भी आन्दोलन चलावें। दोनों के घर बराबर होंगे तभी आन्दोलन की सार्थकता है। नहीं तो एक तरफ महल में रह रहा है व्यक्ति और दूसरी तरफ वही इन्सान धरती पर पड़ा है, फुटपाथ पर पडा है। भूखों मर रहा है। इससे व्यक्ति में द्वेष, वैर, विरोध, क्रोध वगैरह पैदा होते हैं और उनको रोका नहीं जा सकता। इसलिये कोशिश यह करनी चाहिये कि पूर्व के देश मनुष्य बदलने की कोशिश करते रहें, छोडें नहीं इस प्रयत्न को, पर समाज को बदलने का प्रयत्न भी करें। जब तक समाज को और मनुष्य को साथ साथ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस आन्दोलन से बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है।

पर आज जिस तरह से मनुष्य को बदला जा रहा है उससे तो समाज को बदलने का मनुष्य का क्रोध ही शान्त हो जावेगा। क्योंकि अहिंसा का मतलब है क्रोध शान्त करना। हम तो क्रोध पैदा करना चाहते हैं, सामन्ती पूंजीवादी संस्थाओं के खिलाफ, उनको समाप्त करने के लिये। इस असमानता और विषमता के खिलाफ हम तो असन्तोष पैदा करना चाहते हैं जिससे समाज परिवर्तन की ओर धीरे धीरे ही सही बढ़ सके। पर अगर एकांगी ही परिवर्तन करने लगे, मनुष्य को ही ठीक करने में लगे, जैसा होता आया है, तो स्वाभाविक क्रोध ही शान्त हो जावेगा समाज को बदलने का। विषमता को असत्य समझना चाहिये और जिन विषमताओं के कारण मनुष्य में असमानता आती है, समाज विश्रृंखल ही रहता है, समाज सुदृढ़ नहीं बन सकता तो पुनः पुनः यह दुर्बलता मनुष्य में भी आती जावेगी। समाज बन नहीं पावेगा। इस लिये दोनों प्रयत्न होने चाहिये समाज और मनुष्य को बदलने के। इस आन्दोलन में और पुराने जितने आन्दोलन हैं उन सभी

(श्री रामकिशन)

में पूर्व में मनुष्य को बदलने की ही कोशिश की गई, हालांकि नैतिक मूल्यों के समर्थन करने से मैं इन्कार नहीं करता। पर दार्शनिक मीमांसा की गहराई में हम नहीं जावेंगे तब तक समाज को बदलने की प्रेरणा हम नहीं पैदा कर पावेंगे।

जैसे इस आन्दोलन में कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। शक्ति की दृष्टि से और बुद्धि की दृष्टि से कौन इससे इन्कार करता है? पर एक तरफ तो आप कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन हो, पर दूसरी तरफ छबिगृहों को विद्यार्थी देखते हैं तो आप यह कैसे आशा करते हैं कि मनुष्य अपने मन को बान्ध लेगा। एक बान्ध सकता है, दो बान्ध सकते हैं, हजार बान्ध सकते हैं पर करोड़ों नौजवान इन संस्कारों से अपने आपको अलग नहीं रख सकते। जब ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं तो हमें उसकी नवीन व्याख्या करनी होगी। पर अगर आप उसी को कड़ाई से आगे लाना चाहेंगे तो गुहा-मानव की तरफ जाना होगा। गुहा मानव की तरफ व्यक्ति नहीं जा सकता अब।

लेकिन ब्रह्मचर्य की नयी व्याख्या क्या है? उसका अर्थ क्या है? जैसा हमारे ग्रन्थों में इसका अर्थ है मुंह से, शरीर से, स्पर्श से, आंख से, कान से, कहीं भी इस प्रकार के संस्कार पैदा न हों, लेकिन जब समाज में सारा उत्तेजक वातावरण हो मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता कि ऐसे वातावरण को हम कैसे प्रभावित कर सकेंगे। न तो हम सिनेमागृहों को बन्द कर सकते और न उनको बन्द करने की सलाह ही दे सकते और न हम यह कह सकते कि और दूसरे स्थानों को नष्ट कर दो····

श्री रघुनाथ बिश्नोई: इसके लिए साधू बनना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : आपने सुना ही नहीं। किस तरह से लोग साधू बने हैं। जहां तक साधू बनने की बात श्री रघुनाथ जी ने कही है अच्छी बात है लेकिन साधू कितने बड़े बड़े हुए हैं। दधीची से कोई बड़ा साधु है, मोरध्वज जैसा कोई बन सकता है जिसने अपने लड़के का कत्ल इसलिए कर दिया था कि शेर भूखा था, कोई हरिश्चन्द्र जैसा हो सकता है? साधू बनने से इन्कार नहीं कर सकते उसकी कोशिश करनी चाहिए लेकिन किन कारणों से द्वेष और विषमता दूर होती हैं उनको दूर नहीं करेंगे तब तक यह सब अमान्य होगा

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब साधू होंगे तो काम कौन करेगा?

श्री रामकिशन : उन्होंने समाज को बदला उन्होंने समाज बदलने की कोशिश की यूरोप में मार्क्स और एंजिल जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को बदला इसका कारण है कि आज वहां पर घृणा नहीं है, व्यक्ति में फर्क नहीं है और उसी बदले हुए समाज का प्रतीक है स्वेतलाना हमारे मुल्क में निरन्तर मनुष्य को बदलने पर जोर दिया गया लेकिन समाज की विषमतायें नहीं मिटीं। इसलिए इस आन्दोलन को दुबारा दूसरे ढंग से संगठित करना पड़ेगा। आज अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कितने परिवर्तन हुए हैं, एक समय था, आज मैं कोई सीता की बात नहीं कहना चाहता हूं और मैं किसी दूसरी नारी की चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में पंच कन्यायें हुई हैं। ये पंच कन्यायें कौन हैं। उस समय की हालत

(श्री रामकिशन)
क्या थी। उस समय में कुन्ती हुई, द्रोपदी हुई जिसके पति थे कुन्ती की महानता, तारा की महानता कोई कम नहीं हुई ..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामकिशन : आप पढ़ते तो कुछ हैं नहीं सिर्फ हल्ला गुल्ला ही करते रहते हैं। मैंने कृष्ण के लिए कुछ नहीं कहा है ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर !

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य को तकलीफ हो रही है उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। वह मेरे पुरखे थे, बुजर्ग थे। मैं मान्यताओं की बात कह रहा हूं कि वह बदलती रहती हैं। यह मान्यतायें स्थाई हों ऐसा नहीं कह सकते। मैं केवल मान्यताओं की बात कह रहा हूं और किसी के चरित्र के ऊपर लाछन नहीं लगा रहा हूँ। हमारी मान्यताओं की जो हालत है उन पर हमें पुन: विचार करना पड़ेगा तो इस आंन्दोलन में जो जो बातें कही गयी हैं उनके नैतिक पक्ष का समर्थन करते हुए और भौतिक पक्ष को देखते हुए अहिंसा का हम प्रयोग करेंगे यह निश्चित बात है। आज की दुनिया में हम समाज के परिवर्तन में हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अहिंसा में विश्वास का मतलब अगर यह लगा लेते हैं कि हम समाज परिवर्तन के लिए चेष्टा नहीं करें क्योंकि वह हिंसा है तो मैं इसका विरोध करूंगा। हमें सीमित हिंसा और सीमित अहिंसा के बीच में दूसरे दायरे बनाने पड़ेंगे तो इस आन्दोलन का जहां तक सम्बन्ध है यह आन्दोलन अपने आप में धार्मिक आन्दोलन हो सकता है लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। इस सदन में इसको प्रस्तुत किया गया क्या राज्य धर्म बनाने के लिए ? असल में तो यह माध्यम है बदलने का आज सरकार की स्थिति बदल गयी है लेकिन उसके बावजूद भी इस सदन में हमारे मौखिक समर्थन के बाद भी यह आन्दोलन जन जन का आन्दोलन बने यह आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारी जो वाणी है वह अपने आप में पवित्र नहीं है। हम दम्भ के कारण कह सकते हैं कि हम पवित्र हैं लेकिन हम अपने मन के संस्कारों को स्वयं समझें और समाज में हमारे संस्कारों के प्रभाव को देखें और उसके बाद हम अपने आचरण का भी अध्ययन करें तो यह माध्यम सबसे गिरा बीता है जिसके अन्दर इसकी चर्चा की जा रही है ..

श्री रामानन्द अग्रवाल: अपने पापों को समाज में डालना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : जो सच्चाई है उसको ग्रहण करें। आप लोग समझते हैं कि हम कोई राक्षस हैं, आप क्या समझते हैं हम बुराइयों को जन्म देते हैं। यह बात नहीं है लेकिन असल बात यह है कि यह आन्दोलन जल्दी फले और करोड़ों का अन्दोलन बने। हम इसमें जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि समाज पिछड़ा जा रहा है लेकिन इसके लिए हम संघर्ष का रास्ता नहीं अपनायेंगे तब तक हम एकाकी प्रयत्न से इसको सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसकी जब तक दार्शनिक मीमांसा नहीं होगी, वह कोई आपस की बात नहीं है वह तो ऋषिमुनियों की बात है लेकिन हमें दृष्टिकोण से इस बात को जन जन में फैलाने की कोशिश करनी चाहिए और नई मान्यताओं से पुरानी मान्यताओं

(श्री रामकिशन)

का कहां कहां टकराव है, इस पर मनन करना पड़ेगा। जैसा इसमें कहा गया है कि 100 गज से ज्यादा कपड़ा नहीं पहनना लेकिन जिस हिन्दुस्तान में गरीबों के लिए 3–3 गज कपड़ा नहीं है और अमीरों के लिए इतना है। तो मैं दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देकर मैं समझता हूं कि कहीं इस प्रकार के आन्दोलनों से उस दिशा में गति तो धीमी नहीं पड़ जाती है? मुझे तो इस बात की सम्भावना नजर आती है इस चिंता के बाद यदि हम इसकी नयी मीमांसा करें और मनुष्य समाज को बदलने का प्रयत्न करें तो मैं इसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसके साथ इस आन्दोलन का मैं पूरी तरह से सहयोग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आज जो यह संकल्प रखा गया है मैं इसे अपने आप में बहुत ही अच्छा समझता हूं। इस देश की यह मान्यता रही है कि इसमें जितना अणुव्रत के नाम पर बताया गया है मैं समझता हूं कि यह कोई नवीन बात नहीं है और कोई नया आन्दोलन नहीं है जिसके ऊपर इतना बड़ा विचार किया जाये। यह तो पुराना धर्म है। अगर यह नहीं हो तो मानव मानव नहीं है। मनुस्मृति में भी इसी प्रकार कहा गया है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने भी अपने धर्म के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि कोई धर्म राज्य-कर्म बताने की बात नहीं है। अगर यह नहीं हो और इसको राज्य ने नहीं अपनाया तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा रा होगा जो आज हो रहा है। किस प्रकार से अपनाया जाये इसको यह एक अलग मीमांसा है। कागज में लिखकर आ गये और उसे मान लिया यह नहीं माना जा सकता। हम कैसे मानें कि अहिंसा किस प्रकार मनवाई जा सकती है। अब [illegible] हृदयों मे उतारने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके ऊपर विचार होना चाहिए और इसके ऊपर राज्य सरकार विचार करे? हम कहें कि परिग्रह कैसे हो? हम तो अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा चीज नहीं रखेंगे तो ऋषियों ने यह कहा है कि एक धोती रखो और एक से दूसरी रखते हो तो पाप है। आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं और इसको राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं तो जो संग्रह करते हैं वे पापी हैं। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि जो चल और अचल सम्पत्ति मनुष्य की सूक्ष्म आवश्यकताओं से अधिक रखता है वह पापी माना जाय। धर्म यह है। लेकिन लोग रखते हैं और अतुल सम्पत्ति रखने का उनको अधिकार है, तो उसे कम करना पड़ेगा। आप यह मत समझिये कि अणुव्रत को मान लिया और कागज पर मान लिया और उसको पास कर लिया और लेकर चले गये तो अणुव्रती हो गये। आप पहले चल और अचल सम्पत्ति की सीमा तो बांध दें और उस सीमा के अनुसार चलें।

ब्रह्मचर्य की स्थिति है तो उसके लिए विचार करना पड़ेगा कि अहिंसक मनुष्य कैसे हो सकता है? उससे पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करवाना ठीक है लेकिन उसके लिए सिनेमा व दूसरी जगहों पर प्रतिबन्ध लगाने पड़ेंगे। कोई बुरी बात नहीं है कि राज्य इसको माने। और राज्य के द्वारा यह चीज जन जन के हृदयों तक पहुंच जाय तो बहुतसी बातों में सुधार

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
किया जा सकता है, और वैसे मेरा स्वयं का यह विचार है कि मनुष्य जो वाणी बोलता है वह स्वयं अपने आप में कैसा व्यवहार करता है ? अगर उसका व्यवहार ठीक है तो उसकी वाणी का असर पड़ता है। अगर राज्य की सारी मशीनरी ठीक है और राज्य ठीक है तो उसने एक नियम निकाल दिया तो वह चलेगा। एक छोटी सी गाथा मैं बीच में कह दूं कि ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के लिए कुम्भ के मेले में अखाड़ा लगाया और जब शुरू में उन्होंने भाषण किया तो 50 आदमी से ज्यादा सुनने वाले नहीं मिले । तो ऋषि ने कहा कि मेरी वाणी में इतनी ताकत मालूम नहीं होती है। उन्होंने वहां से अपना झोली झण्डा उठाया, ओउम का झण्डा उठाया और तपस्या करने चले गये। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब वे वापस आये और बोले तो 50 हजार आदमियों ने उनके भाषण को सुना। तो जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है, यह प्रस्ताव रखा है यह देखना है कि वे स्वयं इसको मानते हैं या नहीं? वे कितना सत्य बोलते हैं, कितनी हिंसा को मानते हैं और कितना मद्यनिषेध में विश्वास रखते हैं ? राष्ट्र के चरित्र का मामला है, देश की भलाई का मामला है तो उसको पूर्ण रूप से जीवन में उतारना पड़ेगा। कहने को तो हम कह गये कि द्रौपदी के पांच पति थे और भगवान कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बोलने का विशेषाधिकार दे रखा है कि किसी के भी इष्ट देवता के खिलाफ चाहे जो कह दें। मैं इसको बुरा मानता हूं। हम यह कहना चाहते हैं कि सब लोगों का चरित्र गिरा आ है लेकिन राष्ट्र के चरित्र को ऊंचा करने के लिए सीमा बांधनी पड़ेगी धन की। जब तक मनुष्य को चल और अचल सम्पत्ति बढ़ाने का और ज्यादा से ज्यादा रखने का अधिकार है तब तक मनुष्य पाप करेगा। इस पाप से बचने के लिए सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। सीमा को निर्धारित करने से आचार्य तुलसी का प्रश्न हल हो जायगा। यह राज्य करवाये इसमें धर्म की कोई बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि सिनेमाओं पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं, मदिरालयों पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। मदिरालय बिल्कुल बन्द किये जा सकते हैं। वैश्यालय बन्द किये जा सकते हैं। जहां कहीं इस प्रकार का पाप होता हो तो उसको दण्डित किया जा सकता है। इन चीजों के बारे में संकल्प होना चाहिये। लोगों को उसको हृदय में उतारना पड़ेगा। जब वह चीज हृदय में उतरेगी तो सब ठीक हो जायगा। मैं चाहता हूं कि यह संकल्प बहुत अच्छा है इसको मान्य कर लें तो देश का बुरा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव महत्व रखता है। यह मैं मानता हूं कि संसार परिवर्तनशील है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उस परिवर्तन के साथ हमको हमारे देश का हित भी सोचना चाहिए। मेरे खयाल में जो आधुनिक देश की परिभाषा है उसके अनुसार व्यक्ति का महान महत्व है। व्यक्ति प्राथमिक इकाई देश की है। व्यक्ति से ही समाज का सृजन होता है और समाज ही देश का द्योतक है। जिस देश में परिन्दे या जानवर हैं तो उस देश के लिए यह नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

कहा जा सकता है कि वह देश विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो आज समस्या व्यक्ति की है। अगर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

हम स्वतन्त्र हुए। लेकिन इस 20 वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात् हमें इस बात का सिंहावलोकन करना परमावश्यक है कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अणुव्रत के मूल्यांकन को भी हमें महत्व देना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज मेरे ख्याल से देश के अन्दर संघर्ष जो है वह अवसरवादिता का और सदाचारिता का है। मैं यह नहीं कहता कि व्यक्ति अवसरवादी ही न हो, लेकिन मेरे खयाल में सदाचारिता का बहिष्कार करके कोरा अवसरवादी मनुष्य अगर होता है तो समाज का बचना मुश्किल है। देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यह मानता हूं कि इसमें एक धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं धर्म की परिभाषा खुदा या अल्लाह या भगवान राम या कृष्ण या तीर्थंकर के सम्बन्ध में आज यहां पर नहीं करता। मैं यह मानता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों में ईश्वरवादी भी हैं और ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले भी हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा तो इतनी विस्तृत है कि उस सम्बन्ध में मैं इस सदन के समक्ष धर्म का विवेचन करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि धर्म का अर्थ है कर्त्तव्य का पालन, do your duty। अगर धर्म का यह वास्तविक अर्थ है कि कर्त्तव्य का पालन तो हमको यह समझना चाहिए कि व्यक्ति के प्रति हमारा क्या धर्म है, परिवार के प्रति हमारा क्या धर्म है, समाज के प्रति हमारा क्या धर्म है, और देश के प्रति हमारा क्या धर्म है? आज हम देश के अन्दर देखते हैं कि हम देश को आगे नहीं ले जा रहे हैं। आज समाज को देखा जाय तो उसके अन्दर उच्छृंखलता आ रही है। तोड़फोड़ की नीति, भाषावाद, प्रान्तीयतावाद, एसी बातें हम को देखनी पड़ रही हैं। अवसरवाद का नाम मेरे लिए बहुत विस्तृत है। मैं विशेष रूप से उसके ऊपर विवेचन नहीं करना चाहता। इन प्रतिक्रियाओं के द्वारा देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता।

इसलिए मैं यह समझता हूं कि सर्वप्रथम हमको सदाचारी बनना चाहिए। अणुव्रत एक आन्दोलन है मैं समझता हूं, एक जीवन की शैली है, एक मोड़ आफ लाइफ है। जो मॉरेल रीआर्मामेन्ट है, महात्मा गांधी के पुत्र इस देश के अन्दर मॉरेल रीआर्मामेंट मूवमेन्ट का संचालन करते हैं, उसी तरह से मैं समझता हूं, आन्दोलन है। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में ब्रह्मचर्य वगैरह के सम्बन्ध में कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि आम सिद्धान्त जो है वह हमको मान कर ही चलना पड़ेगा। जैसे सत्य है, जैसे अहिंसा है, जैसे अपरिग्रह है इन बातों को अगर हम मान कर चलते हैं तो मेरे ख्याल में हमारा चारित्रिक स्तर बढ़ता है और अगर हम चरित्र निर्माण नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल में समाज केवल मात्र पशुओं का रह जाता है। तो यह आन्दोलन जो है, मेरे ख्याल में, यह नॉन पोलीटिकल आन्दोलन है, इसमें कोई इकोनोमिक्स का प्रश्न नहीं है, इसमें कोई रिलीजन का प्रश्न नहीं है। यह तो हर समाज के हित के लिये है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत बड़ी पोलिटिक्स है इसके पीछे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : तो इस आन्दोलन, इस मूवमेंट के द्वारा अगर हम एक पद्धति, एक जीवन की शैली बना कर चलेंगे तो हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे अथवा नहीं? कहा है, 'यथा राजा तथा प्रजा' महाजनों येन गतः सः पंथा। आज का शासन है उसके अन्दर कई कमियां आई''''

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पहले से कम है।

श्री रामकिशन: इतनी जल्दी आपको गुस्सा आ गया। इसमें कहा है कि गुस्सा मत करो!

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आर्डर!!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह विवादास्पद विषय है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सत्य है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : हर एक शासन में कमी होती है लेकिन आज के शासन में कमियां नहीं हैं, यह विशुद्ध शासन है ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, और मैं यह देखता हूं कि शासन की कमियां, शासन का दौर्बल्य समाज के अन्दर भी आया और समाज में अगर आप देखें तो आज क्या हम पाते हैं, उच्छृंखलता हम पाते हैं। स्टूडेण्ट्स का, विद्यार्थियों का आन्दोलन हम आज क्यों देखते हैं? और टीचर, जो हमको ज्ञान देते हैं, उनका चरित्र कहां पर गया? मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता किन्तु जो तोड़ फोड़, जो साम्प्रदायिकता, जो रिश्वतखोरी हमारे पवित्र विद्या के क्षेत्र के अन्दर आई है, वह कभी हमको आगे बढ़ाने वाली नहीं है। आज के राजतंत्र के अन्दर सर्विसेज के अन्दर, कर्मचारियों के अन्दर 'जयहिन्द' का जमाना है, जेब गरम करो, रिश्वत के सिवाय और कुछ बात नहीं रही है। दण्ड का नियम भी आज ऐसा ढीला सा हो गया है कि किसी को सजा नहीं मिलती'''

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पहले के हाकिम तो कंस थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आखिर थोड़ी बहुत तो सजा दे दें। यह सिद्धान्त मान कर मेरा निवेदन करने का उद्देश्य है कि जब तक हमारा चारित्रिक स्तर नहीं बढ़ता है तब तक क्लीन लाइफ नहीं होती है'''

श्री रघुनाथ विश्नोई: अच्छा केस बनाया!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तब तक देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अणुव्रत अच्छी चीज है, अणुव्रत चरित्र के लिए अच्छा साधन हो सकता है। इसलिए मुनि श्री तुलसी और मुनि श्री नागराज इस सदन के धन्यवाद के पात्र हैं और अगर अणुव्रत आन्दोलन को एक जीवन की पद्धति और एक जीवन की शैली के रूप में अपनाते हैं तो मेरा ख्याल है, इससे बढ़ कर हमारे देश के लिए हितकर व्यवस्था और हमारे देश के लिए सेवा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष जी, जब अणुवृत आन्दोलन के ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर विचार हो रहा है तो मुझे एक बात याद आ गई। एक अंधा युवक था, उसका विवाह नहीं हो रहा था लेकिन देवी का बड़ा इष्ट

(श्री मनोहर मेहता)

था उसको तो देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि मांग वरदान लेकिन एक ही वरदान मांग सकता है। तो उसने कहा कि मैं अपने पड़पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहता हूं। इस प्रकार बूढ़े ने आंख मांग ली, लम्बा जीवन मांग लिया और खूब पैसा मांग लिया और सारा ठाठ बाट मांग लिया। तो आज अणुव्रत पर चर्चा हो रही है, इस संकल्प को पास करने जा रहे हैं तो मुझे यह सहज ही लग गया कि अब शराब नहीं रहने वाली है, दुराचार नहीं रहने वाला है, पापाचार नहीं रहने वाला है क्योंकि अणुव्रत का सबसे प्रथम शत्रु शराब है। आज हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो शराब को बन्द करना होगा। किन्तु यह देख कर मेरे दिल को चोट लगी कि सन् 1958 में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया और दूसरी ओर शराब उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, जहां पहले उससे एक करोड़ की आमदनी थी वहां आज आठ करोड़ की शराब से आमदनी होने लग गई। यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं इसलिए इस ओर ध्यान रखना होगा

कथनी करनी मायने जदी आंतरो होय
वी नर का मनसूं कदी आदर करे न कोय

जब तक कथनी और करनी में मेल नहीं बठेगा····

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: धन्यवाद है!

श्री **मनोहरसिंह मेहता**: तब तक कैसे चलेगा? मुझे याद आया आज से चार दिन पहले का किस्सा है। मैं इधर से जा रहा था और उधर मंत्री, या उप मंत्री, पता नहीं किसकी कार आ रही थी, उसमें मंत्री, उप मंत्री कोई नहीं बैठा हुआ था। तीन-चार आदमी उसमें पीछे बैठ हुए थे और उनके हाथ में एक लम्बी चिलम थी और उसको वह पी रहे थे। मैं शराबबन्दी के साथ साथ चिलमबन्दी की बात नहीं कह रहा हूं। वह चिलम पी रहे थे तो मेरे मन में भय पैदा हुआ कि कार में बैठे बैठे चिलम का गुल गिरायेंगे तो नीचे दरी होगी वह जल जायगी और कहीं चिलम को कार में ही पलट दी तो कहीं कार को न जला दें। तो मुझे याद आया, स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जी टंडन थे, उत्तर प्रदेश में स्पीकर थे, वह कार में बैठ कर आते थे असेम्बली लेकिन जैसे ही वहां से वापिस आये तो गाड़ी गैराज में बन्द हो जाती थी, उसमें ताला ठुक जाता था। फिर किसकी ताकत थी कि उसका उपयोग कर सके। और बातें जाने दीजिये, मैं अणुव्रत का मतलब समझता हूं कि हम लोग अपने जीवन में इस छोटी सी बात को उतारने की चेष्टा करें, जिनके पास गाड़ियां हैं वह यह व्रत ले लें कि यहां से गाड़ी बंगले पहुंची कि गैराज में रख कर उस पर ताला ठोक देंगे और उसका कोई उपयोग नहीं कर सकेगा। तो यह कम बात नहीं है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई**: मुश्किल है।

श्री **मनोहरसिंह मेहता**: हम लोग भी संकल्प करें कि हम किसी को मकान किराया नहीं देंगे, बिजली का हीटर काम में नहीं लेंगे, हम झूठे बिल नहीं देंगे। आज हमारी जो स्थिति है हम जो विरोध में बैठे हैं उनकी स्थिति महावत जैसी है, और जो सत्ता में बैठे हैं उनकी स्थिति हाथी जैसी है। चाहे छोटा ही महावत हो लेकिन वह मजबूत हाथों में अंकुश रखता है और उसकी पीठ

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
पर बैठता है हाथी की ताकत नहीं है कि वह इधर उधर जा सके। लेकिन बल चाहिए महावत में चरित्र का। हम लोगों में जितना बल है, उतना आगे बढ़ेगा आन्दोलन। आचार्य तुलसी ने बहुत बड़ा काम किया है। आज गांधीजी जिन्दा होते, आज महावीर जिन्दा होते तो आज न मालूम क्या कदम उठाते। महावीर के वक्त में इतना दुराचार, पापाचार नहीं था जितना दुराचार, पापाचार आज है। महात्मा गांधी ने कहा था, सब धर्म ग्रन्थों को एक तरफ रख दो। उनमें लिखी हुई एक बात पर अमल कर लो तो एक बात का पलड़ा सब धर्म ग्रन्थों के मुकाबले में भारी होगा। हम जो कहते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें तो सचमुच बड़ी बात होगी। दुर्भाग्य यह है कि हम कथनी और करनी में मेल नहीं बैठाते। सचमुच आज अणुव्रत के प्रस्ताव को पास करना है तो इस संकल्प को पास करने से पहले हम सब लोगों को सोचना होगा कि हम अपने जीवन में इन सिद्धान्तों को उतारने के लिए तैयार हैं या नहीं ? हम सारे हिन्दुस्तान का, सारे संसार का बोझ ढोये न फिरें। गांधीजी ने कहा था "कि पहले हिन्दुस्तानी यह समझें कि अपने जीवन में इन सिद्धान्तों को कितना उतार पाते हैं। यदि इतना कर पाते हैं तो बहुत बडी बात है। मुझे खुशी होती है, गर्व होता है, दो राज्यों के बाद एक राज्य है राजस्थान जो शराबबन्दी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं सुनता हूं कि अपनी आर्थिक स्थिति को देख कर आगे बढ़ेंगे तो मेरा दम घुटन गता है।

यह हो क्या रहा है ? आज 30 जनवरी है, आज महात्मा गांधी का निर्वाण-दिवस है, गांधीजी आज के दिन शहीद हुए थे, उनके गोली लगी थी, जिसने उनके गोली लगाई, उसको भी उन्होंने हाथ जोडे थे। उन्होंने कहा था कि शराब के लिये कि अगर कोई बच्चा धधकती हुई आग की तरफ बढ़े तो उसको बलपूर्वक रोकना जरूरी है, अगर कोई बच्चा उफनते हुए सागर की ओर बढ़े तो उसे भी बलपूर्वक रोकना जरूरी है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति शराब की धधकती हुई भट्टी की तरफ जाय तो उसको सबसे पहले रोका जाय। लेकिन आज राज्य कहता है कि हमारे पास आय के साधन नहीं हैं, इसको बन्द किया तो हमारा काम बन्द हो जायगा। मैं तो इसके लिये राज्य को दोष नहीं देता, जो माननीय सदस्य उधर सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो उस पार्टी के मेम्बर हैं उनका दोष मानता हूं, अगर वे सब एकमत हो कर कह दें कि शराब को बन्द करो तो राज्य को मानना पड़ेगा, आप साफ साफ कह दीजिये कि इसमें हम पार्टी का व्हिप नहीं मानेंगे, राज्य को मजबूर होकर आपकी बात माननी होगी। हम 80 हैं, हम कह देंगे तो मानेंगे नहीं पर आप की तुरन्त मानेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पार्टी ने शराब का प्रचार नहीं किया है, पार्टी शराब के खिलाफ है, यह क्या धोखा है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे मेरे साथी ने समझने में भूल की है ? वह जो मैं कहना चाहता हूं कि आप सब शराबबन्दी में विश्वास करने वाले हैं पर यदि सब एक होकर शराबबन्दी के लिये कहें तो इससे सुखाड़िया जी के हाथ मजबूत होंगे, राज्य

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
को मजबूर होकर शराबबन्दी को मानना पड़ेगा। मैं आपसे अधिक न कह कर जो वात भगवान बुद्ध ने कही है, उसे आपके सामने रखूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा था "मनुष्य तू सिंह की ओर जाते हुए भयभीत मत होना क्योंकि वह तेरे पराक्रम की परीक्षा है, तू तलवार की धार की ओर जाते हुए भयभीत मत होना क्योंकि वह तेरे वलिदान की कसौटी है, ऊंचे से ऊंचे पर्वत-शिखर से गिरते समय भयभीत मत होना क्योंकि वह तेरे तप की कसौटी है पर शराब से सदा भयभीत रहना क्योंकि वह पाप और अनाचर की जननी है।" महात्मा गांधी ने यही कहा था, भगवान् बुद्ध ने यही कहा था, भगवान् महावीर ने यही कहा था। आचार्य तुलसी वही अणुव्रत हमें देना चाहते हैं, वह स्वागत योग्य है। केवल प्रस्ताव पास करने का सवाल नहीं है, राजस्थान वाले इसे मानें या नहीं पर मैं आचार्य श्री को इस प्रेरणा के लिये प्रणाम करता हूं, उनके साथ उनके सब साथियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने लोगों को हिंसा की ओर जाने से रोका है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री आलम अली : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी में बोलने वाला मैं एक ही हूं।

एक माननीय सदस्य : यहां पर भी भेद-भाव !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिये नहीं करता कि मैं जीवन में नैतिकता की आवश्यकता नहीं समझता हूं या लोगों में चरित्र-निर्माण की आवश्यकता को कम अहमियत देता हूं। मैं विरोध इस लिये करता हूं कि अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है और ईमानदारी से मान्यता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह प्रस्ताव कहता है, असल में अमल में, जीवन में, समाज में यह नैतिकता को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं, अनैतिकता को कायम रखने का प्रस्ताव है।

श्री खेतसिंह : वह कैसे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि मैं यह समझता हूं, इस प्रस्ताव को इस सदन में नहीं लाना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, हमारा विधान सेक्युलर विधान है, विभिन्न धार्मिक मान्यताएं किन्हीं की कुछ भी हों, हम उनसे असहमत हो सकते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हरएक को रखने का अधिकार है, उनका हम आदर करते हैं। यह प्रस्ताव दूसरों की मान्यताओं को, एक पंथ की मान्यताओं को दूसरे धर्म वालों को मानने के लिये आग्रह करता, है, इसलिये यह सेक्युलरिज्म के खिलाफ प्रस्ताव है, इसलिये भी मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ऐसी बात नहीं। गलत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का इसलिये भी विरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव में किसी खास व्यक्ति की प्रतिष्ठा की स्थापना का प्रयत्न किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज इस समाज में हम सब लोगों के अपने अपने देवता हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मान्यताओं से प्रभावित हो सकते हैं, मैं किसी की मान्यता से प्रभावित हो सकता हूं या अन्य कोई व्यक्ति किसी की मान्यताओं से प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्या उचित होगा कि इस सदन में इस प्रकार के प्रस्ताव को रखना। जो हजरत पैगम्बर नहीं कर सके, जो महात्मा बुद्ध नहीं कर सके, जो महावीर नहीं कर सके, जो गांधी नहीं कर सके, वह यह प्रस्ताव वाले क्या करेंगे, इसलिये भी यह उचित नहीं है। बहुत आदर है उनके प्रति जो यह आन्दोलन वे कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उनको अधिकार है, उनके इस अधिकार पर यदि कोई आपत्ति करता है तो मैं उसके लिये लडने के लिये सबसे पहले तैयार हूं। जिस प्रकार उनको अधिकार है अपनी मान्यताओं के प्रचार करने का उसी प्रकार मुझे भी अपनी मान्यताएं रखने का पूर्ण अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक पर्चा पढा, जो अणुव्रत आन्दोलन समिति की ओर से निकाला गया है, इसका पहला सेन्टेन्स है:—

"राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सत्र में 30 जनवरी, 1968 को सभी राजनैतिक पक्षों के संयुक्त दायित्व में अणुव्रत प्रस्ताव आ रहा है।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की प्रस्तावना ही झूठ पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक लोग मेरे से मिलने आये, तीन दिन तक बहस मुबाहसा किया, मैंने बडी ईमानदारी से कह दिया कि मैं इस पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता। फिर भी यह लिख कर लोगों में भ्रम पैदा किया जाय। कई माननीय सदस्य हैं, उनसे बात हुई। उन्हें कहा गया कि सब लोगों ने समर्थन का विश्वास दिला दिया है, इसलिये हमने दस्तखत किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार नैतिकता के आदर्शों को स्थापित करने के लिये इस प्रकार के अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाय तो मैं समझता हूं इसके प्रवर्तक अपने ही उसूलों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप खयाल करें, क्या आप चाहते हैं कि इस सदन में एक प्रस्ताव यह आये, हमारे बरकत साहब एक प्रस्ताव लायें कि हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में यह आयत लिखी हैं, इनको सदन स्वीकार कर ले, इससे सारे समाज का चरित्र निर्माण हो जायगा। इसी तरह एक प्रस्ताव आर्य समाज वाले ले आयें कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानन्द यह लिख गये हैं, इसको सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, इससे सारे समाज का चरित्र निर्माण हो जायगा। वे लोग ईमानदारी से उन सिद्धान्तों का पालन करने वाले हैं, पालन कर रहे हैं, जिस प्रकार इस आन्दोलन के पीछे चलने वाले लोग हैं उसी प्रकार उस आन्दोलन के पीछे भी चलने वाले लोग हैं।

इस बारे में कहा जाता है कि इसका किसी खास पंथ से ताल्लुक नहीं है, यह सच्चाई को छुपाना है। वास्तविकता छुपाने से छुपाई नहीं जा सकती। अगर ऐसी बात है तो सभी को मिला कर इकट्ठा करने में क्यों नहीं कामयाब हुए ?

तो एक तो यह विरोध का कारण सेक्युलर आधार पर है और दूसरा इसलिये कि दूसरों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की भावना को ठेस पहुंचाने वाला यह प्रस्ताव है। दूसरों पर अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रस्थापित करने का यह प्रस्ताव है। हमारे सब के धर्मों की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचे, इस तरह से हम लोग चलते हैं। हमें जबरदस्ती इस बात का धोखा दिया जाय कि क्या आलोचना करती है, वह आलोचना की जाय।

अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया कि यह नैतिकता को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं अनैतिकता को स्थापित करने का प्रस्ताव है। वह क्यों?

अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो समाज में अनैतिकता के बुनियादी कारण हैं उन बुनियादी कारणों को लोगों को जताकर जिन लोगों को ओझल किया जा रहा है इसी तरह से उपदेश देकर लोगों की आंखों पर पट्टी बांधे जा रहे हैं। जरूरत तो थी कि इस पट्टी को खोलकर जो अनैतिकता पैदा होती है उनके कारणों के प्रति आंख खोलकर समझाते ताकि वे लोग जो अनैतिकता के शिकार बने हैं जिनके कारण अनैतिकता पनप रही है उनके प्रति लोगों की आंखें खुलतीं और यह अनैतिकता खत्म होती। यह प्रस्ताव लोगों की आंखें खोलने का नहीं है लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने का प्रस्ताव है। यह अनैतिकता से लड़ने के लिये नहीं है, अनैतिकता के प्रति आंखें बन्द करने का है। अनैतिकता से मत लड़ो अनैतिकता से लड़ने के लिये लोगों के अन्दर जोश होता है, संघर्ष करने की भाव होती है उसको ठंडा करने का प्रस्ताव है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारे समाज में जैसे साथी रामकिशनजी ने कहा, कोई नई बात नहीं है। सब धर्मों में जो महामुनी हो गए हैं सबने अच्छे अच्छे सिद्धान्त जो कि इस अणुव्रत आन्दोलन के जरिये प्रतिपादित किए जा रहे हैं उन लोगों की नियत में मुझे संदेह नहीं, समाज को बदलना चाहते थे लेकिन समाज नहीं बदला कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद। तो क्या आज हम इसमें कोई नवीनता देखते हैं इस प्रस्ताव में, इसकी एप्रोच में, इसके दृष्टिकोण में? यह मान्यता तो अवश्य होगी कि पहले के लोग फेल हुए उन्होंने कुछ गलतियां की, बुद्ध इसलिये कामयाब नहीं हुए कि उनके एप्रोच में गलती थी. वह अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए सफल नहीं हुए। ईसा और मोहम्मद सफल नहीं हुए और जितने हिन्दू धर्म वाले हैं उनकी मान्यता यह है कि उनके अन्दर कुछ खराबियां थीं और यह अणुव्रत आन्दोलन उन खराबियों को दूर करने में कामयाब हो जायगा, यह व्यवहारिक आन्दोलन है। यह मान्यता बुनियादी तौर से सही नहीं है। उनकी एप्रोच भी उस समस्या की तरफ वही है जो बड़े बड़े धार्मिक नेताओं की रही है। उन नेताओं की आदर्श समाज बनाने की कल्पना थी; उनका खयाल था कि कुछ महात्मा लोग कुछ कुर्बानियां करने वाले लोग हो जायं। उन्होंने एक नक्शा अपने दिमाग में बना रखा था, और वे समाज को उस नक्शे के अन्दर बिठाना चाहते थे समाज की प्रवृत्तियों और नियमों को समझे बगैर। हमारा समाज किसी ऋषि मुनि के कहने के अनुसार नहीं बदल सकता चाहे कितनी कुर्बानियां करलें, चाहे ईमानदारी की नियत हो। कितने बड़े बड़े लोग हो गए समाज उनकी इच्छा के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अनुसार नहीं बदला इसलिये नहीं कि उनकी नियत खराब थी बल्कि इसलिये कि जो बुनियादी नियम हैं जो परिवर्तन के नियम हैं उनको समझने की कोशिश नहीं की, उसके खिलाफ अपने आदर्शों के अनुसार उनको बदलने की कोशिश की। इसलिये फेल हुए समाज नहीं बदल सका।

मान लीजिये एक किसान है, वह ईमानदारी से अपनी बीवी के जेवर बेचकर जमीन खरीदता है और उसको सामान्य साइन्स के नियमों का पता नहीं है और वह नीचे की जमीन में कुआं खोद लेता है और वह पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लाने के लिए नाली भी बना लेता है। बावजूद उसकी ईमानदारी के कि जमीन खरीदी और वह कुआं बनाकर खेती करना चाहता है, लेकिन वह पानी नीचे के धोरे से ऊपर नहीं जायगा। इस तरह आपकी सरकार भी फेल हो रही है। आज आप समाज की उन त्रुटियों को दूर नहीं कर पाते हैं जो इतने आदर्शवादी हुए वे नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने समाज को अपनी कल्पना के अनुसार बदलने की कोशिश की लेकिन समाज को बदलने के जो नियम हैं उनके अनुसार उसको बदलने की कोशिश नहीं की।

साथी रामकिशनजी ने कहा कि जो अनीश्वरवादी हैं, यह भी कहते हैं कि साम्यवादी धर्म को मानने वाले नहीं हैं। भाई रामकिशनजी साम्यवादी नहीं हैं कम से कम आलोचना भी की हो, लेकिन इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस और पश्चिमी यूरोप के अन्दर कुछ देशों ने इस बात को प्रोक्लेम किया कि समाज के अन्दर वर्ग-संघर्ष है। एक वर्ग वह है जो मेहनत नहीं करता और दूसरों की मेहनत पर पलता है। एक वर्ग वह है जो मेहनत करता है और उसकी मेहनत का फल दूसरा खाता है, इसलिये इस समाज को बदलो, मेहनत करने वाले लोग इकट्ठे होजायं, और समाज के अन्दर जो अनैतिकता फैलाने वाली जो प्राईवेट प्रॉपर्टी है, उस पर जो मालिक बने हुए हैं, गरीबों को काम करने के लिये मजबूर करते हैं और फिर उनका शोषण करके सारे रुपये में से 15 आने अपनी जेब में रखते हैं और एक आना उनको देते हैं और वह भी इसलिये देते हैं कि हाड और मांस तो रह सकें।

मेरा निवेदन है कि इस समाज में अनैतिकता के कारण समाज की पूंजीवादी व्यवस्था है। इसको बदले बगैर कुछ नहीं होगा। वही अनैतिकता का आधार है, सारी गड़बड़ियां, रिश्वतखोरी या काला बाजार या भुखमरी, बेरोजगारी, इनसे ही लोग चोर बनते हैं, इन्सान को ये बातें डाकू बनाती हैं, इतनी बहनें और मातायें वैश्याएं बनने को मजबूर हुई हैं। इतिहास में जाकर देखो, ये समाज द्वारा पीड़ित वैश्यायें, आर्थिक दुर्दशाओं के कारण, आज इनको कुओं के अन्दर गिरना पड़ा। आज उस पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज को खत्म करने का नारा न देकर उसके प्रति ओझल कर लोगों से कहा जा रहा है कि इसके प्रति तो सन्तोष का रास्ता अपनाओ, उनसे कहो कि वे त्याग करें। गरीबों से कहें कि संतोष करें, गरीबों को संतोष का रास्ता दिखाकर लडाई के रास्ते से दूर किया जाता है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह सबसे बडा पोलिटिकल रिजोल्यूशन है। आज भारत के पूंजीपति, भारत के राजा और जागीरदार, पुराने और नए, सारे के सारे आज यह जो मजदूर और किसानों का आन्दोलन खडा हो रहा है, जो समाज के अन्दर ये विषमतायें हैं, अनैतिकतायें हैं, उनको खत्म करने के लिये आज वे इकट्ठे हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी थोडा समय और चाहूंगा . . .

(4 म. प.)

श्री अध्यक्ष : मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूगा कि एक घन्टा और है और बोलने वाले बहुत हैं इसलिये समय चाहने का प्रश्न नहीं होगा। फिर मुझे समय एलॉट करना पडेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के जो आन्दोलन खडे हो रहे हैं और जो यह कहते हैं कि समाज में वर्ग संघर्ष है और एक वर्ग हमको लूट रहा है तो हम मेहनत करके और हम एकता करके इस पूंजीवाद को समाप्त करेंगे और समाजवाद को कायम करेंगे। यह रेज्योल्यूशन, अध्यक्ष महोदय, समाजवाद के विरुद्ध और पूंजीवाद के पक्ष का रेज्योल्यूशन है। अध्यक्ष महोदय, यह रेज्योल्यूशन किसान और मजदूर जो गरीबी में बैठे हुए हैं जो पूंजीवाद की तरफ निशाना करके उधर का वर्ग बैठा हुआ है उसकी दिशा परिवर्तन करना चाहते हैं . . .

श्री अध्यक्ष : मुझे तो बख्श दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इस रेज्योल्यूशन को एलाउ करके इस पूंजीवाद की प्रवृत्ति को सबसे बडा सहारा देने का काम किया है, अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि किस तरह से यह पूंजीवाद जो भुखमरी पैदा कर रहा है, जो बेरोजगारी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोग रिश्वतखोरी करते हैं यह कहना उचित होगा क्या कि यह चपरासी जिनको 85 रुपया और 90 रुपया महीने की तनख्वाह मिलती है जिनके 5-5 बच्चे हैं उनको अपने पेट का गुजारा करने के लिये पूरा राशन चाहिये। आज आप उनको कहें कि इतनी भारी नैतिकता अपनायें आप उनको मजबूर कर रहे हैं। यह जो प्रस्ताव यहां आया है, मैं समझता हूं, सुखाडियाजी तो बहुत खुश हैं इस प्रस्ताव से। इस नैतिकता के कारण उनकी सरकार का नहीं लेकिन लोगों का चरित्र गिर गया है इसलिये सुखाडियाजी से मत लडो और लोगों से लडो, यह, यह प्रस्ताव कहता है और जो विरोधी सदस्य इसका समर्थन करने के लिये खडे हुए हैं मुझे अफसोस है कि मास्टर आदित्येन्द्रजी ने भी इसका समर्थन किया है . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इसमें कहां लिखा है ? आपको लड़ने से कौन रोकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें यह छिपी हुई भाषा है और इसीलिये आपने समर्थन किया है। आप तो कहना ही यह चाहते हैं लोगों को कि हमारा कोई कसूर नहीं है। आप लोगों को जमीनें एलॉट करदें, आप अपने रिश्तेदारों को मैट्रिक फेल को पास

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कराएं और फिर कहें कि लोगों का चरित्र गिर गया है, जनता का चरित्र गिर गया है इसलिये सरकार से मत लडो जनता से लडो। इसका महारावल साहब ने भी समर्थन किया है.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी 2 मिनट।

श्री अध्यक्ष : केवल एक मिनट और एक सांस।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे जनसंघ के साथी हैं वह इसका समर्थन कर रहे हैं और जो कांग्रेसी साथी भी इसका समर्थन कर रहे हैं यह सबकी सब पार्टियां पूंजीवाद की पोषक हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब इसकी बखिया उधेडी जायगी तब इस प्रस्ताव की वस्तु स्थिति सामने आजायेगी..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का इसलिये विरोध करता हूं कि यह नैतिकता के विरुद्ध है और...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री भैरोंसिंह, कम से कम समय लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में लगभग सभी पक्षों के विचार सुनने को मिले हैं लेकिन अभी अभी जो भाषण हुआ है और उसमें जिस बात को लेकर विरोध किया गया यह उनके एक विचार का विषय है। मैंने इस अणुव्रत आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ महान् व्यक्तियों के प्रवचन सुने साथ ही कुछ पुस्तकों का अध्ययन भी किया। उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इस आन्दोलन का सम्बन्ध किसी धर्म विशेष से या सम्प्रदाय विशेष से नहीं है। आज कोई यह समझकर चले कि तेरापन्थी समाज में साधुओं ने इस प्रकार के आन्दोलन को चलाकर अपने धर्म को दूसरे लोगों पर थोपने की चेष्टा की है तो मैं यही कहूंगा कि इसमें एक बहुत बडी भूल है। आप किसी भी धर्म को लें, किसी भी सम्प्रदाय को लें यह नहीं हो सकता कि विभिन्न सम्प्रदाय और विभिन्न धर्म इनमें कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो सब में मान्य हैं। आप चाहें मुस्लिम धर्म ले लें, हिन्दू धर्म ले लें, हिन्दुओं में भी जैन ले लें, सिक्ख ले लें, बुद्ध ले लें इन धर्म और सम्प्रदायों में कुछ बातें निश्चित रूप से ऐसी होंगी जो सब में समान गति से चली आ रही हैं। अब यदि यह कहा जाय कि जिन लोगों ने इस अणुव्रत आन्दोलन को चलाया है उन्होंने परिश्रम करके सारे धर्म और सम्प्रदाय में जो सब की मान्य वस्तुएं हैं उनका एकत्रीकरण करके नये रूप में जनता के सामने रखा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसलिये

(श्री भैरोंसिंह)
यह मानकर मैं नहीं चल सकता कि तेरापन्थी समाज के व्यक्तियों ने इस आन्दोलन के माध्यम से दूसरे धर्मों के ऊपर एक प्रकार का एन्क्रोचमेन्ट किया है। यह एन्क्रोचमेन्ट नहीं बल्कि वह सूक्ष्म बात है वह छोटी बात है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित है, प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में प्रतिदिन आती है। उन सारी चीजों का एकत्रीकरण करके उनको मानव जीवन में किस प्रकार उतारा जाये इसकी प्रेरणा दी है। उन्होंने यह गलती की निश्चित रूप से जिसको मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद उनको यह तो पता लगता कि कुछ व्यक्ति इसका विरोध करते हैं . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : पता था और डैफिनेटली बता दिया था।

श्री भैरोंसिंह : तो मैंने देखा कि सारा विरोध क्यों हुआ है। आज राष्ट्रीय अणुव्रत यह क्या है? इसमें एक लाइन अध्यक्ष महोदय लिखदी गयी और वही तो हो सकता है विरोध का कारण। बाकी तो मैंने सब चीजें पढ़ी हैं जिसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता। वह एक लाइन है जिससे विरोध हो सकता है और वह है "राष्ट्र के विघटन तथा तोड़फोड़ में भाग नहीं लूंगा"। यह बात है जिससे कुछ लगता है लोगों को इसका विरोध स्वाभाविक रूप से होगा, और अब वह विरोध भी हुआ और किस प्रवृत्ति से हुआ, किस कारण से हुआ नहीं कह सकता लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि यह बात नहीं लिखी जाती। जहां तक शोषण का प्रश्न आता है आज चाहे अणुव्रत आन्दोलन चले और अणुव्रत आन्दोलन नहीं चले समाज का कोई भी प्रतिष्ठित वर्ग, समाज का कोई भी बुद्धिजीवी और मानवता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति शोषण का समर्थन नहीं कर सकता है और उन व्यक्तियों से इसकी आशा नहीं की जा सकती जो कि अपने ऐश्वर्य को छोड़कर कम उमर में ही जीवन की कठोरतम यातनाओं को बर्दास्त करके जंगलों जंगलों में घूमकर धर्म की प्रेरणा देते हैं। आज उन लोगों के ऊपर यह लांछन लगाया जाये कि वह पूंजीवाद के समर्थक हैं मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार का जीवन यह व्यतीत कर रहे हैं एक दिन तो हम उस तरह का जीवन व्यतीत करके बतादें। पूंजीवाद को छोड़कर जंगलों में घूमना, सड़कों पर घूमना, घर घर में जाकर याचक के रूप में भोजन प्राप्त करना, लोगों को धार्मिक उपदेश देना ऐसे जिन व्यक्तियों के कर्म हों उन व्यक्तियों के ऊपर इल्जाम लगाया जाये तो मेरी मान्यता बनती है कि हमारे देश में जो लोगों के चरित्र–निर्माण करने की व्यवस्था है उसके ही कुछ लोग विरोधी हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक तरफ इसकी आवाज लगा रहे हैं कि आज के देशों में अणु–शस्त्रों का प्रयोग बंद किया जाय, उनका निर्माण बन्द किया जाय, उनका प्रचलन बन्द किया जाय। आज हम इसकी मांग करके चलते हैं कि दुनियां में विश्व शांति का नारा लगे। हम हिन्दुस्तान और उसके बाहर शांति स्थापित करें तो शांति स्थापित कोई तोड़फोड़ से नहीं हो सकती। शांति स्थापित हम राष्ट्रीय एकता की कार्यवाही करके ही कर सकते हैं। शांति का उपदेश हमें लोगों को देना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ जो सारे अपव्यय हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी और जब वह

(श्री भैरोंसिंह)

जानकारी देंगे तब ही तो स्थिति बनने वाली है। आज जो भौतिकवाद से बिलकुल सम्पन्न इस प्रकार के देश अणुशस्त्रों से सारी दुनियां को अपने काबू में करना चाहते हैं राजस्थान की जनता को गौरव होना चाहिये कि राजस्थान से निकला हुआ साधू सन्यासी इस अणुव्रत आन्दोलन को चलाकर अणुयुद्ध का मुकाबला करने के लिये . . .

(शोरगुल)

आज अणुव्रत का प्रस्ताव है। यह अणुव्रत राजस्थान से निकला है आज हिन्दुस्तान से बाहर ये अणुव्रत की ताकत पर शोषण करना चाहते हैं। उस शोषण पर आवश्यक है ऐसी हालत में . . .

एक माननीय सदस्य : आप तो हिन्दुस्तान में अणुवम बनाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम किसी के पक्ष में नहीं हैं लेकिन यह नहीं चाहते कि आजादी को छोडकर हमको गुलाम बनाया जाय।

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम की आवाज)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि आज न तो वे हथियार उठा सकते हैं और न पूंजीपतियों को खत्म करने के लिये हथियार की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है हमारी मान्यतायें लोग मानने लगें तो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। पूंजीपति, राजा-महाराजा चले गये, जागीरदार नहीं रहे और वे रहने वाले नहीं हैं। यह कानून और व्यवस्था का सवाल है। लेकिन आज कोई इस आड़ में देश में तोड-फोड की कार्यवाही करना चाहे, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस चीज को स्वीकार करने वाले नहीं है।

जहां तक छोटी-मोटी मान्यताओं का सवाल है व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं। गुण और दोष का विकास समय समय पर होता है। कई बार दोष की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। दोषों पर विजय प्राप्त करने के लिये गुणों का विकास होता है। समाज की व्यवस्था देखलें, पुराने इतिहास को उठाकर देखलें, दोषों की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है। कहीं धार्मिक गुरु, कहीं राजनैतिक गुरू और कहीं किसी नेता ने उन लोगों को सदुपदेश दिया है कि दोषों पर विजय प्राप्त करो। मनुष्य में ताकत है, उसमें दोष भी हैं, लेकिन इस बात को अस्वीकार करके नहीं चल सकते हैं कि आज के दिन कोई नेता, आज के दिन कोई धार्मिक गुरु, आज के दिन कोई आन्दोलन इस बात की शिक्षा दे कि सच बोलना चाहिये। इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सत्य नाम की कोई वस्तु का महत्व ही नहीं है। विधान सभा में सही बात कहें या न कहें। बाहर जाकर जीवन में सही बात कहें या नहीं कहें। इस आन्दोलन के द्वारा एक बात निश्चित रूप से रहेगी कि सत्य बोलना कर्तव्य है, सत्य बोलना एक महान् कर्त्तव्य है। इस महान् कर्त्तव्य के अस्तित्व का ज्ञान भी इस आन्दोलन के द्वारा करा पाते हैं। सब आदमी सच बोलने लग जायं, मैं नहीं मानता हूं, सारे देश में अहिंसा का वातावरण फैल जाय, सब लोग ब्रह्मचारी बन जाय, साधू-सन्यासी बन जाय लेकिन एक बात निश्चित रूप से स्वीकार

(श्री भैरोंसिंह)
करते हैं कि इन मान्यताओं को प्रमुख रूप दिया जाय, लेकिन इस बात की पुनरावृत्ति बिठादी जाय कि ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा जीवन है।

एक माननीय सदस्य : पहले नहीं था क्या ?

श्री भैरोंसिंह : पहले भी था आज भी है और आज हालत इस प्रकार की बनती जा रही है कि ब्रह्मचर्य जीवन कुछ था, सत्य बोलना कुछ कर्तव्य है, पाप न करना अच्छा काम है, शराब न पीना अच्छा काम है, इस रूप में बैठा देना, यह ऑब्जेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को अचीव करना है इसमें जनता का समर्थन मिले, सरकार का समर्थन मिले कोई आपत्ति नहीं है। सुखाड़ियाजी के प्रश्न को लेकर कि वे सब बोलें सच बोलें इस आन्दोलन के रूप यह स्वीकार करते हैं कि मैं भविष्य में सच बोलनें का ....। लेकिन भाई रामानन्दजी को क्या आपत्ति हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह कह कर उनका सच बोलना बन्द कर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! माननीय सदस्य !!!

श्री भैरोंसिंह : इसमें कुछ चीजें हैं। यह पुस्तक उनको दे दें।

श्री रामकिशन : माननीय भैरोंसिहजी, इलेक्शन में आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : मैं एक उदाहरण के रूप में पूछना चाहता हूं। इस सदन में सब सदस्य बैठे हैं। विरोधीपक्ष के भी है, सरकारी पक्ष के भी हैं। किसी ने यह व्रत लिया कि मैं अपने बच्चों को बेईमानी नहीं सिखाऊंगा।

श्री खेतसिंह : मैं तो भैरोंसिहजी का चेला हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री भैरोंसिंह: उसमें यह भी लिखा है कि मांस नहीं खाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने यह व्रत लिया हुआ है क्या कि जो लोग ब्लेक मार्केटिंग करते हैं, जो लोग अनुचित मुनाफा कमाते हैं ....।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! आर्डर !! आप प्रारम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि जिस समय हमारे साम्यवादी मित्र को आर्थिक स्थिति पर कोई चर्चा होती है तो खास तौर से ब्लेक मार्केटिंग का तो बड़ा ऐतराज होता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने पढ़ा है व्यापारियों को नसीहत दी है व्यापारार्थ चोरी से ब्लेक से धन पैदा नहीं करूंगा। अब मेरे यह समझ में नहीं आया कि रामानन्दजी इसके पक्ष में कैसे नहीं हैं ? जिस बात को वे बड़े साहस से कहते हैं। प्रशासन में तोड़-फोड़ करने की बात सोचें, यह गलत है।

(श्री भैरोंसिंह)
अणुव्रत आन्दोलन के लिये समाज में कोई परिवर्तन ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने तो प्रचार करना ।

श्री भैरोंसिंह: विधान सभा में एक दूसरे की आलोचना करें। इसमें एक दूसरे की बात नहीं है। इसको एक मत होकर स्वीकार करें। यदि सरकार इस बात को स्वीकार करती है, सुखाड़ियाजी का सरकार यह मानने को तैयार हो रही है तो रामानन्दजी को गुस्सा आ रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इस बात पर गुस्सा क्यों आरहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उनकी बात पर भरोसा करते हैं, मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिह : प्रस्ताव पास होगा। कोई आचरण करें या नहीं करें। इस बात की गारन्टी नहीं है। लोगों के दिमाग में आब्जेक्ट होना चाहिये। अगर यह बात रही तो व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता हुआ भी सही रास्ते पर आ जाय। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर और भी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। न किसी धर्म पर आघात हो रहा है और न किसी धर्म की अवहेलना हो रही है और न सिक्यूलरिज्म को धक्का लग रहा है और न कोई पूंजीवाद को लाभ पहुंच रहा है। यह तो लोगों के अन्दर नैतिकता लाने के लिये है। सत्य व्यवहार करने के लिये है। इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! आर्डर !!

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपाध्यक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अणुव्रत आन्दोलन एक आचार संहिता के रूप में लोग स्वीकार करें इसके तो मैं पक्ष में हूं लेकिन सदन उसके लिये प्रस्ताव पास करे इस पर मुझे वैधानिक आपत्ति है।

दूसरा प्रस्ताव का जो स्वरूप है वह ऐसा है कि नियमों के अनुसार इस पर आपत्ति की जा सकती है। सभी माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह सदन कोई निरर्थक या प्रभावहीन प्रस्ताव पास नहीं करता जिसको अंग्रेजी में "हाउस पासेज ओनली एन इफेक्टिव रेजोल्यूशन" सदन में सभी माननीय सदस्य चुने हुए हैं अतः सदन द्वारा जो भी प्रस्ताव पास होता है वह बराबर लागू किया जाना चाहिये। यह प्रस्ताव अगर पास होता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार के जितने नियम हैं, कानून हैं उसके यह प्रतिकूल हैं, वे निरस्त समझे जायेंगे। इससे होगा कि अणुव्रत का सिद्धान्त है वे कहीं पर भी टूटे तो उसके लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें भी बहुतसी बातें ऐसी हैं जो सरकार के दायरे में नहीं आतीं। सचाई, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना यह सब कुछ बुनियादी सिद्धान्त हैं समाज के। इन पर समाज आधारित है। समाज में जितनी भी प्रवृत्तियां चलती हैं वे सब प्रवृत्तियां सरकार के दायरे में नहीं आतीं।

अणुव्रत आन्दोलन सम्बन्धी इस प्रस्ताव में और इसके दायरे में अन्दर के बहुतसी ऐसी

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)
बातें हैं जिनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ हमारी सरकार का नियम है एक दिन का भूखा व्यक्ति भी चोरी करके पेट भरता है तो सरकारी नियमों के अनुसार उसको सजा दी जाती है। दूसरी तरफ यह है कि हमारे मकान के सामने कोई व्यक्ति भूखा मरकर, मर जाय तो मकान वाले को सजा नहीं दे सकते। यह असलियत है। इन्हीं बुनियादी सिद्धान्तों पर यह आधारित है। सरकार की अपनी खुद की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। सरकार एक ही क्षेत्र में काम कर सकती है। वह सभी क्षेत्रों को अपना नहीं सकती। नैतिकता, सच्चाई या एक दूसरे को मदद करने का सवाल है यह सरकार के दायरे में नहीं आता। कोई आदमी साक्षी के रूप में मजिस्ट्रेट के सामने बोलदे तो अपराध है, लेकिन रास्ते चलते झूठ बोलदे तो वह अपराध है क्या? अणुव्रत का नियम है उसके अन्दर यह भी अपराध है। लेकिन यह सरकार की दृष्टि से दण्डनीय नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रकार के प्रस्ताव को पास कर देना इस अणुव्रत सम्बन्धी प्रस्ताव की अवहेलना है। इस प्रस्ताव के विरुद्ध कार्य करने वालों का सदन कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी सरकारें हैं वे इस बात पर आधारित हैं, विधान के जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार सिर्फ उसी चीज पर जो नियमों के कानून के अन्तर्गत है उसी के बारे में कुछ कर सकती है। वह ऐसी कोई बात नहीं कर सकती जो सरकार के हाथ की चीज नहीं है या जिसके अधिकार सरकार को नहीं हैं। इसी चीज का इस संकल्प के अन्दर भी ध्यान रखें, पहली आपत्ति मुझे यह है।

दूसरा एक व्यक्ति विशेष आचार्य तुलसी द्वारा चलाया गया अणुव्रत आन्दोलन है उसको स्वीकार किया जाय। आप अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का सन्देश दिया देश को, आजादी दिलायी, लेकिन किसी प्रस्ताव के अन्दर, हिन्दुस्तान के किसी कानून के अन्दर उनकी कही हुई बातों को उनके नाम से नहीं कहा गया है। सच्चाई बडी चीज है, अहिंसा बडी चीज है इसको सरकार कुछ मायनों में स्वीकार कर सकती है। किसी व्यक्ति के नाम से प्रस्ताव लाना इसके मायने यह हुए इस सम्बन्ध में अगर कोई कल वाद विवाद खडा हो जाय उसकी आखरी अपील उसी के पास होगी जिस व्यक्ति का नाम इसमें दिया गया है क्लेरिफिकेशन वे देंगे उनकी लिखी हुई जो किताबें होंगी उनके अनुसार निर्णय लिया जायगा।

तीसरा प्रश्न जो नीति के तौर पर स्वीकार करते हैं तो कल उसी के साथ खुली हुई चीज यह आयगी कि अब अणुव्रत के सिद्धान्तों को नीति के रूप में सरकार ने स्वीकार कर लिया तो पहली चीज यह करनी पडेगी कि हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें इनका समावेश करना होगा उनकी टिप्पणी होगी उसके ऊपर फिर आलोचना होगी, उसके ऊपर फिर क्लेरिफिकेशन दिया जायगा। तो एक पक्ष का प्रभुत्व शिक्षा की प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों में बिल्कुल होजाने वाला है इस बारे में भी आपको सोचना चाहिये।

अणुव्रत आन्दोलन बहुत अच्छी चीज है जब तक वह आन्दोलन के रूप में जनता में रहे। कोई भी आंदोलन राज्याश्रय से नहीं चल सकते। भगवान् बुद्ध सामन्त थे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लेकिन उन्होंने भी घर त्याग करके बौद्ध धर्म को चलाया। भगवान् महावीर राजा के लडके थे उन्होंने भी गृह त्याग कर उसके बाद धर्म चलाया। 'दीने इलाही अकबर ने बादशाह रह कर धर्म चलाना चाहा।' उसकी क्या हालत हुई यह आप सब जानते हैं राज्याश्रय से कोई धर्म चल नहीं सकता, कोई आन्दोलन चल नहीं सकता। इस तरह का आन्दोलन चलाना है तो इस के लिये जनमत बनाना चाहिये। जितने भी कानून होते हैं उनके बुनियाद में कोई न कोई सिद्धान्त अवश्य होता है। कानून व्यक्ति का हाथ नहीं पकड सकता। व्यक्ति की सुरक्षा खुद व्यक्ति ही कर सकता है कानून तो केवल उसकी रखवाली कर सकता है। राज्य के अन्दर कई दफा ऐसी जानकारी छिपाई रखनी होती हैं देश की सुरक्षा की दृष्टि से कोई मिनिस्टर उसके बिना निभ नहीं सकता। यहां राजनीति है। यह अणुव्रत दूसरी चीज है राजनीति दूसरी चीज। राजनीति और राजा सीमित दायरे तक सीमित हैं। स्टेट की लिस्ट अलग है सेन्टर की अलग है कॉन्करेन्ट लिस्ट अलग है। अगर इसके बाहर जाकर कोई राज्य काम करता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है? राज्यों के अधीन कुछ सीमित मामले ही हैं। जिन की उनको व्यवस्था करनी होती है। धर्म का दायरा और उसी तरह अधर्म का दायरा बहुत व्यापक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि सदन है वह इफैक्टिव रेजोल्यूशन ही पास कर सकता है। यह प्रस्ताव पास करेंगे तो यदि इसकी अवहेलना होती है तो उसके लिये सजा की भी तजवीज करनी होती है। सजा देना तो इस आन्दोलन के खिलाफ है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें प्रायश्चित्त करने का प्रावधान है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें और भी बातें हैं। मैं जहां तक जान पाया हूं इसने इतना व्यापक रूप भी धारण नहीं किया है। जिन तेरहपन्थ समुदाय ने यह काम किया है वह सराहनीय काम है। यदि किसी पन्थ विशेष की बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे तो हम भी कल कह सकते हैं विश्नोई बीस और नव धर्म के जो हम मानने वाले हैं वह मानने चाहिये। इस तरह से सभी धर्म और जाति के भेदभाव खत्म करने के संकल्प भी सदन में आ सकते हैं। हमारा राज्य है वह धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसमें किसी धार्मिक पन्थ को या उनके साथ जुडी हुई किन्हीं बातों को राज्य के संरक्षण देने पर दूसरों को आपत्ति हो सकती है दूसरों को यह बात चुभ सकती है। मैं यह बात मानता हूं।

श्री आलम अली : मिनिस्टरों को कुर्सी छोड़ कर जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !

श्री फूलचन्द बाफना !

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज अभी चर्चा हुई वह विषय आवश्यक है। जब जब जमाने में मानव का पतन हुआ तब तब बड़े बड़े आदमी आये और हर बड़े आदमी ने अपनी सुगन्ध से दुनियां की दुर्गन्ध को कम किया और उसे पूरी तरह मिटाने का प्रयत्न किया,

(श्री फूलचन्द बाफना)

परन्तु फिर कुछ अर्से बाद मानव और समाज उसी रास्ते पर चलने लगा। इस प्रकार बार बार महापुरुष आये और उन्होंने मानव को सुगन्ध से सुवासित किया। जिस प्रकार एक कमरे में फूलों का टोकरा एक घंटे तक रक्खा जावे तब कमरा सुगंधमय हो जाता है, परन्तु थोडी देर के बाद फूलों की उस टोकरी को बाहर ले जाया जावे तो पांच मिनिट तक सुगन्ध रहेगी, फिर कमरा वैसा का वैसा ही। यही दुनियां का हाल है। महापुरुष आते हैं और अपने प्रयत्न करके चले जाते हैं। यह कोई नहीं कहता कि वह इसलिये प्रयत्न कर रहा है क्योंकि पहले वाले असफल हो गये थे। सभी ने सत्प्रयत्न किये, वे भी प्रयत्न करने हेतु आगे आये हैं।

मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस देश में करोडों की लागत की योजनायें बन रही हैं पर उनमें मानव अपनी अच्छाई के साथ अनुपस्थित है। निर्मल शुद्ध चरित्र वाला मानव वहां नहीं है। अगर उसमें अनिर्मल और अशुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति खडा है, करोडों की संख्या है-पर एक शुद्ध मानव उसमें से गायब है तो जैसे गिनती में से एक का अंक गायब हो जाता है तो बिन्दुओं की (शून्य की) कोई कीमत नहीं है, वैसे ही भले ही आप करोडों की योजना बनाते हों पर अगर उसमें एक पवित्र मानव नहीं है तो वह करोडों रुपया बर्बाद ही होगा। उसका कोई शुभ परिणाम निकलने वाला नहीं है। इसलिये व्यक्ति निर्माण का यह आन्दोलन है। समष्टि का ठीक होना भी जरूरी है। एक मकान बना है उसमें ईंटें हैं, खण्डे हैं, एक एक ईंट और खण्डे को ठीक गढ़ करके लगाते हैं तब मकान खडा होता है। इसी तरह एक समष्टि को ठीक करने के लिये एक एक व्यक्ति को गढना होता है। इससे मानव भवन ठीक बनेगा। यह निश्चित है। अगर समष्टि को ठीक करने के लिए व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो समष्टि ठीक नहीं होगी। इसलिये समष्टि को ठीक करने के लिये व्यक्ति को ठीक होना ही चाहिए। इस तरह राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण का, व्यक्ति को ठीक करने का यह आन्दोलन है।

आज हमारे मुल्क में बड़ा आदमी उसको माना जाता है जिसके पास दौलत हो जमीन हो, जायदाद हो, सोना हो, ऐश्वर्य हो, पद हो। जब तक समाज में यह मान्यता है तब तक वह समाज और मानव दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। यह निश्चित है। व्यक्ति को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति यह मानने लग जावे कि जो व्यक्ति भला है वही बड़ा है। जो भला नहीं है, वह बडा नहीं है। केवल षड़यन्त्र करके चालाकी से और डाकूपन से या चोरी से जिसने धन, ऐश्वर्य या पद प्राप्त किया है, वह बड़ा आदमी नहीं है। वह गलत है। तो इस दृष्टि से इस भावना की व्यक्ति में प्रतिष्ठा करनी है। इसके लिए व्यक्ति के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है समाज में आज समाजवाद लाना है। क्यों? इसलिए कि सारी समष्टि ठीक हो सके। पर सारी समष्टि के ठीक होने के लिए व्यक्ति, का ठीक होना अति आवश्यक है।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। हमारा राष्ट्र दीवारों का, या मकानों का नहीं है। बड़े बड़े कल कारखानों का भी नहीं है। वह है व्यक्ति प्लस व्यक्ति

(श्री फूलचन्द बाफ़ना)
प्लस व्यक्ति इक्वल टू राष्ट्र है। इसलिए अगर व्यक्ति ठीक है तो राष्ट्र ठीक होगा। अगर व्यक्ति खराब होगा तो राष्ट्र ठीक नहीं हो सकता। हमारी करोड़ों की योजनाएं इसलिए खराब हो रही हैं कि उन करोड़ों अरबों की लागत के निर्माण में भला व्यक्ति नहीं है। करोडों अरबों के निर्माण खड़े किये हैं उनके बीच आदमी को खड़ा नहीं किया गया है। आदमी को तो गिराया गया है। आदमी को चुनाव, आदि में गिराया गया है इसलिए वे योजनाएं भी गिरी हैं। आदमी को चुनाव में, चुनाव के दौरान, और बाद में गिराया जाता है, चारित्रिक पतन के रास्ते पर ढकेला जाता है नशे पते सिनेमा नाटक के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जाती है।

आज मिलावट चल रही है। इस सब अनाचारों के खिलाफ यह आन्दोलन शुरू हुआ है। यह निश्चित बात है कि इसके प्रवर्त्तक के अनुयायीगण पूंजीपति हैं करोड़पति हैं। यह एक विरोधाभास दीखता है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इसके प्रवर्त्तक हैं वे यह कभी नहीं कहते कि पूंजीवाद अच्छा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूंजीवाद अच्छा है। उन्होंने तो बराबर अपरिग्रह या सीमित परिग्रह पर ही जोर दिया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पर करोड़पतियों पर भी असर तो पड़ना चाहिये।

श्री फूलचन्द बाफना: पड़ना चाहिए। पड़ भी रहा है। मैंने भी कहा है इनको मीटिंगों में। मैंने देखा भी है, सुना है लोगों को यह कहते कि वे चोर बाजारी नहीं करेंगे। मिलावट नहीं करेंगे। परिग्रह की सीमा बांधेंगे। पर्दा प्रथा नहीं रक्खेंगे।

इस तरह समाज सुधार का यह एक आन्दोलन भी है। इसमें सहयोग हमें भी देना चाहिये। इस पृष्ठ भूमि में मैं बताना चाहता हूं कि पांच महाव्रत माने गये हैं। सत्य और अहिंसा, अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इनको पूर्ण रूप में वही मान सकते हैं जो साधु हैं, सन्यासी महात्मा हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) दो मिनिट में समाप्त करता हूं। जो साधारण गृहस्थ हैं उनके लिए मर्यादाएं बांधी हैं। उस मर्यादित व्रत को अणुव्रत कहा है? यह हर व्यक्ति के लिए आसानी से ग्राह्य है।

आज जो सामाजिक मूल्य जिस प्रकार चल रहे हैं उनमें कम से कम नियम स्वीकार करना आवश्यक है। इसी के लिए अणुव्रत हैं। महाव्रत और अणुव्रत इन दोनों में से महाव्रतों की ओर बढ़ा जाना वास्तव में सबके लिए शक्य नहीं है बड़ा कठिन है। पर है प्रशंसनीय। पर यह सबसे नहीं हो सकता। इसलिए सभी के लिए जन साधारण के लिए समाज में बड़े आदमी की वर्तमान परिभाषा को बदलने के लिए इस आन्दोलन को चलाना आवश्यक हुवा है। बड़े आदमी का आज का सामाजिक मूल्य बदलना पड़ेगा। व्यक्ति को ठीक करना होगा। भले आदमी को ही बड़ा मनवाना होगा।

दो प्रकार के समाजवाद आज चलते हैं। एक डाकुओं के टोले का। उनका भी एक समाजवाद है। लूट का माल लाते हैं और बराबर बराबर बांटते हैं। इसमें भी उनके अपने नियम हैं। दूसरा समाजवाद है सभ्य नागरिकों का। इसमें व्यक्तियों के नैतिक चरित्र का निर्माण होगा। उनके अपने ऐसे नियम होंगे कि जो नीचे से नीचा है वह ऊपर

(श्री फूलचन्द बाफना)

वालों के समक्ष चला जावे और ऊपर वाला नीचे आकर धरातल पर नीचे वालों के साथ बैठे। इस प्रकार ऊपर वालों को नीचे लाने का और नीचे वालों को ऊपर लेजाने का यह आन्दोलन है। मेरा ऐसा ख्याल है। अब उसमें उस हिसाब से अहिंसा का जरूर प्रश्न आता है। कुछ लोग हिंसा के द्वारा समाज को बदलना चाहते हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: मेरे पास समय अधिक नहीं है जल्दी करिये।

श्री फूलचन्द बाफना: एक मजूर है और एक हुजूर है। वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए एक ही वर्ग को रखने की बात चलती है। अब यह नारा देने वालों के लिए या तो एक हुजूर को काट डाला जावे या उसको परिवर्तित किया जावे अर्थात् हुजूर को मजूर बना दिया जावे तो दूसरे हुजूर वर्ग को काट दिया जावे या परिवर्तित किया जावे इस पर हमको गहराई से सोचना होगा। इसमें इस आन्दोलन से हम सहायता ले सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, अणुव्रत के सम्बन्ध में जो यहां पर प्रस्ताव आया और जिस प्रस्ताव के समर्थन के अन्दर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उसके संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि अणुव्रत आन्दोलन का किसी धर्म विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें जो भी सिद्धान्त अपनाये गये हैं वह तमाम धर्मों के सिद्धान्तों के समान ही हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और जिनके बारे में कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, उनमें से किसी ने इनके गलत होने के कारण इनका विरोध नहीं किया। ऐसे सिद्धान्तों को लेकर आचार्य श्री तुलसी ने इस अणुव्रत आन्दोलन को यहां पर इस देश में प्रचार किया। मैं यह कह सकता हूं कि जिन सिद्धान्तों को उन्होंने इस अणुव्रत आन्दोलन में अपनाया उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। उन्होंने यह बताया है कि हमको पांच सिद्धान्तों का खास तौर से अपने जीवन में पालन करना चाहिए ......

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रस्ताव के लिए कितना समय निर्धारित है? एक दूसरा प्रश्न है जो मंत्रियों की संख्या को कम करने के लिए है उसका अणुव्रत से डाइरेक्ट ताल्लुक है। इन दोनों को शामिल ले लीजिये और बाद में इन पर वोट करा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: आर्डर! आर्डर! शुरू करिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: समय कितना?

श्री अध्यक्ष: भाषण समाप्त होने पर कह दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास: सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह––यह सब धर्मों में लिखा है। इनके बारे में मैं बता रहा हूं कि यह पांच सिद्धान्त इसमें बताये हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह गांधीजी ने नहीं कहे थे?

श्री गिरधारी लाल व्यास: सभी जगह बताये गये हैं और राष्ट्रपिता हमारे हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में बताया है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास) विरोधी दल के माननीय नेता ने अभी थोड़ी देर पहले अपना भाषण दिया और उन्होंने सत्य के बारे में कहा—सत्य ऐसा सिद्धान्त जिसको सबको मानना चाहिए। लेकिन उनकी ही थोड़े दिनों पहले की एक एक्जाम्पल है, जब विरोधी दल के माननीय नेता ने हमारे गवर्नर महोदय के पास में 109 सदस्यों की लिस्ट भेजी थी। तो उन्होंने जो सत्य के बारे में जिक्र किया, क्या वह यही सत्य है और क्या जो सत्य का सिद्धान्त है उसको इसी प्रकार वह प्रतिपादित करना चाहते हैं ?

श्री विजय सिंह रावत : वह बिल्कुल सत्य थी।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सत्य थी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : आप विवादग्रस्त प्रश्नों को न लें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। यह कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इस तरह की बात हो रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री विजय सिंह रावत : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर ....

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारी लाल व्यास से) स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आडर ! आर्डर ! स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह भी सत्य की . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजय सिंह रावत : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि अणुव्रत के प्रस्ताव के ऊपर आपने इजाजत दी है बहस करने की, इसमें कन्ट्रोवर्शियल शब्द वाद-विवाद में न आयें . . . . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको इनकी कथनी और करनी में फर्क बताया कि इनकी कथनी क्या है और करनी क्या है। मेरा यह निवेदन है कि हमको सत्य के सिद्धान्त का सदैव पालन करना चाहिए, हर मौके पर चाहे वह कोई राजनैतिक प्रश्न हो या और कोई प्रश्न हो हमको इस सत्य के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, ऋषि-मुनियों और राजा महाराजा, जिनका बहुत ज्यादा नाम हुआ है देश के अन्दर, उन सबने इस सिद्धान्त का पूरी तरह से पालन करने के लिए अपने आपकी आहुति दे दी। उसी तरह से इस सत्य के सिद्धान्त का पालन करने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के सत्य का सभी लोग पालन करें।

दूसरा प्रश्न है, अपरिग्रह के सम्बन्ध में। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर राजा खत्म हुए . . . .

Page No.111

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांधी जी का प्रस्ताव क्यों नहीं दिलाया ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : लेकिन हमारे देश में बड़े बड़े पूंजीपति मौजूद हैं और उनके पास दिन दूना और रात चौगुना पैसा बढ़ रहा है · · · ·

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह तो आपके हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे नहीं हैं, आपके हैं । यहां पर भी राजा ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति पड़ी हुई है । जब इस सिद्धान्त को मानते हैं तो उनको उन रियायतों को छोड़ देना चाहिए · · · (शोरगुल—व्यवधान) · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : हजारों-लाखों की जमीन जायदाद वाले तो यहां मुख्य मंत्री ही मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सत्य के साथ सहिष्णुता भी हो ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री ही मौजूद हैं जिनके पास हजारों लाखों की जमीन जायदाद है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि क्योंकि समय कम है इसलिए विवादग्रस्त प्रश्न न उठायें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सत्य कटु होता है ।

श्री अध्यक्ष : सत्य के साथ सहिष्णुता भी रख कर चलें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सत्य हमेशा कटु होता है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा सत्य न बोलिये । (व्यवधान-शोरगुल) आर्डर प्लीज ! कटु सत्य न बोलिये, सहिष्णुता से बोलिये धैर्य से बोलिये ।

श्री दौलत राम सारण : 'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् '!

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी आज्ञा से मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता ···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह व्यवहार अणुव्रत के खिलाफ है ।

श्री रामकिशन : और हमारे मन को वेदना होती है ।

एक माननीय सदस्य : राजा-महाराजा खटक रहे हैं, उधर के सेठ नहीं खटक रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इधर बैठे हैं वह भी खटक रहे हैं, यह बात नहीं है ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बात न करें । अपने भाषण को तिक्त न बनायें । आरम्भ रखें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस बारे में कहा कि वह अणुव्रत के सिद्धान्तों को मानते हैं तो कम से कम अपने जीवन में उन्हें इन सिद्धान्तों को उतारना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी क्या मान्यता है ·· ·· ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सरकार की ओर से !

श्री रामानन्द अग्रवाल : कि विरोधी दल के नेता अणुव्रत को छोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय ···

श्री अध्यक्ष : पन्द्रह मिनट रहे हैं, माननीय सदस्य ! और दूसरा बिजनेस और है । माननीय सदस्यों ने कहा है कि दूसरा प्रस्ताव लेना चाहते हैं । इसलिए आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अभी मेरा भाषण पूर्ण नहीं हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय ···

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक पॉइन्ट और बोलने दीजिये । अब मैं समझता हूं ···

श्री दौलतराम सारण : मैं भी इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं और मैंने कई बार उठ-बैठ कर निवेदन किया है । मुझे खेद है, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । मुझे भी कहना है, जैसे आप कह रहे हैं । (व्यवधान) आर्डर प्लीज ! मैं अपनी मान्यता आपके सामने रखना चाहता हूं । अगर माननीय सदस्य देखेंगे दलों के सम्बन्ध में तो मेरा यह विश्वास है कि विरोधी दल को···

श्री दौलतराम सारण : मेरी पार्टी का कोई आदमी नहीं बोला है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! जहां तक इस दल का और उस दल का सवाल है मैं कह सकता हूं कि चौथाई हिस्सा भी इधर वालों को मौका नहीं दिया गया है । फिर भी मुझे खेद है कि माननीय सदस्य खेद प्रगट करते हैं और मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य क्षुब्ध हों । यदि यह इच्छा है माननीय सदस्यों की, तो मैं समय के प्रश्न पर जो थोड़ी खींचा तानी कर रहा हूं उसमें सुविधा दूं ···

श्री गिरधारी लाल व्यास : तब तो मुझे बोलने दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है कि मैं खड़ा हूं बोलने के लिए और मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आपको आपत्ति, जब आसन खड़ा हो, तब नहीं होगी ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे सख्त आपत्ति है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझे भी आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष : आपत्ति के भी नियम हैं ।

श्री दौलतराम सारण : नियम लागू नहीं होते हैं हर एक के साथ में एक से ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य !

श्री भैरों सिंह : अणुव्रत आन्दोलन में यह लिखा है कि होश नहीं खोयेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप विरोध करते हैं मुझे इसमें प्रतिरोध नहीं है (व्यवधान) आर्डर

Page No.113

(श्री अध्यक्ष)
प्लीज ! मैं इसका हल निकालना चाहता हूं । क्या माननीय सदस्यों की यह सम्मति है कि कुछ समय इसके लिए आगे बढ़ा दिया जाय—आधा घण्टा और !

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे प्रस्ताव के लिए ?

श्री दौलतराम सारण : अगले सत्र के लिए व्यवस्था कर दी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । आगे नॉन ऑफिशियल डे और आता है उस दिन इस पर विचार करवा लिया जाय तो ज्यादा गहराई से विचार हो सकता है और दूसरे प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! तो क्या यह सदन की सम्मति है कि इस प्रस्ताव को··

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए एक घंटा और दे दीजिये तो हमें आपत्ति नहीं होगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं साहब !

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री को आपत्ति नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री तो फुल एक दिन देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह सम्मति है कि सदन के नेता ने जो प्रस्ताव, प्रस्ताव नहीं सुझाव रखा है कि इस प्रस्ताव को दूसरे नॉन-ऑफिशियल डे के लिए रख लिया जाय··

श्री मनोहर सिंह मेहता : उसका मतलब यह है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि उस रोज के लिए रख दिया जाय ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज ही कर दिया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका आज ही कर दिया जाय तीया-पांचा ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें वोट की आवश्यकता नहीं है कि आज कर दिया जाय··

श्री अध्यक्ष : मुझे क्या करना है ?

श्री भैरोंसिंह : इस पर मतदान नहीं लिया जाय । इस पर जिस वातावरण में बात चल रही है, उसमें एक दो माननीय सदस्यों को बोलना है, उसके बाद मुख्य मंत्री बोल लेंगे और इस सब में ज्यादा से ज्यादा आध घंटा, पौन घंटे का समय लगेगा ।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार रखना चाहता हूं ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अभी प्रश्न चल रहा है कि समय बढ़ा दिया जाय अथवा नहीं । उसके बाद··

श्री भैरोंसिंह : जिस भावना में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, वह भावना बहुत शुद्ध भावना में ऐसी बात रखते हैं कि

Page No.114

(श्री भैरोंसिंह)
आज इस प्रस्ताव के ऊपर विचार न करके अगली बार नॉन-ऑफिशियल डे को ले लिया जाय ताकि विरोधी दल की ओर से दूसरे आने वाले प्रस्ताव हैं वह अपने आप खत्म हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक रोज एक्स्ट्रा रखिये।

श्री खेतसिंह : अणुव्रत के उद्देश्यों को मानते हुए आपका यह विचार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, अभी भैरोंसिंहजी का भाषण सुन रहे थे तो ऐसा लगा कि इस अणुव्रत में दिये हुए सिद्धान्तों से सभी अच्छी तरह अवगत हो जायं, इस प्रस्ताव पर एक दिन और बहस करने के लिये इसलिये कहा था कि यहां कई माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं, सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में बोलने के लिये ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो और पूरी बात सामने आ जाय तो उचित होगा।

श्री पृथ्वीसिंह : इस विवाद को दूसरे दिन के लिये मुल्तवी कर दिया जाय पर वह गैर सरकारी प्रस्तावों के दिन नहीं होना चाहिये, इसके लिये अलग से एक दिन रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके लिये एतराज नहीं है, एक दिन ज्यादा रख लीजये।

श्री अध्यक्ष : क्या निश्चय किया ? आज ही इसे समाप्त किया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री अध्यक्ष : तो सदन की अनुमति से आधा घंटे का समय और बढ़ाता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अणुव्रत आन्दोलन में और बातें तो बहुत अच्छी लगीं, इसमें एक सीमा बांधी गई है कि कोई आदमी एक लाख से ज्यादा रुपया नहीं रख सकेगा तो हिन्दुस्तान की आमदनी प्रति व्यक्ति देखें और साधनों को देखें तो जो सीमा एक लाख की निर्धारित की गई है वह हिन्दुस्तान के लोगों के लिये उचित प्रतीत नहीं होती। तो जो इसके प्रवर्तक हैं उन तक इस बात को पहुंचाया जाय कि एक लाख कि सीमा रखी है, उसको कम किया जाय देश की हालात को देखते हुए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसी प्रकार हिन्दुस्तान में कई करोड़पति हैं, खास तौर से यहां के लोग कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में चले गये और वहां उन्होंने करोड़ों की सम्पत्ति कमा ली, उनमें अणुव्रत को मानने वाले भी हैं, तो ऐसे लोग जो करोड़पति हैं, जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति है, उन लोगों पर इस अणुव्रत की अपील का असर पहले होना चाहिये, उनके द्वारा इसका पालन पहले होना चाहिये, करोड़पति, अरबपति सेठों पर इसका पहले असर होना चाहिये, उनके द्वारा इसका पालन करवाया जाना चाहिये ताकि इसे अणुव्रत आन्दोलन को तेजी मिलेगी, बल मिलेगा, उस धन का आवन्टन होना चाहिये, जिस तरह से कि जमीनों का आवन्टन होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, इस अणुव्रत के सम्बन्ध में मैं दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जहां तक इसके सिद्धान्तों का सवाल है उनसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये पर जो इसके प्रवर्तक हैं, जो इस आन्दोलन के संचालक हैं, उनसे मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से वे अणव्रत का प्रचार करना चाहते हैं उस तरीके से इसमें कामयाबी होने वाली नहीं है । पहली बात तो यह है कि यह प्रस्ताव आया है, उसका अर्थ यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार से कुछ कार्यवाही करवाना चाहते हैं कि सरकार कुछ कार्यवाही इस सम्बन्ध में करेगी । 58 में इसको समर्थन देने का सरकार ने गजट में निकाल दिया था । मेरा निवेदन यह है कि आध्यात्मिक क्रान्तियां सरकार से कभी नहीं हुआ करती हैं, कोई भी क्रान्ति सरकार से नहीं हुई, क्रान्तियां जितनी हुई हैं वे सब सरकारों के विरुद्ध हुई हैं । अगर आपका यह विचार है कि आप सरकार से क्रान्ति करवाना चाहते हैं तो वह गलत बात है, सरकार कोई क्रान्ति कर के बतायेगी, कोई आध्यात्मिक क्रान्ति कर के बतायेगी यह न कभी हुआ है और न कभी होगा ।

अभी कहा गया कि भगवान् बुद्ध तो खुद राजा के लड़के थे । पर वे राज्य छोड़ कर चले गये थे तब जा कर उन्होंने क्रान्ति की । तो इस तरह की यदि इस प्रस्ताव से उनको उम्मीद है तो मेरे ख्याल से उन्हें ना उम्मीदी ही होगी । रामानन्दजी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, वे करते ही, उनकी पार्टी अहिंसा में विश्वास नहीं करती, उनकी व्यथा मैं पहचानता हूं । इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, वे अपने सिद्धान्तों के माफिक चलते हैं ।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि इस अणुव्रत आन्दोलन को कामयाब बनाने के लिये, प्रस्ताव पेश करने से, उपदेश देने से कामयाबी मिलने वाली नहीं है । महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में ढाला, उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में, समाज में प्रयोग करके दिखाया । अहिंसा के जरिये हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिलाया, इसमें और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, इसीलिये सारी दुनियां महात्मा गांधी को मानती है, उन्होंने अहिंसा और सत्य की प्रेरणा देश को दी और अंग्रेजों की गुलामी से देश को छुड़ाया, इसमें और भी कारण हो सकते हैं । पर अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से हटाया ।

आज समाज में गरीबी है, अशिक्षा है, इनको दूर करने में सरकार असमर्थ है । अणुव्रत के मानने वाले समाज को उन कमियों को दूर करने के लिये प्रयास करना चाहिये, अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह से दूर करने की कोशिश करेंगे तो यह बात पार पड़ने वाली है ।

कल यहां असेम्बली में बात हो रही थी तो माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा कि राजस्थान केनाल राजस्थान के लिये प्राण स्वरूप है, इसके लिये हम सब तरह से सहयोग करने के लिये तैयार हैं । मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भारत सरकार को कई बार कहा है पिछले सालों में जो सहायता भारत सरकार ने दी थी उसमें भी कमी कर दी है इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह विधान सभा भारत सरकार से मांग करे राजथथान केनाल के लिये और अगर भारत सरकार नहीं मानती है तो इसके लिये आन्दोलन करे, नैतिक साहस से असहयोग आन्दोलन करना चाहिये । गांधीजी ने सिखाया था कि अगर हमारी जायज बात नहीं मानी जाती है तो उसके लिये सत्याग्रह करना हमारा फर्ज है । इसलिये विधान सभा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के दोनों तरफ बैठे हुए नेतागण इस बात को कहते हैं कि हम तो विवश हैं, हमारी बात भारत सरकार सुनती नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसके लिये सत्याग्रह करना चाहिये। इस प्रकार के नैतिक साहस से अणुव्रत आन्दोलन का प्रचार हो सकता है। जीवन में ढालने से ही कोई क्रान्ति सफल हो सकती है केवल प्रस्ताव पास करने से, उपदेश से नहीं। तो यह तो मैंने मिसाल दी है।

अणुव्रत और गांधीजी के सिद्धान्तों को मानने वाले इस प्रकार की कमजोरी की बातें नहीं करते। मैंने गांधीजी के सिद्धान्तों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्य यह निश्चय कर लें कि राजस्थान केनाल में हमें जो मदद भारत सरकार से मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है। वह मदद हमें भारत सरकार से मिलनी चाहिये मैं कहता हूं राजस्थान केनाल बन सकती है पर तभी बनेगी जब राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्य भारत सरकार के समक्ष सत्याग्रह करने को तैयार हों।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी भी करें।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं मोटी बात कहता हूं, मजाक की बात नहीं करता। आप विश्वास करें यदि आप राजस्थान केनाल को बनवाना चाहते हैं तो आप सब मिल कर एक निश्चय करें कि अगर भारत सरकार हमारी वाजिब बात नहीं मानती है तो इसके लिये सत्याग्रह करना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि इन सिद्धान्तों के ऊपर अमल करें, अपने जीवन में इन सिद्धान्तों को ढालें। अणुव्रत के सिद्धान्तों पर अमल किया जाय तो हमारी सारी वित्तीय समस्या हल हो सकती है। जो इस अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तक हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन अणुव्रतों को अपने जीवन म ढालिये, समाज को प्रेरणा दीजिये कि वह इन अणुव्रतों को अपने जीवन में अमल में लाये। नहीं तो जब से दुनियां बनी है यह कहा जाता रहा है कि सत्य बोलिये पर आज कितना सत्य का पालन होता है। गांधीजी कहते चल गये कि अहिंसा का पालन करो पर आज अहिंसा का कितना पालन हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। कहने से, उपदेश से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने जीवन में इन सिद्धान्तों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि इन सिद्धान्तों पर अपने जीवन में अमल करें, विषमता को दूर करने का प्रयास करें वरना प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होने वाला है।

(5 म. प.)

श्री **दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई सुबह से लेकर उठ-बैठ करने के बाद। अणुव्रत आंदोलन को मैं चिंतन, मनन और व्यावहारिक प्रेरणा के कारण-स्वरूप समर्थन देता हूं। मैं मानता हूं कि अणुव्रत आंदोलन के प्रेरक ने इसे प्रेरणा दी है चिंतन करने की, मनन करने की और जीवन में, जीवन को उपयोगी बनाने के लिए व्यवहार में लाने की। इस रूप में इस आंदोलन का और इस आंदोलन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि नैतिक आंदोलन के रूप में यह अणुव्रत आंदोलन ठीक है, वह एक पक्ष प्रस्तुत करता है लेकिन नैतिकता और चरित्र,

(श्री शोभतराम सारण)

व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का केवल प्रचार से नहीं बनता, परिस्थितियों से बनता है। प्रचार और परिस्थिति दोनों ही मिलते हैं तब व्यक्ति और समाज में चरित्र निर्माण होता है। आज की परिस्थिति हमारे सामने एक विशेष स्थिति रखती है। आज व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में है, व्यक्ति को विकास का कोई अवसर नहीं है। आज व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं, आज व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा मुश्किल से मिलता है, रोजगार के साधन नहीं और व्यक्ति को जब उसके जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धि नहीं होती, उनके फलस्वरूप व्यक्ति आज चिंतित है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का जिम्मा शासन ने लिया है। समाज और व्यक्ति ने अपना अधिकार शासन के सुपुर्द किया है। शासन ने जिम्मेदारियां तो ले लीं लेकिन उनको निभा नहीं रहा है। आज शासन जीवन के हरेक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, शादी ब्याह से लेकर, बच्चे पैदा करने से लेकर, तलाक और विवाह तक, उपार्जन और वितरण में शासन का दखल है लेकिन शासन का आधार राजनीति है। राजनीति का आधार साम, दाम, दंड और भेद हैं। जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करने वाला ऐसा शासनतंत्र समाज में नैतिकता नहीं स्थापित कर सकता, चरित्र-निर्माण नहीं कर सकता। अगर समाज में चरित्र और नैतिकता स्थापित करनी है तो शासन की नीतियां बदलनी पड़ेंगी, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। शासन की व्यवस्थाओं का असर व्यक्ति और समाज पर पड़ता है। व्यक्ति ईमानदारी से उपार्जन करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है लेकिन देखता है कि ईमानदारी से नौकरी का कर्तव्य निभाने नहीं दिया जाता है, उसके कर्तव्य में हस्तक्षेप किया जाता है, उसके काम में दखल दिया जाता है। इसी तरह से व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है लेकिन उसके व्यापार में भी दखल किया जाता है। इसी तरह एक किसान आज अपना उत्पादन ठीक प्रकार से करना चाहता है लेकिन उसके काम में भी दखल किया जाता है तो आज शासन का दखल हर क्षेत्र में बढ़ गया है। शासन किस तरह से स्थापित होता है? अणुव्रत की घोषणा करने वाले, उसके लिये सर्क्युलर जारी करने वाले और उसकी प्रशंसा करने वाले शासक जरा देखें कि उनके जीवन में और शासन में और शासन की नीतियों में अणुव्रत कहां तक है? उसकी स्थापना अणुव्रत के खिलाफ खरीद-फरोख्त से की जाती है। अणुव्रत में वोट को प्राप्त करने के लिए शराब पिलाना वर्जित करता है, लेकिन यहां एक एक लाख के प्रतिनिधियों को प्रलोभनों द्वारा, दबाव के द्वारा और न मालूम कितने गंदे तरीकों से उड़ाया जाता है और वोट बटोर कर शासन स्थापित किया जाता है। फिर हम कहते हैं कि नैतिकता स्थापित होनी चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए और दूसरे लोगों को उपदेश देते हैं कि यह होना चाहिए। इसको रोकने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, शासन की नीतियों को बदलना पड़ेगा, शासन का व्यवहार बदलना पड़ेगा, शासन की काय प्रणाली बदलनी पड़ेगी। नशाबंदी के लिये रोज घोषण होती है लेकिन जहां शराब से शासन को 1½ करोड़ की आमदनी होती थी वहां आज 9 करोड़ की आमदनी शराब

(श्री दौलतराम सारण)
से होती है। नैतिकता का प्रसार वाणी से नहीं होगा, भाषण से नहीं होगा, किताब छापने से नहीं होगा, अमली जामा देने से होगा। केवल साधुओं के पास जाकर उपदेश सुनें और नैतिकता का जीवन में व्यवहार अंगीकार न करें तो जनता भोली नहीं है, एक एक बात का समर्थन कर दिया....

श्री रघुनाथ सिंह बिश्नोई : तो प्रस्तावक से कह दो कि विथ्ड्रा कर लें।

श्री दौलतराम सारण : मैं प्रस्ताव को विथ्ड्रा करने की बात नहीं कहता। प्रस्ताव की भावना, चिंतन, मनन और व्यवहार की हमें प्रेरणा देती है, मैं उसका समर्थन करता हूं, आचरण को अपनाकर समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम इस सदन में जिन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, उन मुद्दों में अगर हम विचार की दृष्टि से उतरते, अगर वहां कठिनाइयों की दृष्टि से उतरते और गहरा जाकर देखते तो अच्छा होता, लेकिन आरोप उधर से हुए तो फिर हकीकत हमें भी बतानी पड़ती है। इसलिये इस त्याग और नैतिक चरित्र-निर्माण के आंदोलन को जो एक विशेष धर्म के आचार्य द्वारा प्रवर्त हुआ है, जैसे रामानंदजी ने कहा, मैं उसे धार्मिक आंदोलन नहीं मानता। वह सब धर्मों के लिए समान रास्ता देते हैं लेकिन उसकी जो पृष्टभूमि है, उसको मैं जहां तक समझ पाया हूं वह केवल आचार और विचार तक सीमित है, वह आचार पक्ष को पवित्र बनाना चाहते हैं और विचार की प्रेरणा उसके साथ रखना चाहते हैं। अगर विचारपूर्वक आचरण किया जायगा तो कर्म शुद्ध होगा, आचार-विचार और व्यवहार शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से जीवन पवित्र होगा। इसलिए इस आंदोलन की पृष्टभूमि में 4 बातें मानकर चलना पड़ेगा : विचार पवित्र हों, प्रेरक हों, समाज और राष्ट्र के उद्देश्य उनके संकल्प हमारे मन में हों तो निश्चित रूप से हमारा उनके अनुरूप आचरण होगा। लेकिन आचरण को पवित्र बनाने की बात करें और कार्य उसके विपरीत हों तो कोई संगति नहीं होगी और जीवन में एकरूपता नहीं आएगी। जीवन में पवित्रता के लिए, राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण के लिये आवश्यक है कि विचारों के साथ आचरण, व्यवहार और कर्म की संगति हो, नहीं तो चरित्र-निर्माण नहीं होगा। राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण के लिए शासक दल को, शासन-कर्ताओं को चाहिए कि आज चरित्र को दूषित करने वाली जो प्रणालियां हैं, कानून हैं, उनको ठीक करें। जैसे उपाध्यक्ष ने सुझाव दिया एक भूखा जो रोटी चुरा लेता है तो उसको 379 के तहत सजा देते हैं, लेकिन एक आदमी जो गरीबों का शोषण करके करोड़ों रुपए कमा लेता है उसके लिए कोई सजा देने की व्यवस्था नहीं है। समाज में जिसके पास है उसकी रक्षा करते हैं, हम संपत्ति की सुरक्षा करते हैं लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व की सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है। इसलिये शासन की जो नीतियां हैं, इसके जो कानून हैं, इसकी जो प्रक्रिया है वह अनैतिकता लाने के लिये जिम्मेवार है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय चरित्र का कोई स्थान नहीं। सामाजिक चारित्र निर्माण और व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाने के लिये शासन की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होगा। शासन की व्यवस्था तभी परिवर्तित की जा सकती है जब कि ऐसे विचार वाले व्यक्तियों का संगठन फैलेगा और वह संगठित शक्ति

(श्री दौलतराम सारण)
ही इस विचार प्रवाह को इसकी प्रक्रिया को बदलने के लिये शासन को मजबूर कर सकती है इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुख्य मंत्री !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संकल्प पर इस समय वाद-विवाद हो रहा है, इस संकल्प पर बहस के दौरान इस तरफ बैठने वालों पर, राज्य सरकार पर इस प्रस्ताव को लाने के पीछे हम लोगों की तरफ से कोई खास प्रेरणा हो इस तरह के आरोप लगाये गये उसको सुनकर दुख हुआ। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रस्ताव लाने की बात इस पक्ष के लोगों से भी कही गई लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया वह उधर के लोगों द्वारा लाया गया उसमें इस पक्ष के लोगों के नाम न समर्थक में हैं और न प्रस्ताव रखने में। क्योंकि मतलब यह नहीं है कि जो प्रस्ताव के पीछे भावना है उसके हम विपरित हों या इस तरफ बैठने वाले व्यक्ति हों यह बात नहीं है।

अभी यहां पर मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने कहा सरकार की तरफ से अमुक प्रकार का व्यवहार है या दूसरी प्रकार का व्यवहार है मैं समझता हूं गैर सरकारी प्रस्ताव के रूप में जो प्रस्ताव सदन के समक्ष विचार करने के लिये है अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के पीछे न पूंजिवाद के समर्थन की भावना दिखती है और न प्रस्ताव के पीछे किसी धर्म विशेष के समर्थन की बात आती है और न प्रस्ताव के पीछें इस बात को देखते हैं कि कोई खास उद्देश्य, सरकार द्वारा समर्थन की भावना कही इस प्रस्ताव के पीछे है।

यह सही बात है कि जो हमारी संस्कृति में सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही बातें हैं, अलग-अलग धर्मों के मूल सिद्धान्त हैं, उनके अन्दर जो जो बातें समय समय पर कही गई हैं उन्हीं बातों पर अणुव्रत के संबंध में एक रूपरेखा बनाई गई है और यह उसी पर आधारित है। इसमें कोई नवीन सिद्धान्त या नई बात प्रतिपादित की गई हो ऐसी बात नहीं है। समय-समय पर हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर भगवान और महात्मा गांधी हुए हैं जिन्होंने समय-समय पर एक बात को दोहराकर जो अच्छाइयां हैं वह समाज के समक्ष रखते रहे हैं। उनका जीवन हमेशा प्रेरणामयी रहा है उनका महत्व समाज के सामने रहा है जो कमियां समाज में आती रही हैं उनको दूर करने की तरफ उनका प्रयत्न रहा है। जो बातें इसमें दी गई हैं वह किसी खास व्यक्ति द्वारा कही गई हों इसमें किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं जितनी, सारी बातें इसमें दी गई हैं अगर कोई भी व्यक्ति उसको जीवन में उतार सकता है तो वह आदर्श व्यक्ति होगा इसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती। आचार्य तुलसी ने इस ओर प्रेरणा दी है इसमें किसी पूंजीवाद का समर्थन के लिये यह किया गया यह कल्पना करना गलत है। कोई भी व्यक्ति जो अपरिग्रही है, वह किसी सिद्धान्त के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे, घर घर घूमता फिरे, जो व्यक्ति सही मायने में इस पर अमल किया हुआ है जिसके किसी प्रकार का परिग्रह नहीं, किसी प्रकार की चाह नहीं है, जिसमें उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं जो केवल समाज की दृष्टि से इस भावना को लेकर आगे आ रहे हैं। मैंने देखा इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आन्दोलन के संबंध में जो भी सम्मेलन आयोजन किये गये हैं विविध धर्म के लोगों ने जिसमें क्रिश्चियन, इस्लाम के मानने वाले, राजनीतिज्ञ जो किसी भी पक्ष के व्यक्ति हों कई व्यक्तियों ने इस आन्दोलन को महत्वपूर्ण आन्दोलन समझा है। यह समाज में आगे बढ़े इसको सफलता प्राप्त हो इसकी हमेशा अपेक्षा की है। मैं, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिशः यह समझता हूं जो आन्दोलन अणुव्रत आन्दोलन के नाम से चलाया जा रहा है उस आन्दोलन के संबंध में मैं पूरी तौर से समर्थक हूं। यह आन्दोलन देश को शुभ रास्ते पर ले जाने के लिये अच्छा है इस पर देश के किसी समाज के व्यक्ति को मतभेद नहीं हो सकता चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों। इसके अन्दर यह बात कही गई है अपरिग्रही हो, पूंजीवाद वाली बात का समर्थन नहीं किया। रिश्वत खोरी न हो, कालाबाजारी न हो, ये बातें कही गई हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना न हो यह बात भी इसके अन्दर कही गई है। जो सबके भले की चीज कही जाय वह चीज कुछ महत्व रखती है। इन महत्व रखने वाली बातों की तरफ इसमें संकेत किया गया है इस प्रस्ताव के बारे में भावना के बारे में किसी का विरोध नहीं हो सकता।

सदन में जो बहस हुई उसको गौर से सुना। इस प्रस्ताव को भी मैंने देखा है। इस प्रस्ताव को देखने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, ऐसा अनुभव करता हूं जो विचार अलग-अलग व्यक्तियों की तरफ से आये आज इस पवित्र दिन पर, महात्मा गांधी के निर्वाण का दिवस है इस प्रकार की चर्चा होना एक प्रकार से अच्छी बात है। मेरा जहां तक ख्याल है विधान सभा अगर किसी प्रस्ताव को पास करती है जो राज्य सरकार से संबंधित बात हो जिस पर अमल कराना हो इन चीजों के ऊपर विधान सभा प्रस्ताव पास किया करती है, उस पर विचार किया करती है। यह प्रस्ताव जो इस वक्त हमारे सामने है जिसमें यह भी कहा गया है कि मांसाहारी भोजन नहीं करूंगा और भी बहुत सी चीजें नहीं करूंगा, जो बातें कही गई हैं उसकी मन्शा कानून की तौर पर प्रस्ताव को अमल कराना है जैसा कि इस प्रस्ताव की अन्तिम पंक्ति में कहा गया है उसे एक राष्ट्रीय नैतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया जाय। स्वीकार किया जाय जो यह बात कही गई है इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार राजस्थान के अन्दर इस पर अमल करवाये उसके लिये एक कानून बनाये वह चीजें राज्य सरकार या कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती और न उसके क्षेत्र के अन्दर यह बात आयगी। प्रस्तावक महोदय को एतराज न हो तो इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो गया है। सदन के सभी दल के लोगों की भावना सामने आ गई है वैसी हालत में इसको पारित करने के लिये इस पर ज्यादा जोर न डाला जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सदन की सम्मति है कि यह प्रस्ताव जिस पर विचार किया है इसको सम्मति के लिये रख दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्री को इस प्रस्ताव के कुछ शब्दों पर आपत्ति नजर आती है वे ये हैं "राष्ट्रीय नैतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया जाय"

(श्री भैरोंसिह)

इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सरकार को अपना कानून बना कर इन सब चीजों को लागू करना है। मैं समझता हूं, इस प्रकार का दायित्व तो इस प्रस्ताव को पारित करने से नहीं आता है····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आता है।

श्री भैरोंसिह : नहीं आता। केवल नैतिकता का प्रश्न है, नैतिक दृष्टि है। इन प्रश्नों को लेकर सरकार क्या उचित समझती है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कितना कर्तव्य निर्वहन हो सकता है, जनता में नैतिक उत्थान के लिए किस प्रकार कार्यवाही कर सकती है, उसको लागू किस प्रकार करवाया जा सकता है- इस दृष्टि से यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। विधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया तो इसका अर्थ है कि जनता इसको महत्व दे, इस आन्दोलन को समझे और इस अन्दोलन के अनुसार अपने आचार-विचार में परिवर्तन करे, यह सब उसके लिए है। इसके अलावा आज दो विधान सभाओं ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी ने नहीं किया।

श्री रामकिशन : पास नहीं किया। बहस की है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पास नहीं किया है।

श्री भैरोंसिह : वैसी स्थिति में कोई पास करे या नहीं करे यह इतना महत्व का नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: वही काफी है।

श्री भैरोंसिह : लेकिन महत्व है वह इस दृष्टि से है कि यदि विधान सभा आज इस प्रस्ताव को पास नहीं करती है··

श्री रामनन्द अग्रवाल : भैरोंसिहजी आपके वोट पक गये।

श्री भैरोंसिह: मेरी सुनिये। मेरे वोट तो पके हैं और मैं जब तक चुनाव लड़ूंगा तब तक मैं जीतकर आऊंगा (करतल ध्वनि)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह किसी की ठेकेदारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि आज अणुव्रत आन्दोलन की जो मुख्य बातें हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका रिपरकशन जनता पर क्या होने वाला है ? क्या विधान सभा में इसलिए ही प्रस्ताव रखे जाते हैं कि उन्हें टॉक आउट कर दिया जाय ? अगर इस प्रस्ताव को पारित नहीं करते हैं तो आज लोग क्या कहेंगे और हम लोग बाहर जाकर जनता को क्या कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में कह दीजिये।

श्री भैरोंसिह : संक्षेप में ही कह रहा हूं। प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को पारित न करने के रिपरकशन जनता के अन्दर क्या होंगे ? इसलिए इन दोनों में से कोई बीच का रास्ता निकाला जाय। यदि इसकी शब्दावली में परिवर्तन करना है तो वह समझ में आ सकता है लेकिन इस प्रस्ताव को टॉक आउट करके फेंक देना उचित नहीं लगता है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : इसके अलावा यह हो सकता है पर्टिक्यूलर नाम नहीं लेकर वैसे ही किया जाय, क्योंकि बहुत से साधु सन्त हैं जो अन्डर ग्राउन्ड वर्क करते हैं। हम अणुव्रत आन्दोलन के नैतिक पक्ष से इन्कार नहीं कर सकते लेकिन पर्टिक्यूलर नाम है उसके पीछे जो भावना है वह उचित नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : समझ में आ गया।

श्री **खेतसिंह**: अध्यक्ष महोदय, रात को डिनर पर भैरुमल ने क्या बात की थी और आज यहां क्या कहते हैं, यह भी देखते हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : मैंने, अध्यक्ष महोदय, खेताराम को बहुत समझाया कि तुम अकल से बात किया करो लेकिन वह नहीं समझते हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : सब महापुरुषों को ले लें।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को एतराज नहीं हो तो इस रूप में इसको रख लिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : स्वीकार करने की बात नहीं है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : सदन यह निश्चय करता है कि आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत अभियान की सराहना करता है।

श्री **भैरोंसिंह** : ठीक है।

एक माननीय सदस्य : इसमें एक तरफ का ही नाम नहीं हो।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : हजारों आदमी देश में ऐसे हैं जो अपने अपने विचार में विश्वास करते हैं.......

श्री **अध्यक्ष** : एग्रीड ?

श्री **भैरोंसिंह** : एग्रीड।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मुख्य मंत्री जी ने संशोधन रखा है वह स्वीकार है।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मुख्य मंत्री जी ने रखा है........

श्री **रामकिशन** : नहीं साहब !

श्री **अध्यक्ष** : कि इसमें यह संशोधन कर दिया जाय कि यह सदन आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत अभियान की सराहना करता है। इसको स्वीकार किया जाय।

श्री **मनहरसिंह मेहता** : मुझे अर्ज करना है.........

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! आर्डर ! आर्डर ! ! प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय। श्री डागा !

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वापिस ले रहे हैं !

एक माननीय सदस्य : हैं नहीं।

श्री **अध्यक्ष** : (संशोधन पर ध्वनिमत से राय जानने के पश्चात्) प्रस्ताव गिर गया !

(संशोधन अस्वीकृत किया गया)

श्री **रामकिशन** : विथड्रा कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन : नहीं जी !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामकिशन (विराम) दोनों संशोधन ले लेता हूं।

श्री रामकिशन : दूसरा जो है जिसमें मंत्रियों की संख्या घटाने का है, उसको रखवा लें तो बहुत बढ़िया होगा !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामकिशन जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया !

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री प्रेमसिंह, श्री महेन्द्र सिंह और श्री आदित्येन्द्र आदि ने रखा है कि "यह सदन आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत अभियान की प्रशन्सा करता है"। उसे स्वीकार किया जाय (विराम) संशोधित रूप में।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सर्वसम्मति से होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मौके पर तो बैठे रहे अब कहते हैं सर्वसम्मति से होना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नो !

श्री नत्थीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : (प्रस्ताव पर ध्वनिमत लेने के पश्चात्) प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हुआ हूं, आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता !

श्री नत्थीसिंह : मैं कह रहा था, आपने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रस्ताव अमेंडेड फार्म में स्वीकार हो गया।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुवीर सिंह (122) को, जिन्होंने 18 जनवरी, 1968 से एक माह तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है, क्या उन्हें सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

मैं सदन की कार्यवाही 22 फरवरी, 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बज कर 25 मिनट पर गुरुवार दिनांक 22 फरवरी, 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची देखिये)

अनुमानित संस्थाओं के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग की ओर से जो जो संस्थायें चल रही हैं उनकी सूची 'अ' :–

1. राजकीय छात्रावास ।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ।
3. संस्कार केन्द्र एवं समाज शिक्षण केन्द्र ।
4. आश्रम स्कूल ।
5. महिला सदन ।
6. महिला एवं पुरुष आश्रय गृह ।
7. उत्तर रक्षा गृह ।
8. अन्धे लडके, लडकियों का आश्रम स्कूल ।
9. भिक्षुक गृह ।
10. अनाथ आश्रम ।
11. वृद्ध एवं अशक्त लोगों का गृह ।
12. राजस्थान आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र ।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 188 की सूची देखिये)

बरड इलाके में जिन तालावों की मरम्मत कराई गई तथा उन पर खर्चा हुआ एवं उनसे कितनी सिंचाई हुई उसकी सूची।

क्र.सं.	नाम बन्ध व तालाब	तखमीने की स्वीकृति की सं. व दिनांक	खर्चा वर्ष 1966-67	खर्चा वर्ष 1967-68	सिंचाई वर्ष 66-67 एकड़ों में	सिंचाई वर्ष 1967-68	विशेष विवरण
1	2	3	4		5		6
1	पलका लोवर तालाब	147,65-66	1569.00	—	81 एकड़	90 एकड़	बरड क्षेत्र के जिन तालावों पर खर्च किया गया और उनसे 1966-67 में जो सिंचाई हुई वह तहसील बून्दी के आंकड़ों पर आधारित है।
2	कवलिया नहर	59,67-68	13233.71	7694.24	28 ,,	30 ,,	
3	मेव का पुल पिक अप विअर	130,65-66	9046.62	17.00	196 ,,	270 ,,	
4	पालका अपर तालाब	131,65-66	3603.18	—	—	—	
5	डोरा पिक अप विअर	174,65-66	6190.04	793.25	117 ,,	150 ,,	वर्ष 67-68 के सिंचाई के खरीफ आंकड़े तहसील बून्दी से प्राप्त नहीं होसके हैं इस कार्यालय से पत्रांक सं. 16945-46 दिनांक 7-11-67 एवं सहायक अभियन्ता का पत्र संख्या 3650-51 दिनांक 7-12-67 और पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 613-14 दि0 15-1-68 द्वारा लिखा गया है।
6	गरडदा नहर	138,65-66	1857.08	—	—	10 ,,	
7	पराना	128,65-66	6768.95	94.71	5 ,,	42 ,,	
8	गणेशपुरा	129,65-66	4581.20	2957.75	13 ,,	48 ,,	
9	कंवरपुरा नहर एवं तालाब	53,66-67 132,65-66	18790.85	409.84	279 ,,	300 ,,	
10	डाबी	99,66-67	15074.96	1593.59	—	32 ,,	
11	हरदा पिक अप वियर	10,66-67	4360.35	(–) 60.77	—	—	

1	2	3	4		5		6
12	थडी तालाव		9044.94		32 एकड़	36 एकड़	गत वर्ष से इस वर्ष इन तालावों पर आवश्यक मरम्मत हो जाने से सिंचाई में वृद्धि की संभावना है। सिंचाई के जो आंकड़े वर्ष 67-68 में दिखाये गये हैं वो अनुमानित होने वाले सिंचाई के आंकड़े हैं।
13	चौका पाट की नहर	127,65-66	11158.00		—	—	
14	सास बहू का तालाव	105,66-67	11833.38		—	27 ,,	
15	बनेश्वर तालाब	26,67-68	15191.85	7889.86	420 ,,	500 ,,	
16	कछोलिया पिक अप	177,66-67	244.47	201.27	..	—	
17	भवानीपुरा तालाब	68,67-68	11161.93	14862.36	—	40 ,,	
		योग	143690.61	36453.20	1171	1498	

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 190 की सूची देखिये)

अनुसूचित जाति संघ द्वारा संचालित छात्रावासों को दिये गये अनुदान की सूची "अ"

अनुसूचित जाति संघ छात्रावास कांवट, जिला सीकर

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत अनुदान की रकम
1.	1963-64	रु0 4421.00
2.	1964-65	रु0 4302.00
3.	1965-66	रु0 4608.00
4.	1966-67	रु0 9718.00
	कुल योग	रु0 23049.00

अनुसूचित जाति संघ छात्रावास सादड़ी, जिला पाली

1.	1964-65	रु0 8535.00
2.	1965-66	रु0 9574.00
3.	1966-67	रु0 9110.00
	कुल योग ..	रु0 27219.00

संस्था के कार्य की सूची "ब"

संस्था के संविधान के अनुसार संस्था का निम्नलिखित कार्य-क्रम है ।

सामाजिक:—

1. अलग 2 बने हुये छोटे 2 जाति विशेष के संघों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना ।
2. अस्पृश्यता निवारण का प्रयास करना ।
3. सामाजिक व धार्मिक कुरीतियां जैसे शराब सेवन, बाल विवाह, नुक्ता प्रथा, गंग भोज, बहु विवाह इत्यादि का उन्मूलन करना ।
4. नारी समाज का बहुमुखी उत्थान करना ।
5. गंदी बस्तियों का सुधार तथा अनुसूचित जातियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य व चरित्र गठन का प्रचार करना ।
6. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों व शोषण व अपराधी प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना ।

7. राजकीय व अराजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को यथा स्थान दिलाना व भारतीय संविधान के अन्तर्गत 12½ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों को पूर्ण कराने का प्रयास करना।
8. भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि व निवास हेतु जमीनें दिलवाना व मकान बनवाने की व्यवस्था करना।
9. अनुसूचित जाति के निस्सहाय व अनाथ बच्चों एवं वृद्धों तथा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना तथा उनके जीवनयापन का समुचित प्रबन्ध करने का प्रयास करना।
10. घरेलू धन्धों को प्रोत्साहन देना तथा सहकारिता के आधार पर उद्योग धन्धों को बढ़ावा देना।
11. अन्य कोई भी कार्य जो संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हो, करना।
12. खादी ग्रामोद्योग तथा हाथ से बनी वस्तुओं को जीवन में उपयोग लाने हेतु प्रयास करना।

शैक्षणिक:—

1. अनुसूचित जातियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा संघ द्वारा शिक्षा संस्थाओं, छात्रावास, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालयों, शिक्षा इत्यादि का संचालन करना।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सभा सम्मेलन, भजन कीर्तन, ललित कला आदि को प्रोत्साहन देना।
3. उच्च शिक्षा में तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना व यथा स्थान दिलाना।
4. राज्य सरकार द्वारा शिक्षालयों में वांछित निजि तौर पर परीक्षा देने की सहमति दिलाने का प्रयास करना।

विशेष:—

भारतीय संविधान की धारा 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों के शिक्षा, समाज एवं जीवन सम्बन्धी विशेष हितों की सावधानी से उन्नति करने और सामाजिक अन्याय तथा सब तरह के शोषण से उनके संरक्षण के प्रयत्न राज्य सरकार द्वारा करवाना।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 193 की सूची देखिये)

सूची अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत अभावग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी हेतु वर्ष 66-67 तहसील चूरू के क्षेत्र में कुए चलाये गए

क्र. सं.	नाम ग्राम	तादाद कुए	नाम टेन्डर देने वाले का	नाम व्यक्ति जिसके नाम टेन्डर स्वीकृत हुए	अवधि कब से	अवधि कब तक	नाम व्यक्ति जिनके नाम पेमेन्ट किया	तादाद रकम जो दी गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खीवासर	3	1. सेराराम पु. नारायण राम, खीवासर 2. पन्नाराम पुत्र हुक्माराम 3. केशूराम पुत्र हुक्माराम 4. चेतराम पुत्र बेजाराम 5. मुनीर खां पुत्र एवज खां	मुनीरखां पुत्र एवजखां बहुक्म दफ्तर हाजा नवम्बर 2031 दि. 18-6-66 से मुनीरखां का टेन्डर कुए न चलाने की वजह से खारिज होकर गांव वालों की ओर से निम्न व्यक्तियों ने कुआ चलाया:–				
				1. हनीफ पुत्र मानीलाल	21-5-66 से	1-7-66	हनीफ पुत्र मानी शाह	1080)
				2. भंवर सिंह पुत्र श्योलाल सिंह	12-5-66 से	31-7-66	भंवर सिंह पुत्र श्योलाल सिंह	1215)
2.	सहपुसर	1	1. मुनीरखां पुत्र एवजखां 2. नानूखां पुत्र लादूखां 3. भालूखां पुत्र लावदी खां	3. भैरूराम पुत्र हुकमाराम श्री भालूखां पुत्र लावदी खां कामलानी	12-5-66 से 8-5-66 से	31-7-66 24-7-66	भैरूराम पुत्र हुकमाराम भालूखां पुत्र लावदीखां	1215) 1482)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. नारायन पुत्र चन्दाराम					
3.	इन्दुपुरन	1	1. केशूसिंह पुत्र रावतसिंह 2. सुरजनसिंह पुत्र नाहरसिंह 3. उदयसिंह पुत्र गंगसिंह 4. रामकुमार पुत्र भूरसिंह 5. मुनीर खां पुत्र एवज खां	उदयसिंह पुत्र गंगसिंह	10-5-66 से	21-6-66	उदयसिंह पुत्र गंगसिंह	630) रु.
4.	आसल खेड़ी	1 2	माल सिंह पुत्र भूर सिंह मुनीरखां पुत्र एवजखां	माल सिंह पुत्र भूरसिंह	9-5-66 से	24-7-66	मालसिंह पुत्र भूर सिंह	962-50
5.	झारिया	1	1. परमा राम पुत्र मालाराम 2. भोलाराम पुत्र मूलाराम 3. मोटाराम पुत्र मालाराम 4. मुनीर खां पुत्र एवज खां	मोटाराम पुत्र मालाराम	9-5-66 से	24-7-66	मोटाराम पुत्र मालाराम	1155) रु.

6. कहवासर	1	1. हनुमान पुत्र माणकराम 2. भालू खां पुत्र लावदी खां 3. मुनीर खां पुत्र जावदी खां 4. मुरीर खां पुत्र एवज खां	भालूखां पुत्र लावदी खां	धर्मार्थ दूसरे व्यक्ति ने चढाया इस लिये कोई पेमेन्ट नहीं हुआ।		
7. सरसला	1	1. गिरधारी सिंह पुत्र डूंगर सिंह 3. रघुनाथ सिंह पुत्र कान सिंह 3. दौलत राम पुत्र नाथूराम 4. डाकूराम पुत्र दौलतराम	अस्थाई दोलाराम स्वीकृति से गिरधारीसिंह पुत्र डूंगर सिंह	17-12-65 से 22-12-65 23-12-65 से 15-8-66	दोलाराम गिरधारीसिंह	60)रु. 2560)रु.
8. चूटिया	1	1. मुनीर खां पुत्र एवजखां	एक ही टेन्डर प्राप्त हुआ इसलिये स्वीकृति नहीं हुई। अतः गांव वालों की ओर से कुआ चलाने की स्वीकृति व हुक्म द. हाजा			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				नं. 1777-78, दिनांक 7-5-66 के निम्न व्यक्तियों के नाम से हुई :— 1. श्योजीराम 2. लिखमाराम 3. भगवाना राम 4. इन्द्र राम	10-5-66 से	5-7-66	श्योजीराम (2) लिखमाराम 3 (3) भगवानाराम (4) इन्द्रराम	840) रु.
9.	सोमासी	1	1. मुनीर खां पुत्र एत्रज खां	एक ही टेन्डर होने से मन्जूर नहीं हुआ अतः ब हुक्म दफ्तर हाजा 1777-78, दि. 7-5-66 के अनुसार श्री चीमाराम पुत्र धनाराम ने कुआ चलाया	9-5-66 से	24-7-66	चीमाराम	1155) रु.
							योग कुल रु. ..	12,354-50 पै.

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के ट्रेन्ड बेरोजगार व्यक्ति ।

198. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने शिक्षित व कितने ट्रेन्ड व्यक्ति बेरोजगार हैं ? सूची अलग अलग जिलेवार पेश करने की कृपा करें ।

(2) क्या समाज कल्याण विभाग इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई सर्वे कराता है ?

(3) क्या सरकार का पिछड़ी हुई जातियों के उन लोगों को किसी प्रकार की कोई सहायता देने का विचार है जो शिक्षित होने के बाद अभी बेरोजगार बैठे हैं ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई जानकारी समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) बेरोजगारी एक सामान्य राष्ट्रीय समस्या है । भारत जैसे गरीब देश में उन्नत देशों की भांति बेरोजगारों को भत्ता आदि सहायता देना सम्भव नहीं है ।

बीकानेर जिले की गोचर भूमि

199. श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में कितने हैक्टर जमीन गोचर भूमि में है ? अलग-अलग तहसील व ग्रामवाइज बतलाई जावे ।

(2) जिला बीकानेर की किन-किन तहसीलों के किन-किन ग्रामों की गोचर भूमि पर नाजायज काश्त की जा रही है ? खुलासा विवरण मय रकबा व काश्तकारों के नाम बतलाने की कृपा करें ।

(3) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या तहसील नोखा, जिला बीकानेर के ग्रामों की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे करके पक्के मकान व कच्चे मकान भी बना लिए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार उस गोचर भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित क्यों नहीं करती तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

(5) क्या यह सत्य है कि तहसील नोखा जिला बीकानेर में मोहनपुरा व जोरावरपुरा दो बास कृषि भूमि पर बसे हुए हैं ? अगर हां, तो कितने सालों से तथा दोनों बासों में कुल कितने परिवारों के पक्के मकान व कच्चे मकान बसावटी हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार मोहनपुरा व जोरावरपुरा दोनों बासों के खसरा कृषि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
भूमि बसावटी जमीन को आबादी भूमि में कनवर्ट कर रही है। अगर हां, तो कब तक पूर्ण कार्यवाही हो जावेगी ?

(23-3-68 को पुनः पूछा गया)

ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ में विद्यालय भवन के निर्माण के लिए एकत्रित धन

200. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ की रसीदों पर विद्यालय भवन निर्माण के नाम पर गांव वालों एवं विद्यार्थियों से धन एकत्रित किया गया ?

(2) क्या एकत्रित की गई धनराशि का कोई हिसाब रखा गया है। यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई ? इस एकत्रित धनराशि का क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जिला जैसलमेर में बीघोड़ी की वसूली

201. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में समरी सैटलमैन्ट के द्वारा किसानों से जमीन से ज्यादा बीघोडी वसूल की गई है ? अगर हां, तो क्यों जब कि रेगूलर सैटलमेंट भी हो गया है ?

(2) क्या सरकार बिना जमीन के लोगों से जो बिघोडी अब तक ली गई है वह वापस लौटाने की व्यवस्था कर रही है ? अगर नहीं तो क्यों ? और यदि हां, तो कब तक लौटाने का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार की एक भी रिपोर्ट पर आज तक फैसला नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रेगुलर सैटलमेंट अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) बिना जमीन के कोई बीघोडी वसूल नहीं की गई और न लौटाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। अतः प्रश्न नहीं उठता है।

(3) कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है ?

तहसील हिण्डौन में मैदा सूजी व चीनी का वितरण

202. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डोन): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्डौन तहसील को प्रति माह मैदा, सूजी व चीनी का कितना-कितना कोटा मिलता है और उसका वितरण किस प्रकार किया जाता है ?

(2) तहसील हिन्डौन के लिये मार्च व अप्रेल, 1967 तक उक्त वस्तुओं का कितना कितना कोटा एलाट हुआ था तथा इस कोटे में से कितना कितना कोटा चीनी व मैदा का हलवाइयों को दिया गया तथा किस किस हलवाई को कितना कितना दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) उपरोक्त दो महीनों में चीनी व मदा का कोटा देहातों में कितना-कितना दिया गया और शहरी इलाकों में कितना?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त दो महीनों में शादियों के सम्बन्ध में स्पेशल परमिट भी दिये गये थे? यदि हां, तो किस-किस को कितनी चीनी, सूजी व मैदा के दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(5) क्या यह सही है कि उक्त दो महीनों में देहाती और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों को राशन कार्डों पर चीनी, सूजी और मदा नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों नहीं और मिली है तो किसके द्वारा कितनी-कितनी और कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा कर?

उत्तर

1. निम्न प्रकार कोटा तहसील हिन्डौन को प्रतिमाह दिया जाता है।

चीनी	267 बोरी
मैदा	15 बोरी
सूजी	8 बोरी

वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा किया जाता है।

2. मार्च व अप्रेल, 67 में चीनी, मैदा सूजी का कोटा निम्न प्रकार एलोट हुआ।

	मार्च, 67	अप्रेल, 67
चीनी	491 बोरी	485 बोरी
मैदा	36 क्वि.	
सूजी	37 क्वि.	

इन माहों में हलवाइयों को चीनी व मैदे का कोटा नहीं दिया गया।

3. उक्त दो माह में हिन्डौन पंचायत क्षेत्र को 385 बोरी चीनी एलोट की गई। 40 पंचायतों ने 329 बोरी चीनी वितरण हेतु प्राप्त की एवं नगरपालिका क्षेत्र हिण्डौन को 591 बोरी चीनी एलोट की गई जो पूरी वितरण पर दी गई। मैदा एक किलो प्रति राशन कार्ड दिया गया (शहरी क्षेत्र में)

4. जी हां, सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

5. यह सही नहीं है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

गंगानगर जिले में भूमि बेचान के मामले

203. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 30 डी के द्वितीय परन्तुक में वर्णित तिथि 9 दिसम्बर, 1959 के बाद गंगानगर जिले में कितने व्यक्तियों ने अपनी भूमि के बेचान की रजिस्ट्री करवाई? तहसीलवार विवरण देने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि खरीददार अधिकतर भूमिहीन व छोटे खातेदार हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन सेल डीड्स को रेगुलराइज करने का विचार रखती है?

उत्तर

1. गंगानगर जिले में 9 दिसम्बर 1959 के बाद 42,569 भूमि के बेचान

(राजस्व मंत्री)

रजिस्ट्रीयां हुई जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	गंगानगर	7470
2.	करनपुर	5347
3.	रायसिंह नगर	3552
4.	अनूपगढ़	2231
5.	पदमपुर	5407
6.	सूरतगढ़	3759
7.	हनुमानगढ़	10,505
8.	सादुलशहर	590
9.	संगरिया	938
10.	टीबी	230
11.	नोहर	123
12.	भादरा	2417

2. दस्तावेज में यह अंकित नहीं होता कि खरीददार भूमिहीन है या नहीं। इस प्रकार के अनियमित बेचान को नियमित करार देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

सरदारशहर तथा तारानगर तहसीलों में अकाल राहत कार्य

204. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस साल अकाल सहायता के लिये सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है या नही? यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कितनी और कब?

(2) जिलेवार राशि कैसे वितरित की जावेगी?

(3) सरदारशहर एवं तारानगर तहसीलों में अब तक क्या-क्या अकाल सहायता काय शुरू किये गये हैं और कहां-कहां? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरदारशहर एवं तारानगर तहसीलों में जहां अकाल की स्थिति है मवेशियों के लिये चारे की एवं मनुष्यों के लिये अनाज की क्या और कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त तहसीलों के बहुत से गावों में पीने के पानी की भारी कमी है चार चार या पांच पांच मील दूर से पानी लाना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार कब तक एवं क्या व्यवस्था पानी के लिये करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, इस साल राज्य भर में अकाल सहायता व्यवस्था के लिये मार्च 68 तक सरकार ने 20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

(2) प्रभावित जिलों में राशि स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए वितरित की जायेगी।

(3) सरदारशहर एवं तारानगर तहसीलों में कोई सहायता कार्य शुरू नहीं किये गये हैं।

(4) सरदारशहर तहसील के ग्रामों मे जहां अभाव की स्थिति है पशुओं के लिये चरने का चारा उचित मात्रा में है, बाकी आस पास के गांवों से अपनी आवश्यकता पूरी कर सकेंगे मनुष्यों के लिये अनाज की व्यवस्था हेतु अभावग्रस्त गावों में सस्ते अनाज की दुकानें आवश्यकतानुसार खुलवाई जा सकेंगी। तारा-नगर तहसील में अभाव स्थिति नहीं है।

(5) जी नहीं। उपरोक्त तहसीलों में पीने का पानी मौजूदा स्थिति में पर्याप्त

Page No.137

(अकाल सहायता मन्त्री)
मात्रा में उपलब्ध है। और मार्च 68 तक किसी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी।

स्थगित प्रश्न

(22-1-1968)

ग्राम पंचायत बिलारा के भूतपूर्व सरपंच को दिए गए ऋण

37. **श्री कालूराम आर्य** (बिलाड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व सरपंच श्री मोतीसिंह ग्राम पंचायत बिलाड़ा को सन् 1961 से 1964 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस काम के लिये व्यक्तिगत ऋण की स्वीकृति की गई व कब-कब?

(2) क्या उक्त रकम नियमानुसार दी गई व क्या उक्त रकम का उपयोग किया गया? अगर उपयोग नहीं किया गया तो उक्त रकम को अब तक वसूल न किये जाने का क्या कारण है?

(3) सन् 1961 से 1966 दिसम्बर तक पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा दिये गये किस-किस ऋण का उपयोग नहीं किया गया, उसकी सूची ऋण लेने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व सरपंच को:

(1) कुआ बनाने को 2000) रु. दि. 3-7-63 को।

(2) कैटल ब्रीडिंग फार्म के लिए 3000) रु. दिनांक 23-1-64 को।

(3) पक्की नालियों के लिए 2000) रु. दिनांक 31-3-64 को।

(2) ऋण नियमानुसार दिया गया। कुवे के ऋण का सदुपयोग हो गया। कैटल फार्म के ऋण का उपयोग नहीं हुआ। नालियों के लिए पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं।

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेजी गई)

स्थगित प्रश्न

(22-1-1968)

फिल्म प्रदर्शकों पर मनोरंजन कर की बकाया

57. **श्री अवणलाल** (हिन्डौन): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के फिल्म प्रदर्शकों में किस-किस जिले के फिल्म प्रदर्शकों में मनोरन्जन कर का कितना-कितना रुपया बकाया है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

विभिन्न फिल्म प्रदर्शकों में 15 दिसम्बर 1967 तक रु. 1,09,?40.38 पैसे बकाया है। जिला अनुसार विवरण संलग्न सूची में अंकित है। कार्यवाही वसूली भी अंकित है।

उक्त रकम में से रु. 57,341.47 पैसे की वसूली अदालतों द्वारा स्थगित की हुई है। रु. 30,06?.34 पैसे के मामले राजस्व अधिकारियों को वसूली हेतु भेजे गये हैं। रु 17,509.60 पैसे की वसूली में विभागीय कार्यवाही चल रही है।

इसके अतिरिक्त मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न फिल्म प्रदर्शकों पर

Page No.138

(वित्त मंत्री)

आरोपित शास्ती की राशी 4,825,97 की बकाया है। जिसमें रु. 4325.97 की वसूली में विभागीय कार्यवाही चल रही है तथा रु. 500 की अदालती स्थगन आदेश प्राप्त है। इसकी सूची अलग संलग्न है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न

23–1–68

पंचायतों द्वारा आबादी भूमि छुड़ाने के मामले–जिला चूरू

81. **श्री रावत राम (छापर)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) चूरू जिले के कलेक्टर के कार्यालय में विभिन्न पंचायतों द्वारा प्रस्तावित आबादी भूमि छुड़ाने की कितनी मिसलें विचाराधीन एवं पेंडिग पड़ी हैं? पंचायतवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायतों ने आबादी भूमि छुड़ाने के प्रस्ताव कब–कब पास किये और सम्बन्धित मिसलें कब से विचाराधीन पड़ी हैं? पूरी तफसील दें कि प्रत्येक मिसल को कितना कितना अर्सा हो गया और आज तक उन पर कोई डिसीजन क्यों नहीं हो सका?

(3) क्या सरकार इस बात को महसूस नहीं करती कि पंचायतों की आबादी सम्बन्धी मिसलों पर रेवेन्यू अधिकारी पूरी तरह गौर नहीं करते हैं और इस वजह से इनमें अनावश्यक विलम्ब होता है? यदि हां, तो भविष्य में सरकार तत्सम्बन्धी मिसलों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

(4) तहसील सरदारशहर के ग्राम मुवाई छोटी के लिए आबादी भूमि छुड़ाने हेतु सम्बन्धित पंचायत कब प्रस्ताव भेजे और आज तक इस मिसल पर क्या कार्यवाही हुई और भविष्य में उक्त गांव के लिए आबादी भूमि कब तक छूट जायगी?

उत्तर

1. जिलाधीश चूरू कार्यालय में इस प्रकार के 11 मामले विचाराधीन हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. पंचायतों ने कब–कब प्रस्ताव पास किए इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जहां तक जिलाधीश कार्यालय में इन मामलों के विचाराधीन रखने का सवाल है इसमें क्रम सं. 1 सन् 1963, से क्रम सं 2 सन् 66 से, क्र. सं. 3 सन् 66 से, क्रम सं. 4 सन् सं, 66 से, क्रम सं. 5 सन् 64 से, क्रम सं. 6 सन् 67 से, क्रम सं. 7 सन् 66 से, क्रम सं. 8 व 9 सन् 65 से, क्रम सं. 10 सन् 68 से तथा क्रम सं. 11 सन् 67 से विचाराधीन हैं।

(3) कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने हेतु जिलाधीश को कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी होती है। अतः कुछ समय लगना स्वाभाविक है। क्र.सं. 1 से 5 तक के मामलों में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये थे, राज्य सरकार ने जिलाधीश से कुछ और जानकारी चाही है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। क्रम सं. 6 व 10 व 11 के सम्बन्ध में जिलाधीश से, परगना अधिकारी रतनगढ़ से कुछ और जानकारी चाही है क्रम सं. 7, 8 व 9 की स्वीकृति हो चुकी है।

राज्य सरकार ने सभी जिलाधीशों को यह निर्देश दे रखे हैं कि पंचायत समितियों

(राजस्व मंत्री)
द्वारा प्रस्तुत आबादी भूमि के मामलों का शीघ्र निबटारा किया जावे।

(4) जिलाधीश कार्यालय में ऐसा कोई प्रस्ताव, प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधीश को निर्देश दे दिए गये हैं कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होवे तो उस पर नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही की जावे।

विचाराधीन मामलों की सूची

1. ग्राम पंचायत मुन्दड़ा
2. ग्राम पंचायत जासावर
3. ग्राम पंचायत कालाना
4. ग्राम पंचायत देराजसर
5. ग्राम पंचायत भुवरास
6. ग्राम पंचायत हुई
7. ग्राम पंचायत फोगा
8. ग्राम पंचायत रातूसर
9. ग्राम पंचायत बालसर
10. ग्राम पंचायत मरपाळसर
11. ग्राम पंचायत बाड़सद

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्र. सं. 56 की सूची देखिये)

ग्राम पंचायत चन्द्राई (पंचायत समिति लाडनूं) द्वारा दिनांक 1-1-65 से दिनांक 10-5-67 तक प्रशासनिक मामलों में किये गये जुर्माने व पेनेल्टी की सूची :—

क्र.सं.	नाम व्यक्ति	जुर्माने व पेनेल्टी की रकम	
1.	श्री बद्रीपुत्र नाथुराम केशाराम पुत्र नाथूराम सा. मण	11) 11) रु. व, आज्ञा पालन हेतु 1) 1) रु. प्रतिदिन पेनेल्टी	
2.	श्री मालूराम पुत्र घासी कुम्हार, सा. मण्	11) रु.	1) रु. रोजाना पेनेल्टी
3.	श्री ज्ञानाराम पुत्र रुघाराम भांभी सा. मण्	14) रु.	1) रु. " "
4.	श्री मालूराम पुत्र जीवण कुमार, सा. मण्	14) रु.	1) रु. " "
5.	श्री शोभाराम पुत्र मूलाराम भांभी सा. मण्	14) रु.	1) रु. " "
6.	श्री उदाराम पुत्र रूघाराम जाट सा. मण्	14) रु.	1) रु. " "
7.	श्री केराराम पुत्र लादूराम जाट सा. ओडिट	14) रु.	1) रु. " "
8.	श्री भीमाराम पेपाराम जाट सा. लूकास, चुनाराम	14) रु.	1) रु. " "
9.	पेमाराम पुत्र गानाराम जाट चुडासर	14) रु.	1) रु. " "

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्र. सं. 57 की सूची देखिये)

जिला सवाई माधोपुर की विभिन्न पंचायत समितियों को कुओं के लिये दिये गये अनुदान का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	अनुदान की रकम	पूरे किये गये कुओं की संख्या	अधूरे कुओं की संख्या	राशि जो शेष है
1.	हिन्डौन	48100)	50	14	6963)
2.	महुवा	41110)	73	76	21534)
3.	टोडाभीम	23500)	54	13	650)
4.	करौली	17500)	–	1	4750)
5.	सवाई माधोपुर	54566) 49	40	11	14332) 51
6.	गंगापुर	182479)	175	51	43406)
7.	नादौती	92750)	84	75	35950)
8.	बौंली	30900)	183	98	--
9.	सपोटरा	27000)	50	18	900)
10.	खण्डार	217261)	160	52	--

नोट:—राशि शेष रहने का कारण :—

1. दूसरी किश्त का भुगतान न होना।
2. राशि का वर्ष के अन्त में हस्तान्तरण होना।

शुद्धि पत्र

(दिनांक 30 जनवरी, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	8	दिय	दिये
2	13	जसा	जैसा
3	अन्तिम से 7	सिवे	मिले
5	,, 12	क याण	कल्याण
6	,, 7	मेंसूदा	मसूदा
10	3	पसन्ट	पर्सेन्ट
20	3	श्र	श्री
33	अन्तिम से 12	म	में
41	,, 6	तो	और
41	अन्तिम	उजडा	उजाड
55	8	बिगोडी	बी घोडी
55	अन्तिम से 3	314	000
55	,, 2	,,	,,
55	,, 3	4	19
57	6	कामों	ग्रामों
59	5	श्री परसराम	श्री परसराम गंगाराम
76	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोत्तर-	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
86	11	राजवी श्र	राजवी श्री
89	अन्तिम से 3	नसीरावाव	नसीरावाद
90	11	मूंह	मुंह
106	6	द्वार	द्वारा
117	शीर्ष	मांगरोल तहसील में गांवों में ओला वृष्टि संब. वक्तव्य	भरतपुर में लगान वसूली सं. वक्तव्य
117 से 128	शीर्ष	,,	,,
128 से 134	,,	,,	बून्दी जिले में लगान की बढ़ी हुई दर सम्बन्धी वक्तव्य
151 से 246	शीर्ष	वक्तव्य	संकल्प
179	अन्तिम	गिरा आ	गिरा
185	शीर्षक	मनोहर मे ृता	मनोहर सिह मेहता
187	अन्तिम	30	30 जनवरी
193	अन्तिम से 2	भाव	भावना
203	,, 2	पुंजीपति	पूंजी पति
206	4	विरीधिपक्ष	विरोधी पक्ष
219	12	ग ा स	व्यास
220	5	श्री अध क्ष	श्री अध्यक्ष
256	5	सालों या	सालोदिया